खण्ड ९ — अंक २२
१३ दिसम्बर, १९५६ (गुरुवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
*(XIV Session)*

सत्यमेव जयते

( खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

# विषय-सूची

[ भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६ ]


पृष्ठ

**अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... — **११२०–२२**

**अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... — **११६४–६६**

**अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

**दैनिक संक्षेपिका** — **१२२२–२५**

**अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

**दैनिक संक्षेपिका** **१२८१–८४**

**अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

**दैनिक संक्षेपिका** ... **१३५१–५४**

**अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... ... ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

**दैनिक संक्षेपिका** ... ... **१४३८–४३**

**अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

**दैनिक संक्षेपिका** — **१५०६–१०**

**अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

**दैनिक संक्षेपिका** ... — **१५६७–७०**

**अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६**

**प्रश्न का मौखिक उत्तर**

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

**दैनिक संक्षेपिका** — **१५७४**

**सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत** ... — **१५७५–७७**

---

**टिप्पणी :** किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

---



M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

# लोक-सभा

गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### प्रबन्ध व्यवस्था से कर्मचारियों को सम्बद्ध करना

+

†*११२६. **श्री भागवत झा आजाद**
**श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
**श्री राम कृष्ण** :
**श्री गिडवानी** :
**श्री विभूति मिश्र** :
**श्री संगण्णा** :
**श्री कामत** :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में प्रबंध व्यवस्था में कर्मकारों द्वारा भाग लेने सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्विति का अध्ययन करने के लिये एक त्रिदलीय प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो वह किन देशों में गया; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** (क) और (ख). प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मकारों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये एक अध्ययनकर्त्ता दल हाल ही में फ्रांस, बेलजियम, इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, स्वेडन और यूगोस्लाविया भेजा गया था ।

(ग) इस दल के प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार इस समय भारत के उद्योगों में से किसी की भी प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देने के सम्बन्ध में किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इसीलिये तो यह प्रतिनिधि मण्डल विभिन्न देशों में कर्मकारों द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने के विषय का अध्ययन करने के लिये यूरोप भेजा गया था ताकि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय किया जा सके ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि हमारे कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों ने उद्योग के प्रबन्ध में कर्मचारियों को सम्मिलित किया है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों ने, उदाहरणतः टाटा और अन्य समवायों ने यह प्रयोग किया है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : श्रमिकों को प्रबंध व्यवस्था से कैसे सम्बद्ध किया जायेगा ? क्या उन्हें निदेशक बनाया जायेगा अथवा प्रबंध समिति में लिया जायेगा ? यह कैसे किया जायेगा ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने योजना आयोग के प्रतिवेदन को देखा होगा । उस प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि प्रारम्भ में प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी सीमित प्रश्नों की जांच करने के लिये एक प्रबन्धक परिषद स्थापित की जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदस्य संख्या की दृष्टि से आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थान द्वितीय है, उसका कोई प्रतिनिधि इस विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल में क्यों नहीं लिया गया था ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधि जानबूझ कर इसलिये नहीं भेजा गया था क्योंकि चर्चा के प्रारम्भिक दौर में उसने प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मकारों के भाग लेने के विषय में अभिरुचि नहीं दिखाई थी और उसने यहां तक कह दिया था कि यह तरीका कर्मकारक वर्ग के हितों के विरुद्ध है । अतएव सरकार ने विचार किया कि किसी ऐसे संगठन के प्रतिनिधि को भेजने से क्या लाभ जिसे कर्मकारों के प्रबन्ध में भाग लेने में अभिरुचि नहीं है और जो निश्चय ही इसके विरुद्ध है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने प्रबन्ध में कर्मकारों को भाग देने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन उद्योगों के प्रशासन में, जो कि सरकारी क्षेत्र में हैं, श्रमिकों को प्रशासन व्यवस्था में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन देने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को निदेशकों के बोर्ड में ले लेने के लिये प्रबन्ध किये जा चुके हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जिन कर्मकारों को सम्बद्ध किया जाने को है, क्या उन्हें निदेशकों के बोर्ड के स्तर पर लिया जायेगा अथवा प्रबन्ध परिषद के स्तर पर लिया जायेगा, क्योंकि योजना आयोग ने केवल प्रबन्ध परिषद् के लिये ही सिफारिश की है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जैसा मैं पहले बता चुका हूं प्रथम दौर में प्रबन्ध परिषद् ही स्थापित करने का प्रयत्न किया जाना है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस योजना में उद्योगों पर कर्मकारों के पूर्ण नियंत्रण सम्बन्धी संघ योजना भी सम्मिलित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नियोक्ताओं को विस्थापित कर के ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मेरे विचार से यह उद्देश्य नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि कुछ उद्योगों में कर्मकारों को भाग दिया जा चुका है । एक कार्मिक संघ से मेरा भी सम्बन्ध है । क्या यह सच है कि निदेशक, जो बहुत कम या वर्ष में एक या दो बार प्रबन्धकों की बैठकों में आते हैं, प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं ? क्या सरकार प्रबन्ध व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में कर्मकारों को भाग लेने की अनुमति देने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इस पर विचार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक समिति विदेशों को गई है और सरकार उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

## भारत-बर्मा व्यापार करार

†*११२७. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मा सरकार और भारत सरकार द्वारा हाल ही के भारत-बर्मा व्यापार करार के अधीन वाणिज्य के विकास और विस्तार तथा दोनों देशों की व्यापार स्थिति में सुधार करने और संतुलन स्थापित करने के लिये परस्पर कुछ सुझाव दिये हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : श्रीमान, अभी नहीं । प्रश्नाधीन करार केवल ५ सितम्बर, १९५६ को ही निष्पादित हुआ था और इस समय भारत-बर्मा व्यापार के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री मात्तन** : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने शुष्क झींगा मछली को भी, जिसके लिये मैं गत कुछ वर्षों से चिल्लाता आ रहा हूं, निर्यात वस्तुओं में सम्मिलित किया है ?

†**श्री करमरकर** : झींगा मछली के निर्यात के विषय में निरंतर अभिरुचि रखने के लिये मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं और उन्हें यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि बर्मा बहुत अधिक मात्रा में झींगा मछली भारत से आयात करेगा ।

## इंग्लैण्ड को इंजीनियरों का प्रतिनिधि मंडल

†*११२८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इंजीनियरों का जो प्रतिनिधि मण्डल इस वर्ष इंग्लैण्ड गया था, क्या उसके द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) संभवतः माननीय सदस्य उस प्रतिनिधि मण्डल की ओर निर्देश कर रहे हैं जो एसोसियेटेड इलैक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज के कारखानों को देखने के लिये इंग्लैण्ड भेजा गया था । यदि हां, तो इसकी सिफारिशों को उस विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है जो मंत्रणाकारों द्वारा १७ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था और उस पर इस प्रतिवेदन के एक अंगभूत भाग के रूप में विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य सिफारिशें क्या की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस प्रतिनिधि मण्डल ने उन विभिन्न उपसाधनों को, जिन का निर्माण एसोसियेटेड इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज के कारखानों द्वारा किया जाता है, इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया था ताकि वह भारत में बनाई जाने के लिये उपयुक्त किस्मों को चुन सकें। उन्होंने प्रस्तावित कारखाने के वित्तीय और आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन किया था।

**श्री रघुनाथ सिंह** : इस डेलीगेशन में अनेक विषयों के इंजीनियर भेजे गये थे। क्या इसमें शिपिंग (नौवहन) इंजीनियर भी कोई था या नहीं ?

**श्री सतीश चन्द्र** : इस वक्त तो बिजली के कारखाने की बात हो रही है।

**श्री रघुनाथ सिंह** : इलेक्ट्रिसिटी (विद्युत्) का सम्बन्ध शिपिंग से भी है। इस कारण मैंने यह सवाल पूछा है।

**अध्यक्ष महोदय** : हर एक विषय में शिपिंग को कैसे ले आ सकते हैं ?

## केन्द्रीय क्रय अभिकरण

†*११२९. **श्री बर्मन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में देश में और विदेशों में केन्द्रीय क्रय अभिकरण द्वारा कितने मूल्य का माल खरीदा गया; और

(ख) उन अभिकरणों द्वारा, जिनको कि दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा-नंगल, चितरंजन आदि जैसी परियोजनाओं के वास्तविक निर्माण का कार्य सौंपा गया है कुल कितने मूल्य का माल सीधे ही खरीदा गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १७६·८ करोड़ रुपये।

(ख) जानकारी सम्बन्धित मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है।

†**श्री बर्मन** : क्या कोई ऐसा नियम है जिसके द्वारा ये कार्यक्रम अभिकरण केन्द्रीय अभिकरण से परामर्श किये बिना सीधे माल खरीद सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्णसिंह** : माननीय सदस्य किस अभिकरण की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री बर्मन** : मेरा अभिप्राय दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा-नंगल, चितरंजन आदि जैसी स्वतंत्र योजनाओं से है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पहले केन्द्रीय क्रय अभिकरण वे परामर्श करना पड़ता है कि क्या वह उनके माल के संभरण का प्रबन्ध कर सकेगा अथवा नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सिद्धांततः उन अभिकरणों को ही यह विचार करना होता है कि वे केन्द्रीय क्रय अभिकरण का उपयोग करना चाहते हैं अथवा नहीं।

## दमन से आप्रवासी

†*११३०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २८ सितम्बर, १९५६ के 'इंडियन एक्सप्रेस' के बम्बई संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस ने उन ७५ मछुओं को, जो दमन से भारत में प्रव्रजन कर आये थे, वापस पुर्तगाली क्षेत्र में भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस भेजने के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार को देखा है । तथ्य इस प्रकार है :

सितम्बर, १९५६ में दमन के १७० मछुये दादनू के समीप भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे । उनके पास भारत में प्रवेश करने के अनुज्ञापत्र नहीं थे और सरकार की पुर्तगाली बस्तियों से भारत में अवैध सामुहिक प्रव्रजन को अनुमति न देने की सामान्य नीति के अनुसार जिन मछुओं का भी पता लग सका उन्हें वापस दमन भेज दिया गया ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि वे वहां नहीं जाना चाहते थे, और यदि हां, तो उन्होंने इसके लिये क्या कारण बताये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह बहुत संभव है । अन्यथा वे हमारे क्षेत्र में न आते ।

## भारी उद्योग का विकास

†*११३३. **श्री बंसल** : **क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी उद्योग के विकास के सम्बन्ध में ब्रिटिश और रूसी विशेषज्ञों के लिये अलग-अलग क्षेत्र विभाजित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये नियत किये गये क्षेत्र कौन से हैं; और

(ग) क्या इन विशेषज्ञों के दलों में से किसी ने कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). आशा की जाती है कि रूसी विशेषज्ञ एक एकीकृत भारी मशीन बनाने वाले कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिशें करेंगे । ब्रिटिश शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन मुख्यत: समूचे भारी इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता के विकास के सम्बन्ध में होगा । उनके क्षेत्रों को अधिक निश्चित रूप से सीमांकित करना न तो संभव है और न ही आवश्यक है ।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान ३ अक्तूबर के 'टाइम्स आफ इंडिया" के उस समाचार की ओर दिलाऊं जिसमें कहा गया है कि इन दोनों दलों के लिये अलग-अलग क्षेत्र स्पष्टत: निर्धारित लिये गये हैं, और यदि हां, तो उनके लिये अलग-अलग कार्यक्षेत्र क्या हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : श्रीमान्, जैसा मैंने बताया, हमने क्षेत्रों को सीमांकित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु इसे स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया जा सकता है । एक दूसरे के क्षेत्रों में कुछ अतिछादिता होने की संभावना है । सिद्धांतत: रूसी दल का सम्बन्ध एक एकीकृत प्रकार के भारी मशीन निर्माण करने वाले कारखाने के बारे में सिफारिश करने से है । ब्रिटिश दल से समूचे भारी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ।

†**श्री बंसल** : इन दोनों दलों में क्रमश:. कितने-कितने सदस्य थे और वे इस देश में कितने समय तक रहे ?

†**श्री म० म० शाह** : रूसी दल दो भागों में विभाजित था । पहले दल में तीन सदस्य थे और दूसरे में चार थे । वे ९ जुलाई, १९५६ को यहां आये थे और अधिकतर सदस्य अभी इस देश में ही हैं । वे अभी प्रतिवेदन और अपनी सिफारिशें तैयार कर रहे हैं । ब्रिटिश दल के ११ सदस्य थे । वे अक्तूबर में आये थे और नवम्बर में चले गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**पूर्वी जर्मनी की ओर से सहायता का प्रस्ताव**

†*११३४. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के व्यापार उपमंत्री, श्री गर्हर्ड वायज़ ने इस प्रकार कोई वक्तव्य दिया है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की सरकार भारत को ऋण सम्बन्धी सुविधायें और भारतीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधायें देने को तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) श्री वायज़ द्वारा दिये गये वक्तव्य के तत्सम्बन्धी उद्धरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) श्री वायज़ द्वारा दिये गये सुझाओं पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह निश्चित करने के लिये कोई पूछताछ की गई है कि कितना ऋण उपलब्ध हो सकेगा, और भारतीय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये किस प्रकार की सुविधायें मिलेंगी ?

†**श्री करमरकर** : हमारे पास ऋण के बारे में कोई भी सूचना नहीं है और यह इसलिये क्योंकि ऋण के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री द्वारा अस्थाई तौर पर यह निर्णय किया गया है कि उनका ३० छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये। अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे विधिवत् रूप दिया जा रहा है। हमने इस बात को भी बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि हम ये सुविधायें केवल उन उम्मीदवारों के लिये ही स्वीकार करेंगे जो प्रशिक्षण के लिये चुने जाकर और वापस लौटने पर उन्हीं इकाइयों में नौकरी करेंगे जिनमें कि वे जाने से पहले काम कर रहे थे।

†**श्री साधन गुप्त** : भारतीय विद्यार्थियों को किन विषयों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : उनको प्रविधिक विषयों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी मामले पर अब यह देखने के लिये ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है कि क्या-क्या अवसर उपलब्ध हैं और हम कहां तक उनका लाभ उठा सकते हैं।

†**श्री कामत** : इस समय भारतीय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये अधिक अच्छी सुविधायें पश्चिमी जर्मनी में सुलभ हैं या पूर्वी जर्मनी में, और इस समय पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी अधिक संख्या में हैं या पूर्वी जर्मनी के विश्वविद्यालयों में ?

†**श्री करमरकर** : पश्मिी जर्मनी ने जो सुविधायें दी हैं वे काफ़ी हैं और हमारे विद्यार्थी वहां प्रशिक्षिण भी पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया पूर्वी जर्मनी में अपने विद्यार्थियों को भेजने का प्रश्न इस बात पर निर्भर है कि हम उक्त प्रस्ताव को किस सीमा तक स्वीकार करते हैं और कौन से विषय हमारे लिये उपयुक्त हैं और इस प्रशिक्षण के लिये हमें कितने उम्मीदवार मिलते हैं।

†**श्री कामत** : मेरा प्रश्न तो यह था कि अधिक अच्छी सुविधायें पूर्वी जर्मनी में उपलब्ध हैं या पश्चिमी जर्मनी में।

†**श्री करमरकर** : दृश्य यंत्रों आदि के उद्योग में तो निश्चय ही पूर्वी जर्मनी में अधिक सुविधायें प्राप्त हैं, लेकिन ऐसे मामलों में दो देशों की परस्पर तुलना करना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**नक़दी ओवरसियर और लाइन ओवरसियर**

†*११३५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल सर्किल के मिदनापुर डिवीज़नल डाक तथा तार कार्यालय में कितने नक़दी ओवरसियर और लाइन ओवरसियर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ दिनों से इस क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को मनी आर्डर मिलने में विलम्ब होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले में कुछ अधिक सुविधा देने के लिये निकट भविष्य में नक़दी ओवरसियरों की संख्या में कुछ वृद्धि की जायेगी ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १७ नक़दी ओवरसियर और १२ डाक ओवरसियर।

(ख) प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को विलम्ब से मनी आर्डर मिलने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ग) और (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८ ]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या विभाग ने ज़िला स्कूल बोर्ड से अपने प्रेषणों को पूरे महीने भर तक क्रमानुसार भेजने के लिये कहने का प्रयास किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार से तो अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है । लेकिन यह एक बड़ा उपयोगी सुझाव है और मैं इसे कार्यान्वित कराऊंगा । यह मेरे दिमाग में भी था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने विवरण में इस शिकायत को दूर करने के तीन उपाय बताये हैं । क्या कुछ शाखा कार्यालयों को परिवर्तित करने के बारे में नियमों में कुछ ढिलाई की जायेगी, या बिलकुल नियमों के अनुसार ही यह कार्य किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस पर बिलकुल नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा, लेकिन हम कुछ मामलों की कुछ विशेष बातों पर विशेष तौर पर विचार कर सकते हैं । इस समय छै शाखा कार्यालयों को प्रशासकीय कारणों से उपकार्यालयों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट (सरकार) के ध्यान में यह बात आई है कि जब से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने बड़ी संख्या में खुल रहे हैं, मेल ओवरसियर्स का काम काफी बढ़ गया है और रुपया नहीं पहुंचता है जिससे कि मनी आर्डर्स बांटने में काफी देर हो रही है और क्या वह उनकी संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

**श्री राज बहादुर** : जबसे यह डाकखाने खुले हैं इसमें कोई शक नहीं कि काम बढ़ा है लेकिन इस काम बढ़ने के साथ-साथ खास बात यह है कि हम जो रुपया भेजते हैं उसकी तादाद मुकर्रर है, एक रनर के साथ १ हजार रुपये से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं और अगर ज्यादा भेजना होता है तो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस का सर्टिफिकेट भेजना होता है कि उस पर्टिकुलर ( विशेष) रूट पर उससे ज्यादा रुपया भेजा जा सकता है या नहीं । यह इंतज़ामिया मामला तो इससे ताल्लुक रखता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## विमानों के पुर्ज़े

†*११३६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन हवाई अड्डों पर बड़ी-बड़ी मरम्मतें नहीं की जाती हैं, वहां विमानों के पुर्ज़ों के स्टाक भेजते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि केवल वही पुर्ज़े भेजे जायें जो वहां उपयोगी हो सकते हैं, अपितु उन हवाई अड्डों को काफ़ी अधिक संख्या में ऐसे पुर्ज़े भी भेज दिये जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि पुर्ज़ों को भेजने में की जाने वाली इस असावधानी के कारण मद्रास के और साथ ही अन्य हवाई अड्डों पर भी अनावश्यक पुर्ज़ों की एक बड़ी संख्या और मात्रा इकट्ठी हो गई है ?

†**विधि-कार्य और असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार यह जानती है कि मद्रास इत्यादि जैसे हवाई अड्डों में, जहां कि बड़ी-बड़ी मरम्मतों का कार्य नहीं किया जाता है । गत दो या तीन वर्षों से उपयुक्त पुर्ज़े पड़ हुए हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : यह सच नहीं है । वास्तव में, स्थिति यह है कि कुछ स्थानों में ओवर हाल (साज-संवार) का कार्य किया जाता है । कुछ अन्य हवाई अड्डों में विमानों की देखरेख का कार्य किया जाता है । हैदराबाद, दिल्ली और कलकत्ता तो साज-संवार के स्थान हैं, और श्रीनगर, कराची, कोलम्बो, काठमांडू, बंगलौर और मद्रास देखरेख करने वाले केन्द्र हैं, और इनमें केवल वही पुर्ज़े रखे जाते हैं जो उस कार्य विशेष के लिय आवश्यक होते हैं ।

## कपड़ का उत्पादन

†*११३७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५६ से अब तक कपड़े के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) इसी अवधि में कितने कपड़े का निर्यात किया गया ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९ ]**

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को देखते हुए कि योजना आयोग ने कपड़े की खपत के लक्ष्य में वृद्धि करने का प्राय: निर्णय ही कर लिया है, सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कार्यक्रम रखने की प्रस्थापना की है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे योजना आयोग के किसी भी ऐसे निर्णय का पता नहीं है । लेकिन, वर्तमान कार्यक्रम तो अन्तत: १०,००० लाख गज़ कपड़ का आयात करने का है, और हमें आशा है कि वह लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा । जहां तक कि आंतरिक खपत का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति प्राय: संतोषप्रद ही है । लकिन मांग क बढ़ने की सम्भावना है और हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक अग्रेतर कार्यवाहियों के बारे में विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सूती कपड़ा मिलों के विस्तार की समस्या बहुत अधिक समय से विचाराधीन है, तो क्या सरकार ने इसके विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : वह प्रश्न अब विचाराधीन नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने एक पक्का निर्णय कर लिया है कि १७,००० लाख गज़ कपड़े का अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी की गई है। इस १७,००० लाख गज़ में से ३,५०० लाख गज़ निर्यात के लिये होगा, जो मिल क्षेत्र में रहेगा, और १०,००० लाख गज़ हथकरघा क्षेत्र में रहेगा। प्रगति प्रायः संतोषप्रद ही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इन सभी महीनों में जो भी अतिरिक्त उत्पादन हुआ है उसमें से कितने का निर्यात किया गया है और कितना आंतरिक खपत के लिये दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी करघे नहीं लगाये गये हैं। जहां तक कि निर्यात की गई मात्रा का सम्बन्ध है विवरण में उसके आकड़े दे दिये गये हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : पिछली बार लक्ष्यों का जो पुनरीक्षण किया गया था, उसके अनुसार एक अभ्यंश विशेष ऐसा भी था जो किसी भी क्षेत्र विशेष को आवंटित नहीं किया गया था। क्या सरकार ने उस अभ्यंश विशेष के आवंटन के सम्बन्ध में अब कोई निर्णय कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : वह तो केवल १,५०० लाख गज़ की एक बहुत थोड़ी सी ही मात्रा है।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक नहीं, यह इसलिये कि हम अभी निर्यात के लिये लगाये जाने वाले स्वयं चालित करघों की स्थापना और तकुओं द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की प्रगति और हथकरघों की प्रगति को देख रहे हैं।

†**श्री हेडा** : हाल में जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है उसका एक उद्देश्य मूल्यों में वृद्धि करके खपत में कमी करना था। दूसरी ओर, योजना आयोग यह चाहता है कि कपड़े की खरीद को प्रोत्साहित किया जाये। सरकार इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों का समाधान किस प्रकार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : इसमें कोई विरोधी बात इसलिये नहीं है क्योंकि समस्त योजनाकाल में खपत की प्रवृत्ति को दबाया ही जाना चाहिये, और उत्पादन शुल्क की वृद्धि इस ओर एक पग है। हमें बढ़ती हुई मांग का ध्यान भी रखना है, और इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं कि इसके लिये और क्या पग उठाये जायें। अभी हमारी योजना १७,००० लाख गज़ के लिये है, जिसका उत्पादन कुछ वर्षों में होने लगने की संभावना है।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि हाल में कुछ देशों में हमारे कपड़े की मांग कम होती जा रही है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां कि मांग कम होती जा रही है।

†**श्री कानूनगो** : एक स्पष्ट उत्तर देने के लिये एक स्पष्ट प्रश्न होना चाहिये। परन्तु अब प्रश्न यह है कि हमें अपने व्यापार बाज़ार में जापान से अत्यधिक प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर की कपड़ा मिलों के वैज्ञानिकन करने के लिये नियुक्त की गई कपड़ा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और उसमें की गई एक सिफारिश यह है कि कपड़ा मिलों का समग्र वैज्ञानिकन कर दिया जाये। सरकार के इस समिति के इस विचार से किस सीमा तक प्रभावित होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कानूनगो** : उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशें अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। उनके प्राप्त होने पर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

## इल्मेनाइट रेत

†*११३८. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० अक्तूबर, १९५६ को इल्मेनाइट रेत के नौवहन के लिये केरेल राज्य के छवारा स्थान पर टैंडर मांगने के बाद कोई ठेका दिया गया था;

(ख) इस खनिज रेत के समुद्र तट से जहाज़ द्वारा भेजने के लिये कितने व्यक्तियों तथा निकायों ने अपने टैंडर दिये थे;

(ग) क्या टैंडर देने वाले व्यक्तियों और निकायों के अतिरिक्त भी किसी को सीधे बातचीत द्वारा ठेका दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां।

(ख) छः व्यक्तियों ने।

(ग) हां, मैसर्ज़ हैरीसन्स एण्ड क्रोसफील्ड लिमिटेड क्यूलोन।

(घ) क्योंकि जितने भी व्यक्तियों ने खनिज रेत के नौवहन के लिये टैंडर दिये थे उनमें से किसी को भी उक्त कार्य को अधिकतम कार्यकुशलता से करने के लिये अपेक्षित अनुभव नहीं था और न उनके पास संसाधन थे। इसलिये बोरियां भरने और जहाज़ द्वारा माल भेजने का ठेका सीधी बातचीत द्वारा मैसर्ज हैरीसन्स एण्ड क्रोसफील्ड लिमिटेड को जिसके पास इस कार्य के लिये समुचित प्रबन्ध है, दे दिया गया था।

†**श्री वेलायुधन** : क्या जिस समय प्रथम बार टैंडर मांगे गये थे और आवेदन पत्र दिये गये थे उस समय हैरीसन एण्ड क्रोसफ़ील्ड कम्पनी का कोई ज़िक्र ही नहीं था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे पता नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या हैरीसन्स एण्ड क्रोसफील्ड को यह टैंडर प्रारम्भिक अवस्था में टैंडर मांगने और उनको रद्द करने के बाद आपसी बातचीत द्वारा दिया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस अणु शक्ति सम्बन्धी मामले में विशेष रूप से उच्च स्तर की कार्यकुशलता तथा अविलम्बनीयता अपेक्षित है। मैं स्पष्टतः इस सदन को बता देना चाहता हूं हम इस मामले में बहुत सीमा तक़ अणु शक्ति सलाहकारों पर निर्भर रहते हैं। यह बहुत ही उच्चकोटि के प्रविधिक मामले हैं और वास्तव में हममें से कोई भी इनके सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। यदि हम उनकी सलाह न मानें तो काम में हानि होने की संभावना है।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि यह अणु शक्ति के सम्बन्ध में है। परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध तो इल्मेनाइट रेत के नौवहन से है, और यह एक ऐसा कार्य है कि जिसे केरल राज्य के व्यक्तियों द्वारा क्वलोन के आसपास गत दस वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस हैरीसन्स एण्ड क्रोसफील्ड लिमिटेड ने इस टैंडर को मूल टैंडर देने वाले से लेकर अन्य टडर देने वालों को लाभ की कुछ प्रतिशतता लेकर फिर दे दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें विदेशी खरीददारों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं मैं उन सब संगठनों तथा कम्पनियों का नाम तो नहीं लूंगा—जो बहुत दिनों से इस बात को करते आ रहे हैं इन बहुत सी शिकायतों के कारण ही हमारे व्यापार को हानि पहुंच रही थी और हम माल को बेच नहीं सके थे। विदेशी खरीददारों ने इसकी शिकायत की थी और जहाज़ों के आने में देर हो गई थी। शिकायतें यह थीं कि जहाज़ देर से आते थे, इल्मेनाइट को कलकत्ता पत्तन पर रोक लिया जाता था और ठेकेदारों की अनुभवहीनता के कारण अनावश्यक रूप से बहुत अधिक देरी हो जाती थी, इत्यादि। मेरे पास इसकी एक लम्बी सूची है। इसी कारण हमें इस व्यापर को अधिक कार्य कुशल बनाना है।

†श्री वेलायुधन : अब जिस कम्पनी को यह कार्य सौंपा गया है उसके लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं? मेरे विचार से शर्तें अब अधिक सुविधाजनक हैं, जब कि वह पहले ठेकेदारों द्वारा दिये गये मूल टैंडरों के समय इतनी सुविधाजनक नहीं थीं ?

†श्री सादत अली खां : सरकार ने मैसर्स हैरीसन्स एण्ड क्रोसफील्ड को नियुक्त किया था। वह एक नामनिर्दिष्ट सार्थ है और उसे आठ रुपये प्रति टन की दर से माल को उठवाने लदवाने, जहाज पर लदवाने आदि कार्य को करने का अधिकार दिया गया था। मेरे विचार से माननीय सदस्य यही सूचना चाहते थे।

†श्री वें० प० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का कुछ अन्दाजा है कि इस कम्पनी को इस चीज के नौवहन से कितना लाभ होगा और क्या यह सच नहीं है कि यह एक ऐसी कम्पनी है जो इंग्लैण्ड में निगमित हुई है और इसमें भारतीय पूंजी बिलकुल ही नहीं है।

†श्री सादत अली खां : हम केवल इतना ही जानते हैं कि सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

## सरकारी पुरस्कार

†*११४१. { श्री स० चं० सामंत :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण और डिजाइनिंग के सम्बन्ध में हाल ही में हुई प्रतियोगिता सम्बन्धी सरकारी पुरस्कारों पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : पुरस्कार ६ नवम्बर, १९५६ को दिये गये थे और किये जाने वाले भुगतानों समेत व्यय के ब्योरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु अनुमान है कि व्यय कोई ११,००० रुपये के लगभग है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी और कितने प्रकार की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी ?

†डा० केसकर : इस वर्ष प्रविष्टियां पांच हजार से कुछ अधिक ही थीं। प्रविष्टियों की विविधता की सूची बहुत लम्बी है। १८ विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियां हैं। उनको पढ़ने में समय लगेगा।

†अध्यक्ष महोदय : उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इन प्रविष्टियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा, और यदि हां, तो कब और कहां ?

†डा० केसकर : सभी प्रविष्टियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसके लिये बहुत अधिक स्थान आवश्यक होगा। परन्तु उनमें से सर्वोत्तमों को जो कि काफी बड़ी संख्या में है, यहां एक

†मूल अंग्रेजी में।

प्रदर्शनी में, जिसे औद्योगिक प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था और बहुत से व्यक्तियों ने उनको देखा था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या चमड़े की जिल्द वाली पुस्तकें भी पुरस्कारों के साथ दी गई हैं ?

†**डा० केसकर** : जी, हां ।

**टिटेनियम डाईआक्साइड**

†***११४२. श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको कि सरकार इस समय निर्धारित लक्ष्य, अर्थात १,००० से १,२०० टन के अनुसार टिटेनियम डाईआक्साइड निर्यात करने की आशा करती है; और

(ख) त्रिवेन्द्रम के कारखाने में टिटेनियम डाईआक्साइड की उत्पादन लागत इंग्लैण्ड के मुकाबले में कितनी है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) आशा यही है कि अधिकांश निर्यात इंग्लैण्ड को किये जायेंगे ।

(ख) इंग्लैण्ड में टिटेनियम डाईआक्साइड की उत्पादन ज्ञात नहीं है। त्रिवेन्द्रम के एक मात्र कारखाने की अनुमानित उत्पादन लागत को प्रकट करना उचित नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि 'टिटेनियम डाईआक्साइड' पर यातायात शुल्क बढ़ा देने का कारण यह है कि 'टिटेनियम डाईआक्साइड' के उत्पादन पर ब्रिटेन में जितनी लागत आती है, वह भारत में आने वाली वर्तमान लागत से बहुत कम है ?

†**श्री कानूनगो** : शुल्क तो इस आधार पर बढ़ाये जाते हैं कि उसके यातायात पर कितना भार पड़ता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब यह फैक्टरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा उत्पादन करने लगेगी, तो उस समय स्वयं इसमें कितने लोगों को रोज़गार उपलब्ध करने की सम्भावना हो सकेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास वह जानकारी नहीं है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि 'टिटेनियम डाइआक्साइड' को बेचने का एकमात्र अभिकरण "मैस्सर्ज़ टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड", नामक एक सार्थ को दिया गया है, और यदि हां, तो किन निबन्धनों और शर्तों पर ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक मुझे ज्ञात है, उसे बेचने का काम किसी एक ही अभिकरण को नहीं दिया गया है । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, यदि मुझसे कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये, तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

†**श्री मात्तन** : वर्तमान स्थिति यह है कि सारे कार्य का प्रबन्ध त्रिवेन्द्रम की फैक्टरी द्वारा चलाया जा रहा है और उसका उत्पादित माल ब्रिटिश टिटेनियम फैक्टरी को भेज दिया जाता है । क्या मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है ? अब ऐसी दो अभिरुचित पार्टियां हैं जो अन्य स्थानों पर तैयार हुई वस्तुओं को बेच रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कानूनगो** : सारी बात ठीक इस प्रकार से नहीं है । वास्तविक बात यह है कि हम इस बात के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ये वस्तुयें अधिकांश रूप में हमारे अपने देश में ही प्रयोग में लाई जायें और मुख्य रूप से पालिश उद्योग में प्रयुक्त हो जायें, और यदि इनके मूल्य कम हुए तो उसका निर्यात सम्भवतः एक हज़ार टन तक बढ़ जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : मंत्री जी ने, श्री कामत के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा है कि अभी तक कोई भी एकाभिकर्ता नियुक्त नहीं किया गया है । क्या उनके विक्रय के लिये कोई अभिकर्त्ता नियुक्त किये गये हैं, और यदि हां, तो क्या वे अभिकर्त्ता निर्यात कार्य को भी संभालेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । जहां तक मुझे ज्ञात है, वे निर्यात के लिये नहीं हैं । परन्तु यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये तो मैं उसका सविस्तार उत्तर दूंगा ।

## चमड़े, खालों और तम्बाकू का निर्यात

†*११४३. **श्री श० व० ल० नरसिंहन्** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सरकारी व्यापार निगम ने चमड़े, खालों और तम्बाकू के संभरण के बारे में रूस से कोई करार किया है;

(ख) उस योजना को कार्यान्वित कैसे किया जायेगा; और

(ग) क्या इन वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करने के हेतु उन्हें अपने देश में खरीदने के लिये कोई संस्थापन है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं । बातचीत चल रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श० व० ल० नरसिंहन्** : क्या मंत्री जी का ध्यान ६ दिसम्बर के हिन्दू, आंध्र प्रभा तथा आन्ध्र पत्रिका नामक समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी व्यापार निगम के सभापति ने यह घोषणा की है कि रूस को २,००० टन 'गंटूर बरजीनिया' तम्बाकू भेजने के बारे में एक करार कर लिया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने बता दिया है कि बातचीत चल रही है । उन पर विचार किया जा रहा है । यद्यपि यह सच है कि रूस को तीन विभिन्न किस्मों के लगभग २,००० टन तम्बाकू के संभरण की एक औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जो अभी-अभी प्राप्त हुई है—तो भी अभी तक कोई ठेका नहीं किया गया है; मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री श० व० ल० नरसिंहन्** : क्या वह करार १९५६ की फसल के लिये है अथवा १९५७ की फसल के लिये ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मेरी टिप्पणियों से जान पड़ता है, यह करार उन परिमाण के सम्बन्ध में होगा जो विक्रय के लिये मुक्त किया जायेगा और शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगा । मुझे फसल विशेष के सम्बन्ध में पूरा निश्चय नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मूल प्रश्न के (भाग) (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकार सरकारी व्यापार निगम के माध्यम से छोटे निर्माताओं से तम्बाकू तथा खालों की देशीय वस्तुओं को खरीदने के लिये कौन-सा तरीका अपनायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री करमरकर** : हम बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं। जहां तक वस्तुओं को बेचने का सम्बन्ध है, हम यथासंभव विद्यमान अभिकरणों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ तम्बाकू को तम्बाकू परिषद् द्वारा बेचा जायेगा।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : मैं जानना चाहती हूं कि जो चमड़ा हम निर्यात करते हैं, वह किन-किन देशों को करते हैं और क्या अपनी आवश्यकता पूरी कर लेने के बाद हमारे पास चमड़ा बच रहता है ?

†**श्री करमरकर** : यह जो सवाल है यह यू० एस० एस० आर० को कुछ चीजें निर्यात किये जाने के बारे में है जिनमें चमड़ा भी एक है।

†**श्री च० रा० चौधरी** : यदि तम्बाकू के संभरण के सम्बन्ध में रूस से कोई करार किया गया हो तो क्या सरकारी व्यापार निगम स्वयं बाजार में जा कर वस्तुयें खरीदेगा अथवा कोई संस्थापन स्थापित किया जायेगा और निगम एक मध्य-जन के समान दूसरों के माध्यम से कोटा आवंटित किया करेगा ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : सरकारी व्यापार निगम कोई ऐसा तरीका अपनायेगा जो कि अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो।

**आकाशवाणी**

†***११४४. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आकाशवाणी में प्रति वर्ष तदर्थ प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं; और

(ख) उन तदर्थ नियुक्तियों के क्या कारण थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[ देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६० ]**

†**श्री अ० क० गोपालन** : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितनी अस्थायी नियुक्तियों को स्वीकृत किया गया है और कितनी नियुक्तियों को अस्वीकृत कर दिया गया है ?

†**डा० केसकर** : मेरे लिये यह बताना कठिन है कि कितनी नियुक्तियां अस्वीकृत हुई हैं। जहां तक दो मुख्य कोटियों का सम्बन्ध है, मुझे उनके सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं, जिन्हें विदेशों के लिये प्रसारण-कार्यों के लिये नियुक्त किया गया था। अन्य दो कोटियों के स्थानों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही नियुक्तियां की गई हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या नियुक्तियों के करते समय चुने गये व्यक्तियों के राजनीतिक सम्बन्धों का भी ध्यान रखा जाता है ?

†**डा० केसकर** : समस्त नियुक्तियों के लिये अन्त में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लेनी होती है। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग को उसे अनिवार्य रूप से अस्वीकार करना पड़ता है। जहां तक चुनने वालों का सम्बन्ध है, वे इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

†**श्री वेलायुधन** : क्या साधारण प्रथा यह है कि तदर्थ नियुक्तियां इसलिये की जाती हैं कि बाद में उन्हें स्थायी बना दिया जाये ? क्या इसी आशय से ये नियुक्तिया की जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० केसकर** : आशय के सम्बन्ध में तो माननीय सदस्य ही अच्छा जानते होंगे । नियुक्तियां सामान्यतया तभी की जाती हैं जबकि किसी नौकरी को जारी रखना होता है, और यह संभव नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति करने तक उसकी प्रतीक्षा की जाये । यहां स्थिति आपवादिक होती है । संघ लोक सेवा आयोग के पास काम बहुत अधिक होता है और इसलिये कभी-कभी नियुक्तियां छः-छः मास या पूरे वर्ष बाद ही होती हैं ।

†**श्री कामत** : विवरण में उल्लिखित है कि इस देश में विदेशी भाषाओं के जानने वालों की कमी होने के कारण आकाशवाणी के विदेशी भाषाओं के यूनिटों में दो प्रथम श्रेणी की नियुक्तियां की गई हैं । क्या इससे यह समझा जाये कि हम भाषा-विज्ञ भारतीयों के पास इतनी प्रतिभा नहीं है जिसके कारण भारतीय विदेशी दूतावासों द्वारा विदेशियों को इस काम के लिये चुना गया है ?

†**डा० केसकर** : जी, हां । आकाशवाणी के विदेशी भाषा के यूनिटों में बहुत से विदेशी नागरिक हैं । यद्यपि मेरे मित्र का यह कथन सत्य है कि भारत भाषा-विज्ञों का एक देश है, तो भी किसी विशेष विदेशी भाषा के लिये जिस स्तर तथा दक्षता की आवश्यकता होती है, उसके लिये तो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिये जो कि उस भाषा में प्रवीण हो । नहीं तो, उसका विदेशी भाषा के यूनिटों में कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि संसदीय कार्यवाहियों पर टीका करने के लिये एक तदर्थ विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है, और वह भी केवल संसद् के सत्रों में रात को केवल पांच मिनट बोलने के लिये और उसे लगभग १२०० रुपया प्रति मास का उच्च वेतन दिया जाता है ?

†**डा० केसकर** : वहां पर इस प्रकार के विशेष अधिकारी का कोई अलग स्थान नहीं है । आकाशवाणी का एक अपना विशेष संवाददाता है । जहां तक उसके वेतन आदि के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्येक रेडियो स्टेशन से सम्बद्ध कई कार्यक्रम निर्देशक नियुक्त किये हैं, और यदि हां, तो ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ? क्या वे नियुक्तियां भी संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई हैं ?

†**डा० केसकर** : आकाशवाणी में ऐसे अनेक पद हैं जिन्हें निर्माण पद[1] कहते हैं । ये स्थान संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं भरे जाते । हमारा उसके साथ एक ऐसा करार हुआ है कि जहां तक निर्माण-पदों का सम्बन्ध है वे स्थान आकाशवाणी द्वारा स्वयं ही भरे जा सकते हैं ।

## भारतीय समाचार आदि का प्रकाशन

***११४५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "भारतीय समाचार" और "इंडियन इनफॉर्मेशन" के प्रकाशन को फिर से शुरू करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मालूम हुआ है कि इन पत्रिकाओं का प्रकाशन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव एस्टीमेट कमेटी (प्राक्कलन समिति) ने अक्तूबर के आखिर में मंजूर कर लिया है । इस सम्बन्ध में और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पत्रिकाओं का फिर से प्रकाशन शुरू होने की कब तक आशा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Production Posts.

**डा० केसकर** : जब मिनिस्टरी के पास एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) की मंजूरी पहुंच जायेगी तब इस बारे में कार्यवाही की जायेगी । अभी यह बताना कि कब से इनका प्रकाशन शुरू होगा, मुश्किल है ।

## विस्थापित कृषकों व मजदूरों का पुनर्वास

†*११४७. **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने वाले विस्थापित लोगों में से उन भूमिहन कृषकों व खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास की सरकार के पास कोई योजना है जो कृषक वर्ग में नहीं आते;

(ख) यदि हां, तो योजना किस किस्म की है ;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में ऐसे व्यक्तियों का कोई अभिलेख तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). दिल्ली में ऐसे व्यक्तियों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया । उन्हें उन विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के कामों का अधिकार प्राप्त है, जो साधारणतया विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को यह बात विदित है कि ये विस्थापित व्यक्ति न तो जमींदारों के वर्ग में और न ही दावेदारों के वर्ग में आते हैं तथा वे दिल्ली में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ? वे अपने लाभों के लिये दिल्ली राज्य सरकार को इस विषय में आवेदनपत्र देते रहे हैं कि कम से कम उन्हें कुछ भूमि तो दे दी जाये । क्या सरकार ने उनके लिये कोई योजना बनाई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक दिल्ली राज्य सरकार का सम्बन्ध है, मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं, परन्तु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए किसी भी विस्थापित व्यक्ति को भारत में उन अधिकारों की तुलना में अच्छे अधिकार नहीं दिये जा सकते जो उसे पश्चिमी पाकिस्तान में प्राप्त थे ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को यह विदित है कि ये विस्थापित व्यक्ति बेदखल किये गये कृषकों से भी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बेदखल कृषकों को किसी विधि के अधीन कुछ भूमि प्राप्त करने का दावा करने का अधिकार है ? इन विस्थापित व्यक्तियों को न तो कोई भूमि दी जाती है और न ही अन्य लाभ प्रदान किये जाते हैं तथा वे गत ८ वर्षों से परेशानी उठा रहे हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं बता चुका हूं कि उन्हें किसी भी अन्य विस्थापित व्यक्तियों की भांति लाभों का अधिकार है । जहां तक जमीन देने का सम्बन्ध है, हमें तो दावेदारों को भी जमीन देना मुश्किल पड़ रहा है; दावा न करने वालों का कहना ही क्या ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार इन व्यक्तियों को उन जमीनों में कृषक के रूप में बसाने की कोई योजना बनायेगी जो पहिले उन मुसलमान किसानों के पास थी जो पाकिस्तान चले गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जो भी जमीन निष्क्रांत सम्पत्ति बनी है वह विस्थापित व्यक्तियों को उन जमीनों के बदले में दी जा रही है जो वे पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ कर चले आये हैं । भारत सरकार को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि ये जमीनें पहिले मुसलमान किसानों के पास थीं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**आंचल व्यवस्था (त्रावनकोर-कोचीन)**

†***११५०. श्री अ० म० थामस** : क्या **संचार** मंत्री वे निबन्धन और शर्तें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की, जिनके अन्तर्गत केन्द्र ने भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य की आंचल व्यवस्था अपने हाथ में ली, और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभिकरण व्यवस्था की वह अवधि और वे शर्तें क्या हैं जिनके अन्तर्गत पहिले के त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने सेवायें चलाई थीं; और

(ख) आंचल विभाग मे कितने कर्मचारियों को केन्द्र ने लिया है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : निबंधनों और शर्तों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [ **दखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१** ]

(क) अभिकरण व्यवस्था की अवधि १-४-५० से ३१-३-१९५१ तक थी; जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें व्यवस्था की शर्तों का उल्लेख है ।

(ख) २२३९ ।

†**श्री अ० म० थामस** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता लगता है कि केन्द्र ने विभाग को १-४-५० को अपने नियन्त्रण में लिया था । यह इस वक्तव्य से प्रकट होगा :

> "आंचल व्यवस्था के संचालन से सम्बन्धित आय और व्यय को भारतीय डाक और तार विभाग के आय-व्ययक में लिया जाना था । अत: यदि व्यवस्था के संचालन से कोई लाभ होता है तो वह भारतीय डाक और तार विभाग को होगा और यदि कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति भी उसी भांति उस विभाग द्वारा की जायेगी ।"

यदि यह बात है तो इसका क्या कारण है कि १-४-१९५० से आय-कर विभाग, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग आदि के अन्य कर्मचारियों के साथ आंचल व्यवस्था के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन-क्रम नहीं दिये जाते हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : स्पष्ट कारण यह है कि १-४-५० से ३१-३-५१ तक के काल में आंचल व्यवस्था को डाक विभाग के अभिकरण के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा था । अनेक कारणों से भारतीय राज्य वित्त जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया गया था ।

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तविकता यह है कि राज्य के आंचल कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था । चालू वर्ष में संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय जब यह मामला उठाया गया था तब संचार मंत्री ने कहा था कि इन कर्मचारियों को भी १-४-५० से केन्द्रीय वेतन-क्रमों के लाभ देने के अनुदेश दे दिये गये हैं । कुछ कर्मचारियों को वास्तव में भुगतान किया गया था । ऐसा करने में वास्तविक कठिनाई क्या है ? अभिकरण व्यवस्था का अत्यधिक अप्रविधिक निर्वचन क्यों किया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा ख्याल है कि इसे अत्यधिक अप्रविधिक निर्वचन नहीं माना जा सकता । मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक अन्य भूतपूर्व राज्यों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अर्थात् वे कर्मचारी जो डाक और तार विभाग की सेवा में ले लिए गये हैं, उन्हें संविधान के लागू होने के बाद १-४-५० से डाक और तार के वेतन-क्रमों पर वेतन दिये गये हैं । आंचल व्यवस्था के कर्मचारियों के बारे में एक विशिष्ट बात थी क्योंकि उनके मामले में हमें भारतीय राज्य वित्त जांच समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप एक विशिष्ट प्रबन्ध करना पड़ा । अत: आंचल व्यवस्था के कर्मचारियों को वही लाभ न दिये जा सके क्योंकि उनका एक कठिन मामला था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० म० थामस** : राज्य वित्त जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार, जिनका उल्लेख माननीय मंत्री ने किया है, कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी राज्य की शर्तों या सेवा सम्बन्धी केन्द्र की शर्तों में से एक को स्वीकार करना था। क्योंकि उहोंने केन्द्रीय शर्तों को स्वीकार कर लिया है, इसलिये क्या अब केन्द्रीय सरकार को यह कहने का अधिकार है कि उन्हें लाभों का अधिकार नहीं दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे इस कथन में गलती होने पर शुद्धि की जा सकती है कि जहां तक आंचल के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें वह विकल्प नहीं दिया गया था।

†**श्री अ० म० थामस** : उन्हें दिया गया था।

†**श्री राज बहादुर** : ..... १-४-५० से। उन्हें १-४-५१ को लिया गया था। ३१-३-५१ तक वे अभिकरण व्यवस्था के अन्तर्गत आते थे।

†**श्री अ० म० थामस** : यह बात सच नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या स्वयं इस सभा में भूतपूर्व मंत्री, स्वर्गीय श्री किदवई, ने निश्चित रूप से यह कहा था कि उनकी सेवायें १-४-५० से मानी जायेंगी ? क्या माननीय मंत्री को यह विदित है और क्या इस बात की पूर्ति हो गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : श्री किदवई द्वारा दिये गये किसी ऐसे वक्तव्य की मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि आरम्भ में विनिश्चय यह था कि आंचल व्यवस्था दो या तीन वर्ष तक अभिकरण के आधार पर कार्य करेगी। वस्तुतः प्रथम वर्ष समाप्त होने से बहुत पहिले व्यवस्था समाप्त हो गयी और उन्हें १-४-५१ से ले लिया गया।

†**श्री मात्तन** : आंचल कर्मचारियों के १-४-५० से बकाया का भुगतान करने के लिये दिल्ली से डाक और तार विभाग ने निश्चित आदेश दिये थे। तदनुसार, बिल बनाये गये, उनकी लेखा परीक्षा की गई और उनमें से कुछ का भुगतान किया गया। अब, उन्होंने वह आदेश रद्द कर दिया है और उनसे भुगतान की गई राशि लौटाने को कहा गया है। जब कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये प्रत्येक अन्य विभाग १९५० से लाभ प्राप्त होते हैं, तो इन लोगों के मामले में विलम्ब करने में क्या युक्ति है ? मेरा ख्याल है कि डाक और तार विभाग के लिये यह बहुत थोड़ी राशि है।

†**श्री राज बहादुर** : युक्ति बहुत स्पष्ट है। क्योंकि आंचल की डाक की दरें और आंचल के कर्मचारियों के वेतन या वेतन-क्रम भारतीय डाक और तार की दरों या वेतन-क्रमों की अपेक्षा बहुत कम हैं तथा आंचल व्यवस्था के कर्मचारियों को एक अभिकरण के आधार पर लिया गया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते कि हमें आंचल के कर्मचारियों को भी संविलयन के उचित लाभ देने चाहियें। आरम्भ में, जब राज्य के लोगों को १-४-५० से डाक और तार के वेतन-क्रम दिये गये तो इन कर्मचारियों को भी उन्हीं के समान समझा गया। बाद में, यह देखा गया कि उनका मामला एक भिन्न मामला है। अतः हो सकता है कि कुछ भुगतान हो गये हों। जहां तक इन कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं उस पर विचार करूंगा।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि फेडरल वित्तीय संविलयन के बाद इन कर्मचारियों को, जिन्होंने भारत सरकार की सेवा में आने के लिये इच्छा प्रकट की थी, किसी अभिकरण के अधीन समझा गया था ? इसके साथ ही सरकार ने डाक और पंजीयन की दरों को पुनरावर्तित किया था। उस काल में डाक विभाग को उस आय से कहीं अधिक आय हुई थी जितनी कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार को हुआ करती थी। यदि ऐसा है तो, इस अतिरिक्त राजस्व में से भुगतान करना सरकार के लिये कठिन क्यों है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राज बहादुर** : मेरा ऐसा ख्याल है कि अन्तर को स्पष्ट रूप से समझा जायेगा। मैंने कहा था कि आंचल के लोग अल्प आय वाले कर्मचारी हैं। डाक की दरें भी कम थीं। अन्य भूतपूर्व राज्य के लोगों की अपेक्षा उनका एक विशेष वर्ग था। उनके सम्बन्ध में यह अन्तर रखा गया। उन्हें समान लाभ देने के लिये हमें सम्पूर्ण मामले पर विचार करना होगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या माननीय मंत्री भूतपूर्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन और वचन की जांच करेंगे और इस मामले पर विचार करेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बात मैं पहिले ही कह चुका हूं।

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे प्रसन्नता है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस एक प्रश्न पर मैं कितने प्रश्न स्वीकार करूं ? मैं अगला प्रश्न लूंगा।

†**श्री अ० म० थामस** : श्रीमान्, एक प्रश्न। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और २,००० व्यक्तियों को प्रभावित करता है। जब कि केन्द्र द्वारा लिये गये अन्य कर्मचारियों, जैसे आय कर विभाग के कर्मचारियों, उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों, को लाभ दिये गये हैं, इन लोगों को लाभ देने से इन्कार किया जाता है। यह सभा में दिये गये आश्वासनों के भी विरुद्ध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सभा में ये आश्वासन दिये गये हैं कि उन्हें भी १-४-५० से केन्द्रीय वेतन क्रम दिये जायेंगे। पिछले अप्रैल मास में एक आश्वासन दिया गया था। माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इस मामले पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हैं। परसों मुझे माननीय मंत्री से इस बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था कि वित्त मंत्रालय मुझे पहिले ही उत्तर दे चुका है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री अपने इस वचन का कैसे पालन करेंगे कि वह इस मामले पर पुनः विचार करेंगे।

†**श्री राज बहादुर** : कदाचित् माननीय सदस्य यह समझेंगे कि उन्होंने एक अलग पत्र भेजा था और उसका उत्तर दे दिया गया है। उसके होते हुए भी मैं मामले पर पुनः विचार करूंगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : माननीय मंत्री के पूर्वाधिकारी ने कुछ आश्वासन और वचन दिये थे कि मामले पर विचार किया जायेगा। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उनसे यह कहने को कहें कि वह मामले की जांच करेंगे और उस पर विचार करेंगे ?

†**श्री वेलायुधन** : यह पूरा क्यों नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आश्वासन समिति से इस मामले पर विचार करने के लिये कहूंगा।

## स्वचालित चरखे

†*११५१. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सूती कपड़ा मिलों में अतिरिक्त स्वचालित चरखों की संख्या कितनी हैं जिन्हें ३५ करोड़ गज कपड़े के अतिरिक्त उत्पादन के लिये स्थापित करने की अनुमति दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उनकी राज्यवार संख्या कितनी है:

(ग) क्या इन चरखों से बना कपड़ा निर्यात बाजार के लिये विशेषत: सुरक्षित रखा जायेगा;

(घ) अब तक इस नियतन के अन्तर्गत कपड़ा मिलों ने कितने चरखे लगा लिये हैं: और

(ङ) उनमे बना कितना कपड़ा निर्यात किया जा चुका है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). निर्यात किये जाने वाले ३५ करोड़ गज कपड़े के उत्पादन के लिये अधिष्ठापित १८,००० स्वचालित चरखों की अपेक्षा १०७ मिलों में १०,५१२ स्वचालित चरखों के अधिष्ठापन के लिये शर्त-पत्र दे दिये हैं। इन १०,५१२ चरखों का राज्यवार नियतन दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२ ]**

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) अभी तक कोई चरखा नहीं लगाया गया है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तुलसीदास** : क्या माननीय मंत्री का विचार है कि इन करघों को लगाने से हम अपना कपड़ा सस्ते दामों पर निर्यात कर सकेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां; यही आशा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कपास को देखते हुए बर्मा को निर्यात किये जाने वाले कपड़े के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? क्या बम्बई में स्वचालित करघों में उत्पादित कपड़ा लिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : स्वचालित करघों को वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा, बर्मा से समझौता वार्ता का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं है ।

## तूफान का पता चलाने के लिये राडार

†*११५३. **सरदार इकबाल सिंह**<br>**श्री मु० इस्लामुद्दीन** :<br>**सरदार अकरपुरी** :

क्या **संचार** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली हवाई अड्डे पर वेधशाला के आधुनिकीकरण के लिये तूफान का पता लगाने वाला राडार उस सार्थ से प्राप्त हो गया है जिसे व्यादेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कीमत तथा प्रासंगिक व्यय क्या है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)**: (क) तूफ़ान का पता लगाने वाला राडार तथा इसके साथ ही इसके बहुत से उपकरणों आदि को पहिले से ही अमेरिका से जहाज द्वारा भेजा जा चुका है । इन उपकरणों का एक भाग अभी प्राप्त हुआ है और आशा है शेष सामान भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा । कुछ अन्य सहायक उपकरणों का केवल अगले वर्ष ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) राडार सैट तथा इसके सहायक उपकरणों का प्राक्कलित मूल्य १०·२५ लाख रुपये है और प्रासंगिक व्यय और संस्थापना व्यय लगभग २·१५ लाख रुपये होगा । यह उपकरण अमेरिका के प्रविधिक सहयोग सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे भारतीय विमानों की संख्या कितनी है जिनमें रेडियो टेलीफोन सेवा का प्रबन्ध है, क्योंकि यह उपकरण केवल तभी लाभदायक होगा यदि हमारे विमानों में इस सेवा की व्यवस्था होगी ?

†**श्री पाटस्कर** : क्या माननीय सदस्य प्रश्न को दोहरायेंगे ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस प्रकार का उपकरण बम्बई हवाई अड्डे पर भी संस्थापित किया जाएगा ?

†**श्री पाटस्कर** : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है । हम इस पर विचार करेंगे ।

## डिब्रूगढ़-पाशीघाट विमान सेवा

†*११५४. **श्री गोहेन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्रूगढ़ और पाशीघाट (उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण) के बीच कितनी यात्री विमान सेवायें सप्ताह में क्रियाकारी हैं और किस-किस दिन;

(ख) क्या ४ अक्तूबर, १९५६ और ७ अक्तूबर, १९५६ के बीच उपरोक्त मार्ग पर सेवायें बन्द हो गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या था; और

(घ) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण की वायु सेवायें अनियमित हैं और इस बात से यात्रियों तथा पदाधिकारियों को अत्यन्त असुविधा होती है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन डिब्रूगढ़ और पाशीघाट के बीच प्रत्येक सप्ताह में चार बार अर्थात मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और रविवार की यात्री एवं भारवाही वायु सेना चलाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ४-१०-१९५६, ५-१०-१९५६ ... मौसम की खराबी के कारण ।
६-१०-१९५६ ... चलाने के लिये अनुसूचित नहीं थी ।
७-१०-१९५६ ... पासीघाट हवाई अड्डा अनुपयोज्य होने के कारण ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि सेवा के बन्द कर देने या बिलम्ब होने का अधिकांशत: कारण खराब मौसम का होना है ।

## काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान का पत्र

†*११५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
**श्री ही० ना० मुकर्जी** :
**श्री गिडवानी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पाकिस्तान सरकार से एक अनुस्मारक प्राप्त हुआ है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के एक पूर्ण भाग के रूप में संविधान की प्रख्यापना पर भारत सरकार के विचार पूछे गए हैं;

(ख) क्या उक्त अनुस्मारक में और या अन्यथा किसी और प्रकार पाकिस्तान सरकार ने यह सिद्ध किया है कि उक्त संविधान सभा की कार्यवाही जम्मू तथा काश्मीर में जनमत के सम्बन्ध में भारत

†मूल अंग्रेजी में ।

तथा पाकिस्तान द्वारा अपने पर ली गई अन्तर्राष्ट्रीय वाक्बद्धताओं की दृष्टि से शक्तिपरस्तात है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस प्रश्न पर भारत सरकार के विचार कई बार बताये जा चुके हैं और सुज्ञात हैं। पाकिस्तान अनुस्मारक का उत्तर शीघ्र ही भेंज दिया जायेगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या राज्य की संविधान सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पूर्ण संविलयन के बाद भी जनमत का प्रश्न उत्पन्न होता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूर्ण संविलयन का कोई प्रश्न नहीं है। १९४७ में संविलयन हो गया था ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : दिल्ली में कुछ व्यक्ति 'साइकलोस्टाइल' किए गए कागज परिचालित कर रहे हैं जिनमें कहा गया है कि जम्मू तथा काश्मीर का संविधान अलोकतंत्रात्मक है । क्या इस दल का पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे पाकिस्तान द्वारा उकसाये गये हैं ?

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस प्रचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार इस प्रकार के प्रचार का कड़ा अननुमोदन करती है जो कि न केवल पूर्णत: मिथ्या अनुमानित है बल्कि तथ्यों के विचार से भी पूर्णत: गलत है किन्तु सभा को ज्ञात है कि हम एक लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के अधीन कृत्यकारी हैं जिसमें लोग अत्यन्त मूर्खता की तथा अत्यन्त आपत्तिजनक बातें कह सकते हैं और हमें उन्हें सहन करना पड़ता है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि कुछ महीने हुए, दिल्ली की एक सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री ने कहा था कि उन्होंने काश्मीर समस्या के एक विभिन्न आधार पर अर्थात् वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर, समाधान के लिये पाकिस्तान को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो क्या उनका अब भी यही दृष्टिकोण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन आठ वर्षों की सम्पूर्ण अवधि में, या जब से यह विवाद प्रारम्भ हुआ है तब स भारत सरकार का प्रथम उद्देश्य यही रहा है कि अन्य समस्याओं की भांति इस समस्या का भी एक शान्तिमय समाधान ढूंढा जाय । इस समाधान की खोज में हमने विगत दिनों में संयुक्त राष्ट्र के जो भी विभिन्न प्रतिनिधि यहां आए थे, उन्हें सभी प्रकार के दृष्टिकोण तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किये, किन्तु हम उसमें सफल नहीं हुए हैं । जैसा कि मैन कहा है, इस बीच सभी प्रकार के प्रस्ताव तथा सुझाव दिए गए हैं । यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो वे वहीं खत्म हो जाते हैं । जिन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया उन्हें मेरे दोहराने से कोई लाभ नहीं है ।

†**श्री कामत** : प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान युद्ध-विराम रेखा पर काश्मीर के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था और यदि हां, तो क्या वह अब प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं यह फिर कहना चाहूंगा कि शान्तिमय समाधान के लिये हमारी चिन्ता इतनी प्रबल रही है कि हमने प्रत्येक मार्ग को खोजने का प्रयत्न किया है और लगभग दो वर्ष या इससे कुछ अधिक समय हुआ, जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री यहां पर आये थे तो मैंने उनसे प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेजी में ।

किया था और मैंने उन्हें बताया था कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बात को खत्म करने के लिये इतने इच्छुक हैं कि हम विद्यमान स्थिति के आधार पर ऐसी छोटी समायोजनाओं के साथ जो कि आवश्यक हों, उनसे बात करने के लिये तैयार हैं। मैंने उस समय यह सुझाव अवश्य दिया था परन्तु अब माननीय सदस्य द्वारा मेरी स्थिति पूछने से कोई लाभ नहीं है। मेरी स्थिति कोई कल्पनात्मक नहीं है। मुझे एक पक्ष से व्यवहार करना होता है। जब तक दूसरा पक्ष कुछ स्वीकार नहीं करता, मैं खाली किसी से व्यवहार नहीं कर सकता हूं।

†**श्री कामत :** क्या जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने सुझाव को स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो क्या यह हमारे संविधान का भी अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि संविधान में जम्मू तथा काश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण के लिये उपबन्ध है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अन्तिम निर्णय जो कुछ भी किया जायेगा, वह भारत के प्रधान मंत्री या भारत सरकार द्वारा नहीं होगा। उसे इस सभा द्वारा विचार के लिये संसद् के समक्ष आना ही होगा।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये भाषण की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान काश्मीर के सम्बन्ध में वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर राज्य के विभाजन के निर्णय को स्वीकार कर लेगा और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को इस बात से संसूचित किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, हां**।

## कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का सुधार

†*११५६. **श्री म० कु० मैत्र :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम ने गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) तथा (ख). जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता सुधार प्रन्यास की गन्दी बस्तियों को साफ करने से सम्बन्धित योजनायें भेजी गयी हैं। हाल ही में इन योजनाओं पर कलकत्ता में केन्द्रीय, राज्य तथा सुधार प्रन्यास प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया था और इस बातचीत के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार गन्दी बस्तियों की समाप्ति और सुधार के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो क्या वह विधेयक इस संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा अथवा अगली संसद् में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक संघ क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों की समाप्ति का प्रश्न है, सरकार का यह इरादा है कि गंदी बस्तियों की समाप्ति के लिये विधान बनाया जाय। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संसद् के पास इतना समय है कि वह उस विधान पर अभी विचार कर सके। राज्यों के क्षेत्र में गन्दी बस्तियों की समाप्ति राज्य का विषय है तथा इस विषय पर विधान बनाते समय विचार करना राज्य विधान सभाओं पर निर्भर करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**प्रधान मंत्री द्वारा बाद में इस उत्तर में संशोधन किया गया था। देखिये पृष्ठ ११६३।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार द्वारा भारत के बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की समाप्ति के लिये कोई एकरूपी योजना आरम्भ की गई है, यदि हां, तो भारत सरकार और राज्य सरकारें परस्पर मिलकर किस सीमा तक उस एकरूपता को बनाये रख सकी हैं या भविष्य में उसे बनाये रख सकेंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय महिला सदस्य को ज्ञात है कि मैंने कुछ महीने पूर्व सभा-पटल पर योजना की एक प्रतिलिपि रखी थी तथा विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी गयी एक परिपत्र की प्रतिलिपि रखी थी जिसमें इस प्रश्न के सम्बन्ध में उनके सुझाव मांगे गये थे। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि गंदी बस्तियों की समस्या प्रत्येक नगर में भिन्न है तथा एकरूपी रूपरेखा बनाना उचित नहीं होगा। स्थान के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा।

†**श्री साधन गुप्त :** किन कारणों से पुनरीक्षित मसौदा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई ? वार्ता के दौरान में कौन-कौन सी कठिनाइयां पैदा हुई थीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कोई विशेष कठिनाइयां पैदा नहीं हुई थीं। कलकत्ता सुधार प्रन्यास की योजना, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के प्रकार की नहीं थी। कलकत्ता सुधार प्रन्यास के अनुसार व्यय का अनुमान बहुत अधिक था, जिसे हम वहन नहीं कर सकते।

## आंध्र में उड्डयन क्लब

†***११५७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र में उड्डयन क्लब खोलने की योजना का अन्तिम रूप से विनिश्चय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्लब कब खुलेगा ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) और (ख). सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि हैदराबाद राज्य उड्डयन क्लब, जो अब आंध्र राज्य में है और जिसने अक्तूबर, १९५१ से अपनी क्रियाशीलता को स्थगित कर दिया था, पुनः चालू किया जाय। सरकार ने यह शर्त रखी है कि उड्डयन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व क्लब को कम से कम १०० व्यक्ति सदस्य बनाने चाहियें।

## भारतीय विमान निगम क पाकिस्तानी कर्मचारी

†***११५८. श्री गिडवानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान निगम के पाकिस्तानी कर्मचारियों ने सितम्बर १९५६ को निगम के कराची कार्यालयों में भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) क्या बम्बई और कलकत्ता में पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स के कार्यालयों में कोई भारतीय नियुक्त हैं ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) और (ख). जी, हां।

†**श्री गिडवानी :** कराची में विमान निगम में कितने भारतीय नियुक्त हैं ?

†**श्री पाटस्कर :** कराची में कुल ९५ कर्मचारी हैं जिनमें केवल ७ भारतीय नागरिक हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

### मिस्र में संयुक्तराष्ट्रीय सेना

†**अ० सू० प्र० संख्या ८. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्र में संयुक्तराष्ट्रीय आपातकालीन पुलिस दल की भारतीय टुकड़ी की सैनिक संख्या क्या है;

(ख) पुलिस बल के कर्त्तव्य, कार्य तथा शक्तियां क्या हैं;

(ग) मिस्र की सरकार के प्रति इस पुलिस बल का प्रतिष्ठास्थान क्या है; और

(घ) यह पुलिस बल मिस्र में कब तक काम करेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उत्तर कुछ लम्बा है तथापि मैं उसे पढ़ने को तैयार हूं ।

(क) ८६८, जिसमें ७२४ सैनिकों की बटालियन और सहायक एकक शामिल हैं ।

(ख) से (घ). संयुक्तराष्ट्रीय महासभा के ५ नवम्बर, १९५६ के संकल्प के अन्तर्गत महासभा के २ नवम्बर, १९५६ के संकल्प की समस्त शर्तों के साथ युद्ध क्रियाशीलता की समाप्ति तथा पर्यवेक्षण के लिये, एक संयुक्तराष्ट्रीय आपातकालीन सेना की स्थापना की गई थी और सैक्रेटरी जनरल से संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था । मिस्र की सरकार से परामर्श करने के पश्चात् सेक्रेटरी जनरल ने इस सेना के कर्त्तव्य तथा कार्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव रखे, जिसे ७ नवम्बर, १९५६ में महासभा ने अनुमोदित कर लिया । वे इस प्रकार हैं :

"जब युद्ध विराम सन्धि को लागू किया जा रहा हो, तब विदेशी सेनाओं के हटाने के दौरान तथा पश्चात् शान्ति बनाये रखने के लिये तथा २ नवम्बर, १९५६ के संकल्प की अन्य शर्तों को क्रियान्वित करने के लिये, मिस्र की सरकार की सहमति से, मिस्री क्षेत्र में जाने पर, स्पष्टत: इस सेना को सिवाय उन अधिकारों के, जो उन्हें स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये चाहियें, कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होंगे । इस दल का काम पर्यवेक्षक दल से अधिक होगा किन्तु इसे किसी प्रकार से उस सैनिक दल के समान नहीं समझा जायगा जो अस्थायी रूप से उस क्षेत्र का नियंत्रण करती है जहां वह नियुक्त है";

मैं इन्हें विदेशों से उद्धृत कर रहा हूं :

"इसके अलावा भी, इस सेना को, शान्ति स्थापना करने के लिये आवश्यक कार्यों से अधिक सैनिक कार्य नहीं करना होगा । यह अनुमान करते हुए कि दोनों विरोधी पक्ष, महासभा की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे इस आधार पर उसका कार्य उस क्षेत्र में होगा जो मोटे तौर पर स्वेज नहर से लेकर मिस्र तथा इजराइल के बीच हुई सन्धि के द्वारा स्थापित युद्ध विराम रेखा के बीच है ।"

भारत तथा बर्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया की सरकारों के मतानुसार जिन्हें नई दिल्ली में उक्त देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किया गया था, संयुक्तराष्ट्र संघ आपातकालीन सेना अस्थायी होनी चाहिये तथा उसका कार्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयोजनों तक ही सीमित रहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : जैसा कि हाल में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपातकालीन सेना की भारतीय टुकड़ी को सिनाइ प्रायद्वीप में नियुक्त किया जायगा या वह वहीं काम करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं । यह निश्चित करना दल के कमान्डर पर निर्भर करता है । वह उनका स्थानान्तरण कर सकता है ।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान, मिस्र के प्रेजीडेन्ट द्वारा दिये गये कल के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि वहां वर्तमान तनाव के कारण किसी भी समय वहां युद्ध भड़क सकता है, और यदि हां, तो क्या संयुक्तराष्ट्र संघ आपातकालीन सेना इस तनाव को किसी सीमा तक कम करने में सफल हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रेजीडेंट नासर द्वारा दिये गये वक्तव्य का कुछ जिक्र मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है । उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है । यह उनका दृष्टिकोण है । मैं उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं । जहां तक मैं जानता हूं इस समय कभी-कभी छुट-पुट संघर्ष के अलावा कोई युद्ध नहीं हो रहा है । इस दल के वहां भेजने का सारा उद्देश्य तनाव को रोकना और संघर्ष को रोकना है । मुझे इसमें संदेह नहीं है कि अब तनाव बहुत कम है, किन्तु तनाव अभी मौजूद है ।

†**श्री कामत**: क्या यह पहिला अवसर नहीं है जबकि विश्व संस्था संयुक्तराष्ट्र संघ के तत्वाधान में किसी देश में शान्ति स्थापित करने और आक्रमण को रोकने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय दल बनाया गया और यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री के विचार से यह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रीय सेनाओं की समाप्ति अथवा विघटन और निकट भविष्य में युद्ध को अवैधानिक बना देने का शुभ संकेत है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अधिक व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री कामत** : बहुत अच्छा । मैं एक अन्तिम प्रश्न पूछूंगा । प्रधान मंत्री सत्र के अवशेष समय सभा में नहीं रहेंगे तथा प्रधान मंत्री जी को भी सभा का अभाव महसूस होगा । इसलिये मैं अन्तिम प्रश्न पूछ रहा हूं ।

क्या प्रधान मंत्री सभा को यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या वे, विशेषत: मिस्र तथा उस देश में आंग्ल-फ्रांसीसी आक्रमण क सम्बन्ध में अमेरिका की सरकार तथा भारत सरकार के बीच सहमति और दृष्टिकोण की एकता को ध्यान में रखत हुए अपनी अमरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजनहावर से स्वेज नहर की समस्या पर तथा विरोधी अरब राष्ट्रों के बीच इजराइल की सुरक्षा तथा स्थायित्व की भी चर्चा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने बहुत मनोरंजक प्रश्न उठाये हैं । यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उन्हें यह बताता हूं कि हमारे सम्मुख चर्चा के लिये कोई कार्यसूची नहीं है ; राष्ट्रपति जिस बात का सुझाव देंगे उस पर अथवा जो बात उस समय मेरे दिमाग में आये, उस पर चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री कामत** : उन्होंने उत्तर भी बहुत मनोरंजक दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

## काश्मीर के लिये संयुक्त राष्ट्रीय सेना

†**अ० सू० प्र० संख्या ९. श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संवाददाताओं के सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा ७ दिसम्बर, १९५६ को दिये गये उस वक्तव्य का पता है कि उनकी सरकार भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं के स्थान पर काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं को नियुक्त करने का समर्थन करती है; और

(ख) इस प्रश्न के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में संयुक्त राष्ट्र संघ का पुलिस दल के भेजने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । १९ अगस्त, १९४८ को पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सरकार से यह पूछा था कि क्या वह अगस्त १९४८ के आयोग के संकल्प के अनुसार राज्य से हटाई जाने वाली पाकिस्तानी सेनाओं के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अथवा निष्पक्ष सेना भेजने का विचार कर रही है । आयोग ने अपने १९ अगस्त, १९४८ के उत्तर में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि उनका कोई ऐसा विचार नहीं है ।

काश्मीर ने जो कि भारतीय क्षेत्र है, किसी बाहरी सेना के आने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान में बताया था कि संभवत: सुरक्षा परिषद् काश्मीर समस्या पर आगामी जनवरी में विचार करेगी । क्या इस वक्तव्य में कुछ सत्यता है ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : जी नहीं । माननीय सदस्य ने जिस वक्तव्य की ओर निर्देश किया है, मैंने उसे पढ़ा है । मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान सरकार और अब क्या कर सकती है । पिछले कुछ सप्ताह में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अनेक वक्तव्य दिये हैं । इनमें से कुछ तो बिल्कुल विचित्र हैं ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : उसी प्रेस कांफ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत से अपनी रक्षा करने के लिये पाकिस्तान बगदाद संधि राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति पर निर्भर करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे ? माननीय सदस्य ने प्रेस कांफ्रेन्स का एक विषय लेकर काश्मीर में भारतीय और पाकिस्तान सेनाओं का स्थान संयुक्त राष्ट्र सैनिक दस्ते को देने तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर भारत सरकार की नीति के सम्बन्ध में पूछना आरम्भ कर दिया है । प्रेस कांफ्रेंस में और भी बहुत सी बातों की चर्चा हो सकती है । एक ही विषय से सम्बन्धित अल्प सूचना प्रश्न पर चर्चा के दौरान में क्या हम प्रेस कांफ्रेंस की सब बातों पर विचार करेंगे ? ऐसा नहीं होना चाहिये । हम अगला प्रश्न लेंगे ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : यह प्रश्न उससे सम्बन्धित है .....

†**अध्यक्ष महोदय**: नहीं । म दूसरा प्रश्न ल रहा हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : प्रधान मंत्री उसका उत्तर देने के लिये तत्पर हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दें या नहीं दें, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*११२५. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खदानों के नाम जहां अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खदान विवाद) पंचाट को अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) इन कोयला खदानों के प्रबन्धकर्ताओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) पंचाट के प्रकाशन के बाद कितने अतिरिक्त श्रम निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) पंचाट के अन्तर्गत ९६० कोयला खदानों में से लगभग सभी ने तत्सम्बन्धी अनुदेश की पूर्ति कर दी है। जिन कोयला खदानों में अभी यह क्रियान्विति असंतोषजनक है उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [ **देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३** ]

(ख) औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था के अधिकारियों को उन कोयला खदानों के जिनमें कि पंचाट की क्रियान्विति असंतोषजनक रही है प्रबन्धकर्ताओं को इस आशय के नोटिस देने के लिये अनुदेश दिये गये हैं कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

(ग) चौदह।

## राज्य व्यापार निगम

†*११३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर वह उद्योग तथा व्यापार प्रतिनिधियों से किस प्रकार परामर्श करता है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : उद्योग तथा व्यापार प्रतिनिधियों से परामर्श करने के लिये राज्य व्यापार निगम के पास कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है। वस्तु विशेष के व्यापार संगठन को देखते हुए वैयक्तिक प्रतिनिधियों अथवा संस्थाओं से परामर्श किया जाता है।

## भारी मशीनों का निर्माण

†*११३२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
**सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीनों के निर्माण के लिये एक यन्त्र की स्थापनाके सम्बन्ध में भारत सरकार को परामर्श देने के लिये यहां आये हुए सोवियत रूस के परामर्शदाता दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## सूती वस्त्र का निर्यात

†*११३९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री मध्य-पूर्व के देशों में भारत के सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [ **देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४** ]

## वियतनाम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†*११४०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी वियतनाम ने वियतनाम युद्ध विराम का पर्यवेक्षण करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से 'मीटो' देशों द्वारा दक्षिण वियतनाम योजनाबद्ध युद्धाभ्यास को रोकने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** (क) जी, हां ।

(ख) सामान्य पद्धति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने इस विषय पर दक्षिण वियतनाम सरकार से बातचीत आरम्भ कर दी है ।

## निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानों का किराया

†*११४६. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानों का किरायेदारों द्वारा दिया गया किराया, किराये के स्थान पर "अनुज्ञप्ति" धन समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो दोनों में क्या अन्तर है; और

(ग) नियमित किराये को किराया न मानने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). निष्क्रांत व्यक्तियों की जायदाद के अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में कुछ मामले हैं । सामान्यतया जो नीति है, उसके अनुसार पहली जनवरी, १९५४ के पूर्व विस्थापित व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे को इस शर्त पर नियमित मान लिया जाता है कि वे बकाया किराया अदा कर दें । नियमित रूप प्रदान करने तक अनधिकृत रूप में कब्जा करने वालों से जो रकम मिलेगी उसे "अनुज्ञप्ति शुल्क" कहा जाता है । अधिकृत कब्जाधारियों से वसूल किये जाने वाले किराये से यह पृथक् है ।

## विस्थापित व्यक्तियों को क्वार्टर देना

†*११४८. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अनेक विस्थापित व्यक्तियों ने दिल्ली में एक ही क्वार्टर दो परिवारों को आवंटित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो क्वार्टर वाला एक यूनिट उस अवस्था में दिया गया था जब आवंटन के अधिकारी परिवार में पांच से अधिक व्यक्ति थे । पांच से कम सदस्य होने की स्थिति में एक क्वार्टर आवंटित किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वर्तमान स्थिति में जब कि आवंटन बन्द हो गया है इनमें परिवर्तन व्यावहारिक नहीं है। ऐसा करने का विशेष कारण यह भी है कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे, उनके लिये और स्थान ढूंढ़ना असम्भव है ।

**आन्ध्र में उर्वरक कारखाना**

†*११४९. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उस राज्य में नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का क्या स्वरूप है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कदाचित माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाने की स्थापना सम्बन्धी मांग का निर्देश कर रहे हैं। सहायता के लिये अन्य प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

**प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय**

†*११५२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय के राज्यवार आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

†**वैदशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

**पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमातिक्रमण**

†*११५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर, १९५५ को दो पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन करने के बारे में १ अगस्त, १९५६को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार से उसके बाद अन्तिम उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर का क्या स्वरूप है ?

†**वैदशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) पाकिस्तान सरकार के अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**राजधानी में मूर्तियां**

†*११६१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में मूर्तियां स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति बनाई है; और

(ख) यदि बनाई है, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) अब इसके पश्चात् भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई मूर्ति स्थापित नहीं की जायेगी। जिन मामलों में इस प्रकार की अनुमति दे दी गई है, उनमें मूर्ति के स्थान, आकार और रूपरेखा के सम्बन्ध में भारत सरकार को एक ऐसी समिति सलाह देगी जो उस प्रयोजनार्थ स्थापित की जायेगी ।

**केरल में भारी उद्योग**

†*११६२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल में किस प्रकार के भारी उद्योग प्रारम्भ करने का विचार किया है;

(ख) प्रत्येक को कहां स्थापित किया जायगा:

(ग) इन उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में क्या कोई वार्षिक योजना बनाई गई है;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसके सम्बन्ध का विस्तृत विवरण क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५ ]**

(ग) और (घ). आलवई में डी० डी० टी० कारखाने की स्थापना का ठेका पहिले ही पूरा हो चुका है। आशा है कि यह कारखाना १९५८ के अन्त तक उत्पादन आरम्भ कर देगा। त्रावणकोर रबड़ कारखाने के विकास के सम्बन्ध में कार्यक्रम पहिले से ही बना हुआ है।

**अस्पृश्यता पर चलचित्र**

†*११६३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ९ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण के लिये एक पूरी लम्बाई का शिक्षाप्रद चलचित्र बनाने के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण बना लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). विस्तृत विवरण बनाया जा रहा है। इस विषय में अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों से लेख तैयार करने के बारे में चर्चा की जानी है और उसको अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

**पुर्तगाली हेड कान्स्टेबल को राजनैतिक आश्रय**

†*११६४. **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पुर्तगाली हेड कांस्टेबल हाल ही में सीमा पार करके भारत आया है; और

(ख) क्या उसे इस देश में राजनैतिक आश्रय दिया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). ३१ जुलाई, १९५६ से अभी तक २ पुर्तगाली यूरोपियन अधिकारी, एक सैनिक हेड कांस्टेबल और दूसरा एक जेल प्रहरी क्रमशः १३ सितम्बर और २९ सितम्बर, १९५६ को आश्रय पाने के लिये भारत आये। बम्बई सरकर के

†मूल अंग्रेजी में ।

परामर्श से उनके मामलों में जांच की जा रही है। एक तीसरा पुर्तगाली अधिकारी जो दमन का निवासी और पुलिस कांस्टेबल है २० अगस्त को भारत की सीमा के भीतर आ गया और उसने यह कहा कि वह गलती से आ गया है। उस पर गैर-कानूनी प्रवेश और बिना अनुज्ञापत्र के शस्त्रों को रखने के अभियोग में मुकद्दमा चलाया गया था और उसे दो माह की सजा दी गई थी। उसकी सजा समाप्त हो जाने पर उसे दमन भेज दिया जायेगा।

**दशमलव मुद्राप्रणाली**

†*११६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दशमलव मुद्राप्रणाली को बड़े पैमाने पर विज्ञापित करने के लिये राज्य सरकारों को क्या निदेश दिये गये हैं; और

(ख) उनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) राज्य सरकारों के नामनिदेश जैसी कोई चीज़ जारी नहीं की गई, परन्तु जैसा कि दिनांक १२-९-५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०७१-क के उत्तर में बताया गया है, इस सम्बन्ध में यथासम्भव बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने के उपायों में एक-सूत्रता बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये हुए है।

(ख) राज्य सरकारों ने समाचारपत्रों और उनके द्वारा निकाली जाने वाले सामयिक पत्रिकाओं में इसे प्रकाशना दी है। उन्होंने उक्त पत्रों में प्रदर्शन तालिकाओं को उपयुक्त स्थानों पर विज्ञापित करने की व्यवस्था की है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्र प्रकाशना एककों से नये पैसों और उनकी परिवर्त्तन तालिक का प्रचार करने को कहा है। राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा विज्ञापन सामग्री के रूप में तैयार किये गये इश्तहारों, पर्चियों, इनेमल बोर्डों, पोस्टरों और फोल्डरों को प्रदर्शित करने और वितरित करने की भी व्यवस्था की है।

चलचित्र विभाग द्वारा निर्मित "नया पैसा" नामक एक प्रलेखीय फिल्म भी राज्य सरकारें अपनी चलती-फिरती गाड़ियों द्वारा प्रदर्शित करेंगी।

**शहरी ऋण**

†*११६६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० सितम्बर, १९५६ को बम्बई के प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त के पास राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत शहरी ऋणों के लिये कोई आवेदन पत्र विचाराधीन थे; और

(ख) यदि थे, तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). ३० सितम्बर, १९५६ को ८० आवेदनपत्र विचाराधीन थे। वे शीघ्र ही प्रादेशिक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निपटा दिये जायेंगे। उसे इस प्रयोजन के लिये रकम दी जा रही है।

**कन्नानूर स्थित सहकारी कताई-बुनाई कारखान**

†*११६७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण की वह रकम मंजूर कर दी है जो करल राज्य के कन्नानूर स्थित सहकारी बुनाई-कताई कारखाने ने मांगी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि कर दी है, तो कितनी रकम मंजूर की गई है;

(ग) रकम कब निकाली जा सकती है और वह किन निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन ली जा सकती है ?

†**उपभोग-वस्तु मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार से ऋण के लिये कोई प्रार्थना नहीं की गई ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर वृत्तांत चलचित्र**

†*११६८. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को विभिन्न पूर्वी राज्यों में फिर से बसाने के सम्बन्ध में मेसर्ज न्यू थियेटर्स लिमिटेड, जिन्हें इसका वृत्तांत चित्र बनाने को कहा गया था, द्वारा वृत्तांत चित्र पूरा कर दिया गया है;

(ख) यदि चित्र पूरा हो गया है, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च किया है;

(ग) क्या वह चित्र प्रदर्शन के लिये दे दिया गया है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (घ). जी, नहीं । चित्र की प्रारम्भिक शूटिंग हो रही है और यह आशा की जाती है कि वह लगभग उस समय तक तैयार हो जायेगा जो १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये प्रश्न संख्या ८४६ के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है ।

(ख) अभी इसका कोई अनुमान देना समयोचित नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**क्ष-रश्मि उपकरण पर प्रतिवेदन**

†८९२. **श्री राम कृष्ण** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्ष-रश्मि उपकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ मंडली का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि प्राप्त हो गया है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**भारी उद्योग, वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**चलचित्र जांच समिति**

†८९३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र जांच समिति की इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि सभी

†मूल अंग्रेजी में ।

राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिये मनोरंजन कर की वर्तमान विविध दरों के स्थान पर सारी सीटों के लिये २० प्रतिशत की एकसी दर प्रस्तुत की जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मनोरंजन-कर बिलकुल ही राज्य से सम्बन्धित विषय है। अतएव चलचित्र जांच समिति, १९५१ की सिफारिशें राज्य सरकारों को बता दी गई थीं। कर जांच आयोग ने उस समूचे प्रश्न पर फिर से विचार किया था। यद्यपि आयोग इस बात से सहमत था कि करारोप प्रतिशत के आधार पर किया जाए, वह एक विशेष दर नामतः सारे भारत में २० प्रतिशत के पक्ष में नहीं था। उसकी यह राय थी कि कुछ हद तक भिन्नता रखने के लिये प्रतिशत को एक मोटे रूप से वर्गीकृत किया जाए।

## विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

†८९४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के वृद्ध विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये बीड़ी के कारखाने खोलने की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि की जा रही हैं, तो ऐसे कितने कारखाने खोले गये हैं; और

(ग) ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं, जिन्हें बीड़ी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जी, हां। बीड़ी बनाने के ४१ एकक मंजूर हो चुके हैं और वे क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जब ये योजनायें पूरी तरह से कार्यान्वित हो जायेंगी तब इनसे ६१५ विस्थापित व्यक्तियों को काम मिलने की आशा की जाती है।

## श्रम निरीक्षक

†८९५. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटागुडियम और सिकंदराबाद में श्रम निरीक्षकों के पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) कौन उनके कार्य की देखरेख करता है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) पदों को भरने में विलम्ब मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों के सम्बन्ध में पूर्व परिचय और चरित्र की जांच तथा स्वास्थ्य परीक्षा आदि जैसी औपचारिकतायें पूरा करने में लगने वाले समय के कारण हुआ है।

(ख) आयोग द्वारा सिफारिश किये गये एक उम्मीदवार की अब कोटागुडियम में नियुक्ति कर दी गई है। सिकंदराबाद स्थित केन्द्रीय समझौता अधिकारी सिकंदराबाद के श्रम निरीक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित काम की देखरेख करता है।

## इलायची

†८९६. **श्री वेलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब इलायची कोचीन बाजार में चाय की भांति एक साथ नीलामी में खरीदी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वस्तुओं की नीलामी का अधिकार किसे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकार ने ऐसी नीलामी के लिये कोई आदेश नहीं दिये हैं। व्यापारियों ने निजी तरीके पर मैसर्स कैरिट मॉरण एंड कम्पनी लिमिटेड के साथ कोई प्रबन्ध किया है जो कि १७ अक्तूबर, १९५६ से नीलामी का काम कर रहे हैं। इलायची के निर्यात पर कोई रुकावटें नहीं हैं।

## कम आय वाले लोगों के लिये मकान

†८९७. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कम आय वाले लोगों के लिये आवास और योजनाओं पर धन के आवंटन के बारे में योजनायें पहुंच गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिये उन्हें कितने धन का आवंटन किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) राज्य सरकारों स कम आय वाले लोगों के लिये आवास की कोई विशिष्ट योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं; वे केवल धन की आवश्यकता बता देती हैं और केन्द्र द्वारा आवंटन कर दिया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कम आय वाले लोगों के लिये आवास योजनाओं के लिये धन की आवश्यकता के सम्बन्ध में अधिकतर राज्य-सरकारों ने सूचना दे दी है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६ ]**

## अमेरिका में भारतीय राजदूतावास

†८९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ म अमेरिका में भारतीय राजदूतावास पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में उस वर्ष व्यय में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास का व्यय विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों में से किया जाता है। १९५५–५६ में अब तक वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन अनुदान से २७,५२,३४८ रुपये की रकम व्यय हुई है। इसमें मुख्य दूतावास तथा सूचना सेवाओं का व्यय भी सम्मिलित है। क्योंकि अभी १९५५–५६ का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से नहीं किया गया है इसलिये अन्तिम आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि हिसाब बंद करने से पहले कुछ लेखा-जोखा करना पड़ता है।

(ख) वर्ष १९५४–५५ कीत्तत्सम्बन्धी राशि २६,३७,०९१ रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना में इस प्रकार १९५५–५६ में व्यय में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ग) वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि डाक व तार व्यय में वृद्धि हो गई है और राजनयिक डाक के थैले भेजने में अधिक व्यय होता है और प्रतिरक्षा सेवा शाखा सम्बन्धी व्यय को असैनिक प्राक्कलनों से समायोजित करन के निर्णय के फलस्वरूप भी व्यय में वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**पाकिस्तान से हमले**

†८९९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर से १ अगस्त के बाद किये गये हमलों से हुए जानी व माली नुकसान के लिये कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान्। दो मामलों में जिनमें एक भारतीय की मृत्यु हुई। एक मामले के बारे में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि अपराधियों को पकड़ा जाये और मृत व्यक्तियों के परिवारों को उनसे क्षतिपूर्ति दिलवाई जाये। दूसरे मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से पर्याप्त मुआवजा देने को कहा है।

(ख) अन्तिम उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

**सतर्कता अधिकारी**

†९००. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री खू० चं० सोधिया** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय से जब से सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है मंत्रालय तथा उससे संलग्न दफ्तरों तथा अधीनस्थ दफ्तरों के कार्य में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं के लिये कितने पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). जानकारी देने वाला एक छोटा टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७ ]**

**मायापुर कैम्प, पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्ति**

†९०१. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आराम-बाग सब डिवीजन मायापुर कैम्प के विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल के जिला हुगली में दोबारा बसाने क बारे में क्या कार्यवाही की है क्योंकि उनके पहले कैम्प हाल की बाढ़ में बह गये थे ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : आराम बाग सब डिवीजन में मायापुर में कोई कैम्प नहीं था। किन्तु उस सब डिवीजन में मायापुर के निकट साहपुर में दो कैम्प थे। बाढ़ से इन कैम्पों पर प्रभाव पड़ा था और विस्थापित परिवारों को ऊंचे स्थानों में पहुंचा दिया गया था जहां उनके रहने के लिये ५० नये खैमों की व्यवस्था की गई थी। बाढ़ का जल कम हो गया है और उनके परिवार कैम्पों के पुराने स्थानों पर लौट रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**दफ्तरियों तथा मेहतरों के लिये अलीगंज के क्वार्टर**

†९०२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगंज (लोदी कालोनी) में दफ्तरियों तथा मेहतरों के लिये लगभग १ हजार क्वार्टर बनाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इन क्वाटरों में बिजली कब लगाई गई थी;

(घ) क्या इस समय उन्हें बिजली दी जा रही है;

(ङ) हाल ही में कितने मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है; और

(च) उन मकानों में रहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार रहने का स्थान दिया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ग) दिसम्बर, १९५५ तक ।

(घ) जी, नहीं । तार की कमी के कारण, नई दिल्ली नगरपालिका ने अभी तक बिजली नहीं दी है।

(ङ) २५ दफ्तरी क्वार्टरों तथा २२ चपड़ासी क्वार्टरों को छतें बदलने के लिये खाली कराया जा रहा है ।

(च) उन्हें रहने के लिये दूसरा स्थान दिया जा रहा है ।

**बिहार में औद्योगिक सहकारी संस्थायें**

†९०३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के वित्त पोषण के लिये क्या व्यवस्था की गई है और १९५६–५७ में यह वित्त पोषण किस अभिकरण द्वारा किया जायेगा ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : छोटे पमाने के उद्योगों के बारे में हमारे राज्य-वार आवंटनों में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के वित्त पोषण के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की जाती। राज्य सरकार की औद्योगिक सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रत्येक योजना की जांच मंत्रालय द्वारा की जाती है और योजना का अनुमोदन होने पर निर्धारित वित्तीय ढंग पर राज्य-सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता दे दी जाती है। बिहार राज्य से औद्योगिक सहकारी संस्था सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

**सीमा पर गश्ती टुकड़ियों द्वारा गोली चलाया जाना**

†९०४. **श्री ह० गो० वैष्णव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर कोई मुठभेड़ हुई थी और मंगलवार, १३ नवम्बर, १९५६ को सियालकोट के निकट भारतीय तथा पाकिस्तानी गश्ती टुकड़ियों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं; और

(ख) यदि हां, तो यह घटना किस प्रकार की थी और उससे कितनी हानि हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). १३ नवम्बर, १९५६ को सियालकोट के निकट भारतीय तथा पाकिस्तानी गश्ती टुकड़ियों के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई और न ही अधिक गोलियां चलीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**खादी बोर्ड**

†**९०५. श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में खादी बोर्ड ने किन किन विषयों पर प्रदर्शन संगठित किये थे;

(ख) ये प्रदर्शन कहां-कहां संगठित किये गये; और

(ग) इन प्रदर्शनों पर खादी बोर्ड ने कुल कितना व्यय किया ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९ ]**

**घानियां**

†**९०६. श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कुल कितनी घानियों को मान्यता दी है ;

(ख) उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) वर्ष १९५३–५४, १९५४–५५ तथा १९५५–५६ और १९५६–५७ में घानी उद्योग के विकास के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग विकास बोर्ड ने कितनी रकम की मंजूरी दी और उन रकमों को किस प्रकार प्रयोग किया गया; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी घानियां खोले जाने का विचार है और कहां-कहां राज्य-वार खोली जायेंगी ;

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अब तक उपलब्ध प्रतिवेदनों के अनुसार, नवम्बर, १९५६ के अन्त तक कुल ११,६३५ घानियां पंजीबद्ध की गई हैं ।

(ख) तथा (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७० ]**

रकमें और प्रयोजनों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग की जाती हैं —

(१) तिलहन के स्टाक बनाने के लिये;

(२) तेली सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी की व्यवस्था करने के लिये;

(३) अच्छे प्रकार की घानियों का लगाना तथा शेडों का निर्माण;

(४) आदर्श प्रदर्शन व उत्पादन केन्द्रों को स्थापित करना;

(५) मिस्त्रियों तथा तेलियों को प्रशिक्षण देने के लिये;

(६) घानी के तेल के विक्रय पर छूट देने के लिये;

(७) घानियों के निर्माण के लिये; और

(८) प्रचार के लिये ।

(घ) चालू वर्ष में २,००० घानियों के खोले जाने का विचार है । इनमें से केवल १,८८४ घानियां विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई हैं । राज्यवार बंटवारा दिखाने वाला विवरण भी सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०]**

**डाक और तार विभाग में हरिजनों का चुनाव**

**९०७. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के डाक और तार विभाग की सभी श्रेणियों के, अर्थात् क्लर्क, पोस्टमेन तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी—पदों के लिये की जाने वाली भर्ती में हरिजन उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि बीकानेर डिवीजन में इन्टरव्यू लिये लगभग छः महीने हो गये किन्तु किसी हरिजन को काम पर नहीं लगाया गया है और जगहें भी खाली पड़ी हैं ?

**संचार मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यह ठीक नहीं है ।

(ख) शायद माननीय सदस्य उस परीक्षा की ओर संकेत कर रहे हैं जो कुछ समय पहले बीकानेर डिवीज़न में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चुनाव के लिये हुई थी । तीन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार सफल हुए थे, परन्तु केवल एक ही व्यक्ति ने नियुक्ति स्वीकार की । आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हैं कि जो भी आरक्षित रिक्तस्थान बाकी हैं, उन्हें इस विषय में प्रचलित आदेशों के अनुसार तत्काल ही भर लिया जाये ।

## उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†९०८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन के लिये एक वित्तीय परामर्श-दाता नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नयी बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण तथा उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में संस्थापन की आवश्यकताओं और प्रशासन के विस्तार के कारण २४ जून, १९५४ से मितव्ययिता, वित्तीय स्वीकृतियों में शीघ्रता तथा दर को रोकने के लिये एक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । वित्तीय परामर्शदाता वित्त मंत्रालय में पदेन उप-सचिव है तथा उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक निश्चित सीमा तक वित्तीय स्वीकृति दे सकता है ।

## उर्वरक कारखाने

†९०९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाले तीन उर्वरक कारखानों में, कुल कितनी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन होगा; और

(ख) यह कारखाने कब तक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जब यह पूर्ण उत्पादन करने लगेंगे तब इन तीनों कारखानों में प्रतिवर्ष २,२०,००० टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा । उर्वरक की कुल मात्रा अन्तिम उत्पादों में नाइट्रोजन की मात्रा पर आधारित है ।

(ख) लगभग १९६०-६१ के ।

## उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†९१०. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक आकस्मिक आग से उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आदिम जाति जनता के कितने मकानों तथा गांवों के जलने का समाचार मिला है; और

(ख) क्या पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रतिकर के रूप में कोई सहायता दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन से सूचना मंगाई गई है तथा उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†भूल अंग्रेजी में ।

**गंगानगर (राजस्थान) में विस्थापित व्यक्ति**

**९११. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला गंगानगर (राजस्थान) में पाकिस्तान से कुल कितने विस्थापित परिवार आये हैं;

(ख) उक्त परिवारों में से कुल कितने पंजीबद्ध किये गये हैं और कितने शेष हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिनसे पंजीबद्ध और नहीं पंजीबद्ध किये गये परिवारों का पता लगा कर उनकी सही-सही संख्या जानी जा सके ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). १९५१ में की गयी जनगणना के अनुसार राजस्थान में शरणार्थियों की संख्या २.९७ लाख है। जिला गंगानगर में आने वाले शरणार्थियों की संख्या, चाहे वे रजिस्टर्ड थे अथवा नहीं, उपलब्ध नहीं है। हमारा विचार है कि इस के एकत्रित करने में जितना समय और मेहनत लगेगी, उसके बराबर प्राप्त होने वाला परिणाम नहीं होगा।

**दिल्ली में अधोभूमि जल**

†९१२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में अधोभूमि जल के बारे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां, एक अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है।

(ख) अन्तरिम प्रतिवेदन की मुख्य बातें यह हैं :

(१) १९१२ से नई-दिल्ली का अधोभूमि जल २ फीट से १७ फीट तक ऊंचा हो गया है;

(२) वर्षा ऋतु में अधोभूमि जल का स्तर लगभग ६ फीट तथा कुछ स्थानों पर भूमि के स्तर से ६ फीट से १० फीट तक बढ़ा हुआ पाया गया;

(३) भूमि की स्थिरता पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है न ही भवनों को कोई हानि हुई है और न हानि होने की सम्भावना ही है। परन्तु फिर भी कुछ सावधानी रखी गई है। क्योंकि अधोभूमि जल का स्तर बढ़ने से भूमि की धारण शक्ति कम हो जाती है तथा फर्श और दीवारों में नमी आ जाने की संभावना बढ़ जाती है जिससे मकानों पर बुरा असर पड़ता है।

(ग) जी हां, अधोभूमि जल का स्तर, उस स्थान से जहां पर बुरा असर पड़ा है, पम्प के द्वारा जल बाहर निकाल कर कम किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि**

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर को शुद्ध करने का अवसर दिया। आज प्रातःकाल एक अनुपूरक प्रश्न (तारांकित प्रश्न संख्या) ११५५ पर मुझ से पूछा गया तथा मैंने उसका उत्तर दिया। अब रिपोर्ट से मुझे पता लगता है कि जो कुछ मैंने सुना उससे प्रश्न कहीं अधिक बढ़ा था तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा उत्तर 'जी हां' जो कुछ मैं जानता था उससे कहीं अधिक था। जैसी रिपोर्ट मिली है, श्री गिडवानी का प्रश्न था:

> "क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान काश्मीर के सम्बन्ध में वर्तमान युद्ध विराम रेखा के आधार पर राज्य के विभाजन के निर्णय को स्वीकार कर लेगा·····"

मैंने यही सुना था। परन्तु प्रश्न और आगे यह किया गया :

> "·····और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को इस बात से संसूचित किया है।"

मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मेरा उत्तर 'जी हां' था। जो कुछ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा है वह मैंने समाचारपत्रों में देखा था। परन्तु इस प्रश्न पर मेरे उत्तर की सूचना समाचारपत्रों को भेजी जा रही है जिसका यह अर्थ है कि पाकिस्तान सरकार ने इसकी सूचना मुझे भेज दी थी परन्तु यह ऐसा है नहीं। मैं यही कहना चाहता था कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के भाषण का समाचार मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था।

मैं यह शुद्धि करना चाहता हूं तथा यदि आप इससे सहमत हों तो पहले उत्तर में यह शुद्धि कर दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक हमारे रिकार्ड का सम्बन्ध है यह शुद्धि कर दी जायेगी। यदि समाचारपत्रों ने यह सूचना भेज दी हो तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी शुद्धि कर लें। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी यह अनुभव किया होगा। मैं यहां था तथा कुछ माननीय सदस्यों ने अवश्य महसूस किया होगा कि प्रधान मंत्री ने प्रश्न के अन्तिम भाग को नहीं सुना। हमने महसूस किया था कि प्रधान मंत्री का उत्तर समस्त प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैंने तथा श्री गोपालन ने उस समय इस पर चर्चा भी की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

**देखिये पृष्ठ ११४५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ११२३–४९

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

११२६ प्रबन्ध व्यवस्था से कर्मचारियों को सम्बद्ध करना ... ११२३–२५
११२७ भारत-बर्मा व्यापार करार ... ... ... ११२५
११२८ इंगलैंड को इंजीनियरों का प्रतिनिधि मंडल ... ११२५–२६
११२९ केन्द्रीय क्रय अभिकरण ११२६
११३० दमन से आप्रवासी ... ११२६–२७
११३३ भारी उद्योग का विकास ... ... ... ११२७
११३४ पूर्वी जर्मनी की ओर से सहायता का प्रस्ताव ... ११२८
११३५ नक़दी ओवरसियर और लाइन ओवरसियर ११२९
११३६ विमानों के पुर्ज़े ११३०
११३७ कपड़े का उत्पादन ११३०–३२
११३८ इल्मेनाइट रेत ११३२–३३
११४१ सरकारी पुरस्कार ... ११३३–३४
११४२ टिटेनियम डाईऑक्साइड ... ११३४–३५
११४३ चमड़े, खालों और तम्बाकू का निर्यात ११३५–३६
११४४ आकाशवाणी ... ... ११३६–३७
११४५ भारतीय समाचार आदि का प्रकाशन ११३७–३८
११४७ विस्थापित कृषकों व मजदूरों का पुनर्वास ११३८
११५० आंचल व्यवस्था (त्रावनकोर-कोचीन) ११३९–४१
११५१ स्वचालित चरखे ... ... ११४१–४२
११५३ तूफान का पता चलाने के लिये राडार ११४२–४३
११५४ डिब्रूगढ़–पाशीघाट विमान सेवा ... ११४३
११५५ काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान का पत्र ११४३–४५
११५६ कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का सुधार ११४५–४६
११५७ आंध्र में उड्डयन क्लब ... ... ११४६
११५८ भारतीय विमान निगम के पाकिस्तानी कर्मचारी ११४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

८ मिस्र में संयुक्त राष्ट्रीय सेना ... ११४७–४८
९ काश्मीर के लिये संयुक्त राष्ट्रीय सेना ११४८–४९

पृष्ठ

## प्रश्नों के लिखित उत्तर ११५०–६३


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | |
|---|---|---|
| ११२५ | अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण | ११५० |
| ११३१ | राज्य व्यापार निगम ... | ११५० |
| ११३२ | भारी मशीनों का निर्माण | ११५० |
| ११३९ | सूती वस्त्र का निर्यात ... ... | ११५१ |
| ११४० | वियतनाम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग | ११५१ |
| ११४६ | निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानों का किराया | ११५१ |
| ११४८ | विस्थापित व्यक्तियों को क्वार्टर देना | ११५१–५२ |
| ११४९ | आंध्र में उर्वरक कारखाना | ११५२ |
| ११५२ | प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय ... | ११५२ |
| ११५९ | पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमातिक्रमण | ११५२ |
| ११६१ | राजधानी में मूर्तियां | ११५२–५३ |
| ११६२ | केरल में भारी उद्योग | ११५३ |
| ११६३ | अस्पृश्यता पर चलचित्र ... | ११५३ |
| ११६४ | पुर्तगाली हैड कांस्टेबल को राजनैतिक आश्रय ... | ११५३–५४ |
| ११६५ | दशमलव मुद्राप्रणाली ... | ११५४ |
| ११६६ | शहरी ऋण ... ... ... | ११५४ |
| ११६७ | कन्नानूर स्थित सहकारी कताई बुनाई कारखाने | ११५४–५५ |
| ११६८ | विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर वृत्तांत चलचित्र | ११५५ |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ८९२ | क्ष-रश्मि उपकरण पर प्रतिवेदन | ११५५ |
| ८९३ | चलचित्र जांच समिति ... | ११५५–५६ |
| ८९४ | विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार ... | ११५६ |
| ८९५ | श्रम निरीक्षक | ११५६ |
| ८९६ | इलायची ... ... | ११५६–५७ |
| ८९७ | कम आय वाले लोगों के लिये मकान | ११५७ |
| ८९८ | अमेरिका में भारतीय राजदूतावास... | ११५७ |
| ८९९ | पाकिस्तान से हमले ... ... | ११५८ |
| ९०० | सतर्कता अधिकारी ... ... ... | ११५८ |
| ९०१ | मायापुर कैम्प, पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्ति ... | ११५८ |
| ९०२ | दफ्तरियों तथा मेहतरों के लिये अलीगंज के क्वार्टर | ११५९ |
| ९०३ | बिहार में औद्योगिक सहकारी संस्थायें ... ... | ११५९ |
| ९०४ | सीमा पर गश्ती टुकड़ियों द्वारा गोली चलाया जाना ... | ११५९ |
| ९०५ | खादी बोर्ड ... ... ... | ११६० |
| ९०६ | घानियां ... ... ... | ११६० |
| ९०७ | डाक और तार विभाग में हरिजनों का चनाव ... ... | ११६०–६१ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ९०८ | उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण | ११६१ |
| ९०९ | उर्वरक कारखाने ... | ११६१ |
| ९१० | उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण ... | ११६१ |
| ९११ | गंगानगर (राजस्थान) में विस्थापित व्यक्ति ... | ११६२ |
| ९१२ | दिल्ली में अधोभूमि जल... | ११६२ |

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ... ११६३


प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि करते हुए एक वक्तव्य दिया।

---

M22LSD—190—13-2-1958—GIPF.

गुरूवार, १३ दिसंबर १९५६

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

(~~१४ नवम्बर~~ ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

# विषय-सूची

[ भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६ ]


पृष्ठ

**अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ... ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

**अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६**

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

**अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ... ... ... ... ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ... ... ... ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

**अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ... ...८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

**अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ... ... ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ... ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

**अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ... ... ... ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

**अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ... ... ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ... ... ... ... ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ... ... ... ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव ... ... १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ... ... ... १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

**अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न ... ... ... १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

**अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६**

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... ... ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ... ... ... ... ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ... ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ... ... ... ... ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

**अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

**अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६**

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया ... ... ... १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य ... ... १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव ... ... ... ... १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

**अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६**

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश ... ... ... ... १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ... ... १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव ... ... १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ... १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ... .. १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

**अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६**


सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश ... ... ... ... ... १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... ... १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन ... ... १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ... १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ... ... १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०


**अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६**


स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति ... ... १४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १ १४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सड़सठवां प्रतिवेदन ... ... ... ... १४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४७२–८०
नियम समिति
सातवां प्रतिवेदन ... ... ... ... ... १४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)
विचार करने का प्रस्ताव ... १४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका १४९२–९३

**अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति १४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना १४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ... १४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ... १४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ... १५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन १५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ... ... १५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
केरल में उचित मूल्य की दुकानें १५०४–०५
नियम समिति—
सातवां प्रतिवेदन ... १५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ... १५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में १५०६
सभा का कार्य ... १५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ... १५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५१५–२३
खण्ड २ और १ ... १५२३
पारित करने का प्रस्ताव १५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र ... ... १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

# लोक-सभा

गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

## प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२.०८ बजे

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### द्वितीय वित्त आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं, संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत, द्वितीय वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति और साथ ही उस पर की गई कार्यवाही का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [ **देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१** ]

**श्री कामत** (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री को नया वर्ष मुबारक हो।

### काफी विक्रय विस्तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं काफ़ी विक्रय विस्तार अधिनियम, १९४२ के अन्तर्गत जारी की गई एक व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ, इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) एस आर ओ संख्या १६६८, दिनांक १३ अगस्त, १९५५; और

(२) एस आर ओ संख्या १६६९, दिनांक १३ अगस्त, १९५५।

[ **पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५६१/५६** ]

### कोयला खान मुहानों के स्नानघरों सम्बन्धी नियमों में संशोधन

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई)** : मैं खान अधिनियम १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत, कोयला खान मुहानों के स्नानघरों सम्बन्धी नियम, १९४६ में कतिपय संशोधन करने

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खण्डू भाई देसाई]

वाले एस आर ओ संख्या २४६५, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस—५५९/५६]**

**कोयला खान श्रम कल्याण नियमों में संशोधन**

†**श्री खण्डू भाई साई** : मैं कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाले एस आर ओं संख्या २७७८, दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एस—५६०/५६]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राय** (खम्मम) : अब तक यह प्रक्रिया रही है कि जब कभी नियम में रूप भेद किया गया तो पहले, उसका प्रारूप गज़ट में प्रकाशित किया गया और उस पर टीका टिप्पणी मांगी गई है। इस बार इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।

†**श्री खण्डू भाई देसाई** : शीघ्रता के कारण ऐसा किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कृपया इस विषय की जांच करें। मुझे विश्वास है कि सामान्य खण्ड अधिनियम के अधीन सब नियम पहले गज़ट में प्रारुप के रूप में तीन बार प्रकाशित होने चाहियें।

†**श्री खण्डू भाई देसाई** : मैं इसकी जांच करूंगा।

**ताम्रकोटियिक[1] अम्ल उद्योग आदि के सम्बन्ध में**

**प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन**

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) ताम्रकोटियिक अम्ल उदाजीवेय[2] (आइसोनियज़िड) (आई० एन०.एच०) उद्योग को संरक्षण और/अथवा सहायता देने सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(२) सरकारी संकल्प संख्या २(२) टी बी/५५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६;

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६(२) क परन्तुक के अन्तर्गत विवरण जिसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त (१) और (२) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ उक्त धारा के अन्तर्गत विहित कालावधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये एस—५६३/५६]**

---

## जानकारी के बारे में प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अन्य विषय को लेने से पूर्व मेरा निवेदन है कि इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाये कि सूचना और प्रसार मंत्री ने सोमवार को वचन दिया था कि दो-तीन दिन में वे विभिन्न राजनैतिक दलों को आकाशवाणी पर प्रसार के लिये सुविधाएं देने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे और आज चौथा दिन है पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका ध्यान इस ओर दिलाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१. Isonicotinic.

२. Hydrazide.

## जीवन बीमा निगम नियमों में रूप भेद सम्बन्धी प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब जीवन बीमा निगम नियमावली १९५६ में रूप भेद सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० नवम्बर, १९५६ को सभा-पटल पर रखे गये बीमा निगम नियम, १९५६ के नियम २ के पश्चात् यह रखा जाय कि कुल बैठकों की लगभग आधी बैठकें कलकत्ता में होनी चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : (१) मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० नवम्बर, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये बीमा निगम, १९५६ के नियम १४ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जायें :

"निगम अपने प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में कर्मचारियों तथा एजेन्टों की एक सम्बद्ध समिति बनाएगी जिसमें कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि निम्नलिखित तरीके से चुने जायें : (क) क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारी, सौ कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के हिसाब से प्रतिनिधि चुनेंगे यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा एजेन्ट सम्पर्क समिति के लिये गुप्त मतदान द्वारा पांच प्रतिनिधियों को चुनेंगे ।"

एजेन्टों के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित तरीके से होगा :

प्रत्येक तीस एजेन्टों में से एक के हिसाब से, प्रतिनिधि चुने जायेंगे । यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा । इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा, कर्मचारी तथा एजेन्ट सम्पर्क समिति के लिये तीन प्रतिनिधियों को चुनेंगे ।

कर्मचारी और एजेन्ट सम्पर्क समिति के अध्यक्ष का चुनाव :

कर्मचारी और एजेन्ट सम्पर्क-समिति के व्यक्ति अपने में से एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष चुनेंगे ।

(२) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन करते समय कार्मिक संघों से राय अवश्य ली जाये ।

(३) व्यापार की कुल व्यपगत हुई राशि दिखाई जाय ।

(४) सरकारी क्षेत्र में विनियोजित राशि पृथक रूप से दिखाई जाय तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजित राशि तथा जिस व्यक्ति को एक लाख रुपयों से अधिक दिये जायें तो उनका नाम प्रतिवेदन में दिखाया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : जीवन बीमा निगम विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान मैंने प्रस्ताव किया था कि निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई और कलकत्ता में होना चाहिये, परन्तु इस बात को स्वीकार नहीं किया गया था ।

अब, जब कि इसका केन्द्रीयकरण किया गया है और मुख्य कार्यालय बम्बई में है, देश के अन्य भागों को भी केन्द्रीय निकाय से प्रोत्साहन की आवश्यकता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि निगम तथा इसकी कुछ समितियों की बैठकें कलकत्ता में भी होनी चाहियें । मुझे आशा है कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैंने नियम १४ के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या २ और ३ तथा नियम १७ के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या ४ तथा ५ प्रस्तुत किये हैं।

प्रथम दो प्रस्ताव बीमा कर्मचारियों तथा एजेन्टों के लिये और अन्तिम दो प्रस्ताव समूचे देश के लिये महान् महत्व के हैं।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

प्रथम दो प्रस्ताव कार्यालयों में या क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों तथा बीमा एजेन्टों के लिये भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। विधेयक पर वाद-विवाद के समय मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिये चुनाव-पद्धति स्वीकार करने के लिये कहा था। उस समय कहा गया था कि इस सम्बन्ध में नियम निर्धारित किये जायेंगे। अब, जब नियम बनाये जा रहे हैं तो नियम १४ को देख कर आश्चर्य होता है कि इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि कर्मचारियों तथा एजेन्टों के प्रतिनिधियों का चुनाव निगम द्वारा किया जायेगा।

हम सभी जानते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को उद्योग के प्रबन्ध से सम्बद्ध करना चाहते हैं। यही हमारी नीति है। परन्तु ऐसा वस्तुतः किया नहीं गया है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध उद्योग के प्रबन्ध से नहीं बल्कि स्वयं कर्मचारियों से है, उस समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधान से है जो निगम तथा कर्मचारियों के बीच मतभेदों को दूर करेगी और अच्छे सम्बन्ध स्थापित करेगी। कर्मचारी तथा एजन्ट ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। इसलिये मैंने नियम १४ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या २ में कर्मचारियों तथा एजेन्टों का प्रतिनिधान प्राप्त करने के लिये एक अत्यन्त युक्तियुक्त पद्धति का सुझाव दिया है।

लोकतन्त्र के आधार पर यह अपेक्षित है कि कर्मचारीवर्ग स्वयं ही अपने मामलों का प्रबन्ध करें और उनके नियोजकों द्वारा उनके सम्बन्ध में निर्णय न किया जाय कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। यह तो सब से बड़ी निरंकुशता होगी कि नियोजक इस बात का निर्णय करे कि समिति में कर्मचारियों तथा एजेन्टों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।

सैद्धांतिक प्रश्नों के अतिरिक्त भी जब तक कर्मचारियों और एजेन्टों के प्रतिनिधियों को कर्मचारियों और एजेन्टों का विश्वास प्राप्त न होगा, तो निगम चाहे उन्हें स्वयं मनोनीत करे, कर्मचारी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इस स्थिति में अच्छे सम्बन्ध स्थापित न हो सकेंगे। बल्कि निगम तथा कर्मचारियों में इससे घृणा उत्पन्न होगी।

इसीलिये मैंने नियम १४ के स्थान पर ४ नियमों का सुझाव दिया है। इनमें से जो जिस प्रथम नियम का मैंने सुझाव दिया है वह नियम १४ को प्रतिस्थापित करेगा।

इस नियम १४ में उल्लेख है कि समिति के लिये कर्मचारियों और अभिकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा किया जाना चाहिये। बाद के दो नियमों में, जिन्हें मैंने १४ क और १४ ख संख्या दी है, मैंने निर्वाचन की प्रक्रिया उपबन्धित की है। नियम १४ क में कहा गया है कि प्रतिनिधि प्रदेश (ज़ोन) कार्यालय के अधीन प्रत्येक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा गुप्त शलाका पद्धति से प्रत्येक सौ या उसकी भिन्न के लिये जो २० से अधिक हो एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जायेगा। बाद में ये प्रतिनिधि गुप्त शलाका पद्धति से कर्मचारी और अभिकर्ता सम्पर्क समिति के लिये पांच प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे। इस नियम में उपरोक्ष निर्वाचन का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी उपबन्धित किया है कि वे प्रतिनिधि या तो स्वयं कर्मचारी हों या वे ऐसे कर्मचारियों के संघों के सदस्य हों जो अभिकर्ताओं के कल्याण का ध्यान रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नियम १४ ख में अभिकर्ताओं के प्रतिनिधान का उल्लेख है। इसमें भी पद्धति वैसी ही है। इसमें कहा गया है कि अभिकर्ताओं के तीन प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष और गुप्त शलाका द्वारा होगा। इस प्रकार यह उपबन्ध कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के लोकतन्त्रात्मक प्रतिनिधान की व्यवस्था करता है और इससे उद्योग मजदूर संघवाद का अच्छा विकास होगा। दूसरी बात यह है कि यह बहुत व्यवहार्य प्रस्ताव है क्योंकि कार्यालयों में छोटे-छोटे निर्वाचन करना कठिन नहीं है। अतः कारपोरेशन अपनी कर्मचारी तथा अभिकर्ता सम्पर्क समिति में इस प्रकार कर्मचारियों के व्यक्ति रख सकेगी। दूसरी ओर, यदि ऐसे व्यक्तियों को समिति में नहीं लिया जाता तो वे कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त न कर सकेंगे, उन पर संदेह किया जायेगा तथा कारपोरेशन और कर्मचारियों में सदैव झगड़ा होता रहेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार मेरे इस रूप भेद को स्वीकार कर ले।

इस संशोधन के अन्तिम भाग, अर्थात् नियम १४ ग में सभापति की नियुक्ति का उल्लेख है। इस में कहा गया है कि समिति के सदस्यों द्वारा समिति का सभापति निर्वाचित किया जाना चाहिये। यदि सरकार मेरा यह संशोधन स्वीकार न करे तो मैंने नामनिर्देशन से पहिले कर्मचारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया है। प्रायः ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों के परामर्श के बिना उनके ऐसे प्रतिनिधि नाम निर्देशित कर दिये गये हैं जिनमें कर्मचारियों का विश्वास नहीं है। अतः नामनिर्देशन करने से पहिले, कर्मचारियों से परामर्श अवश्य करना चाहिये।

आप जानते हैं कि विभिन्न खंडों में मजदूर संघों में विभिन्नता है। कुछ खंडों में केवल एक संगठन हैं जैसे दिल्ली खण्ड अर्थात् उत्तर खण्ड में। सारे बीमा कर्मचारियों को उत्तर खण्ड कर्मचारी संगठन के सदस्य बनने का अधिकार है। मेरा ख्याल है कि अधिकतर अन्य खंडों में मजदूर संघों का एक फेडरेशन है और कार्यालय कर्मचारियों का एक अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ नामक फेडरेशन है। मैंने यह उपबन्ध करने का प्रयत्न किया है कि जहां कहीं किसी वर्ग का फेडरेशन है; वहां ऐसे फेडरेशन से परामर्श करना पर्याप्त है, अन्यथा प्रत्येक मजदूर-संघ से परामर्श करना होगा। इसी प्रकार अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन करने में, उनके मजदूर संघों से परामर्श किया जाना चाहिये। यह मैं फिर भी कहता हूं कि मुझे इस प्रक्रिया का सुझाव देने में प्रसन्नता नहीं है क्योंकि मैं नाम निर्देशन की प्रणाली के ही विरुद्ध हूं। परन्तु यह सुझाव तो मैं इसलिये दे रहा हूं कि यदि सरकार मेरे निर्वाचन के सैद्धान्तिक रूप भेद न माने तो ऐसा किया जाये।

नियम १७ सम्बन्धी मेरे दो अन्तिम संशोधनों में वार्षिक प्रतिवेदन के तैयार करने और यह निश्चित करने का उल्लेख है कि उनके विषय क्या-क्या हों। इनमें अनेक बातों का उल्लेख है, परन्तु एक बात का उल्लेख नहीं है जो कारपोरेशन की कार्यवाही की सफलता की जांच करने के लिये आवश्यक है और वह यह है कि कुल कितना कार्य समाप्त हो गया। आप जानते हैं कि जब बीमा कार्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में था, तब कार्य समाप्त होना महत्वपूर्ण न था। इसका परिणाम यह था कि यद्यपि बहुत-सा नया काम आता था, उसमें से अधिकतर समाप्त हो जाता था और नये कार्य के प्रत्यक्ष आंकड़े उतने नहीं होते थे जितने की आशा की जाती थी। कारपोरेशन ने अब कुछ विशिष्ट प्रक्रिया अपना ली है जिसके अनुसार क्षेत्र कर्मचारियों को ठेके के आधार पर वेतन दिया जायेगा।

इसमें ख़तरा यह है कि अभ्यंश पर ज़ोर देने से अधिक काम दिखाने के लिये घटिया प्रकार का कारबार किया जायेगा। परिणाम यह होगा कि वर्ष समाप्त होने से पूर्व या एक या दो या तीन वर्ष बाद इस प्रकार के कारबार का अधिकांश भाग व्यपगत हो जायेगा। जनता तथा संसद् को बताना आवश्यक है कि इस नए कारबार का कितना भाग व्यपगत हो गया है। निगम की क्रियान्विति पर विचार करने के लिये संसद् के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन रखना चाहिये, यह कहना ही काफ़ी नहीं है कि ६० या

[ श्री साधन गुप्त ]

८० या १०० करोड़ रुपये का कारबार किया गया है। इसलिये मैं यह उपबन्ध करना चाहता हूं कि एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कुल व्यपगत कारबार दिखाया जाना चाहिये।

मेरे संशोधन संख्या ५ का सम्बन्ध निगम द्वारा विनियोजित की जाने वाली पूंजियों से है। नियमों में यह उपबन्धित नहीं किया गया है कि इन विनियोजनों को किस प्रकार दिखाया जायेगा। जीवन बीमा निगम विधेयक पर वाद-विवाद के समय भी ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की गारंटी करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में अत्याधिक विवाद हुआ था। उस समय हमने कहा था कि देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में इसका अत्यन्त महत्व है।

वार्षिक प्रतिवेदन से देश को यह मालूम होना चाहिये कि सरकारी तथा ग़ैर-सरक्कारी क्षेत्र में कितना तथा किस प्रकार का विनियोजन किया गया है और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में किस अनुपात से विनियोजन किया जाता है। हो सकता है कि जीवन बीमा निगम निधियों का अधिकतर भाग का उपयोग कुछ एकाधिकारियों के लाभ के लिये होता हो। हम जानते हैं कि आज भी इस प्रकार के व्यक्ति स्वयं निगम में प्रमुख स्थानों पर नियुक्त हैं। इसीलिये मैंने नियम १७ के अन्त में दो और खण्डों का उपबन्ध करने के लिये कहा है।

यह उपबन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह विनियोजन के स्वरूप से सम्बन्धित खण्ड (घ) को प्रतिस्थापित करेगा। इससे यह दिखाया जायेगा कि सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन की राशि कितनी है; ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में किन व्यक्तियों के पास विनियोजन की राशि जा रही है और विनियोजन से लाभ उठाने वालों के नाम क्या हैं। यदि निगम देश को अपने विश्वास में लेना चाहता है तो यह उपबन्ध आवश्यक है। मैं प्रस्तावित रूप भेदों की सिफ़ारिश करता हूं।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : श्रीमान्, मैंने राष्ट्रीयकृत बीमा समवायों के लिये बम्बई में डाक्टरी परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहा था परन्तु उसकी अनुमति इस कारण नहीं दी गई कि आज नियमों पर विचार किया जा रहा है।

यह आरोप लगाये गये हैं कि बम्बई के बहुत से भैषजवृत्तिकों[1] को राष्ट्रीयकृत बीमा समवायों के लिये भैषजिक परीक्षकों के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, एक पत्र में कहा गया है कि तीन बड़े समवायों को भैषजिक परीक्षकों को पूर्ववर्तिता दी गई है, अनुज्ञाधारियों को जानबूझ कर छोड़ा गया है और पक्षपात से काम लिया गया है।

बम्बई में लगभग २,५०० भैषजिक परीक्षकों में से केवल ८०० को आवेदनपत्र भेजे गये थे और केवल १७० के लगभग व्यक्तियों को अब तक नियुक्त किया गया है। यहां तक कि फ़ोर्ट क्षेत्र के डाक्टरों को गिरगाम और परेल क्षेत्रों में कामकाज सौंपा गया है और इन क्षेत्रों के डाक्टरों को नहीं लिया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इस सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सक संघ से, जिसके १८,००० से ऊपर सदस्य हैं, परामर्श किया जाना चाहिये था।

अच्छा होता यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया गया होता क्योंकि उस स्थिति में मैं इस विषय पर कुछ कह सकता था। अब मैं माननीय मंत्री पर इस बात को छोड़ता हूं कि वह इन आरोपों का उत्तर दें और यदि इनमें कुछ सत्यता है तो इन शिकायतों को दूर करें।

सामान्य नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी सदस्यों को कई शिकायतें मिल रही हैं। मैं कह नहीं सकता कि माननीय मंत्री ने भी इन शिकायतों को देखा है या नहीं। परन्तु हम यह चाहते हैं कि यह राष्ट्रीयकृत

---

†मूल अंग्रेजी में।

१. Medical practitioner.

जीवन बीमा उद्योग सफल होना चाहिये और इसके लिये जिन लोगों को इसका काम चलाना है, उनमें असंतृप्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन शिकायतों को बढ़ने न दें, असंतृप्ति को बढ़ने न दें और प्रत्येक यथार्थ शिकायत को दूर करें ताकि हम ग़ैर-सरकारी अभिकरणों से अधिक सफल सिद्ध हों।

**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, लाइफ़ इंश्योरेंस निगम के सम्बन्ध में जो कानून या कायदे सदन के सामने रक्खे गये हैं, उनमें दो-चार बातों पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं यह देखता हूं कि जिस समय हमने इस निगम को स्वीकार किया था उस समय देश में बीमा के काम करने वाले लोगों ने इसे बहुत उत्साहपूर्वक स्वीकार किया था और उन सब का यह विचार था कि इस निगम के बनने से बहुत सारी बुराइयां जो जीवन बीमा के सम्बन्ध में देश में देखने को मिलती हैं वे दूर होंगी और विशेष कर जो इसमें काम करने वाले हैं उनको अधिक सुविधाएं और आसानियां मिलेंगी। कुछ दिनों तक हालत ऐसी ही रही कि आशा में वे लोग पड़े रहे फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ कायदे-कानून बने और उन क़ायदों के अनुसार जो काम करने वाले थे और जिनमें कार्यकर्ता भी ऐसे अफ़सरान भी कि जो बीमे के व्यापार में बहुत अर्से से लगे हुए थे उनमें निराशा और असन्तोष बढ़ने लगा। मैं यह देखता हूं कि लगभग इन दस या ग्यारह महीनों के आधार पर इस समय इस निगम के कार्य से बहुत कम लोग खुश हैं और असन्तोष बढ़ता जाता है, विशेष कर उन एन्जेटों में और उन इंसपैक्टरों में, कि जिनके ऊपर बहुत कुछ इस निगम की सफलता का आधार है और उन लोगों में भी कि जो मुलाज़िम हैं, जो अलग-अलग कम्पनियों से मुलाज़मत करते हुए अब इस निगम के मातहत मुलाज़मत कर रहे हैं, उनमें भी असन्तोष बढ़ता जाता है। हमारी सब की यह इच्छा है और यह मुनासिब भी है कि यह कार्य जो देश ने उठाया है, एक बहुत जरूरी और अच्छा कार्य है इसमें जितना भी हम सन्तोष सब लोगों को दिला सकें वह दिलायें और इस ख़्याल से हमें अपने कार्य को चलाना है। कारपोरेशन यानी निगम के उसूलों में यह सिद्धान्त हम लोगों ने स्वीकार किया था कि इन एजेन्टों और मुलाज़िमों के कार्य करने की गतिविधि और उसमें और एक सामंजस्य यानी मेल-मिलाप रखने के लिये एक कमेटी बनेगी जो कि सार्वदेशिक होगी और फिर उसके मातहत सम्भवतः यह भी विचार था कि हर ज़ोन में एक ऐसी कमेटी बनेगी। उस कमेटी का कार्य यही होगा कि जो इस प्रकार के आपस के झगड़े हों या आपस की शिकायतें हों, उनको दूर किया जाय और उनमें एक किस्म का सामंजस्य या एक किस्म का अच्छा रिश्ता कायम रखा जाय। मैं देखता हूं कि उस कमेटी के रूप-रेखान के बारे में आज हमारे देश में बहुत काफ़ी असन्तोष है। सरकार का यह ख़्याल है कि ऐसी कमेटी बनाई जाये और उन कमेटियों में जो मुलाज़िम लोग हों या जो एजन्ट या इंस्पैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, उन लोगों को जो नुमायन्दगी दी जाय वह सीधी कारपोरेशन की तरफ से दी जाय। अर्थात् इसके सदस्य नामज़द किये जायें।

इन लोगों की मांग यह है कि उनमें उनके चुने हुए नुमायन्दे आने चाहियें। मैं समझता हूं कि अगर हम इन कमेटियों पर मुलाज़िमों के नुमायन्दों को या एजेन्टों के नुमायदों को बराहे-रास्त यानी नामज़दगी के ज़रिये से लेंगे तो असन्तोष बढ़ेगा और अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि उनमें उनके नुमायन्दे चुनाव से आयें चाहे वह डाइरैक्ट हों चाहे इनडाइरैक्ट तो उस सूरत में मैं यह समझता हूं कि असन्तोष कम होगा और उन लोगों को शिकायत करने का मौक़ा नहीं मिलेगा। मेरी राय तो इस सिलसिले में यही है और मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी जो रूप-रेखा वह बनायें या एजेन्ट्स और एम्पलाईज़ (कर्मचारियों) की रिलेशंस (सम्बन्ध) कमेटी का जो निर्माण करें उसमें इस बात का ध्यान

[श्री राधा रमण]

रखें और यह नियम रखे कि उसमें एलेक्टिव एलिमेंट हो, नामज़दगी न हो। हो सकता है कि उस कमेटी के बनाने में जो उसकी संख्या है उसमें कुछ लोग नामज़दगी से रखे जायें और कुछ लोग चुनाव से आयें। शुरू-शुरू में अगर नामज़दगी आपको पसन्द है और चुनाव आपको नापसन्द है या आप यह समझते हैं कि शायद इस तरीक़े से काम ठीक नहीं चलेगा तो आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़िफ्टी-फ़िफ्टी परसेंट (पचास-पचास प्रतिशत) कर दें या कोई और अनुपात मुक़र्रर कर दें कि इतनी संख्या में नामज़दगी से लोग आयेंगे और इतनी संख्या में चुनाव से लोग लिये जायेंगे और इस प्रकार से आप दोनों तरीके चला सकते हैं। मुझे यह आशा है कि मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करेंगे और अपनी राय इसके मुताबिक़ अगर वह इसे मंजूर करें तो ज़ाहिर करेंगे।

दूसरे इसमें १७ नम्बर का एक रूल है और निगम की रिपोर्ट सालाना पेश करने की बात रखी गई है। इसमें पांच विवरण भी दिये हैं कि जिनके मुताबिक वह रिपोर्ट सामने रक्खी जाये। मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूं कि अगर हमें इस प्रकार की रिपोर्ट द्वारा हक़ीक़त तक पहुंचना है कि हमने इस निगम के ज़रिये देश का लाभ किया या जो पहले बुरी प्रवृत्तियां इसमें थीं उनको कहां तक रोका तो हमें दो चीज़ें और उसमें शामिल करनी चाहियें।

जहां हमने ए, बी, सी, डी और ई बातें रखी हैं वहां एक बात यह जोड़ दी जानी चाहिये, यानी जो बिजिनेस एक दफा करने के बाद, एक, दो या तीन प्रीमियम देने के बाद, बन्द हो जाता है, या पालिसी आगे नहीं चलती, ऐसी लैप्स्ड पालिसीज का विवरण भी दर्ज करना चाहिये। अभी हमारे मित्र माननीय साधन गुप्त ने भी इस विषय की चर्चा की थी। मैं उनकी इस राय से इतफाक करता हूं कि हमें असली हालत का पता नहीं चल सकता जब तक हम इन तमाम बातों के साथ-साथ यह न जानें कि साल भर में निगम ने कितना बिजिनेस अलग-अलग इलाकों में किया और उसमें से कितना बिजिनेस ऐसा था जो कि एक या दो क्वार्टरली (त्रैमासिक) प्रीमियम देने के बाद बन्द हो गया। ऐसा भी होता है कि पालिसी माहवार किस्तों की होती है और वह पालिसीज तीन-चार किस्तें दे कर, या छः किस्तें देकर बन्द हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम निगम के कार्यक्रम को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि उसने कितनी सफलतापूर्वक काम किया, तो हमें इस धारा को जरूर जोड़ना चाहिये। हम को बताया जाना चाहिये कि निगम ने अलग-अलग इलाकों से कितना नया बिजिनेस हासिल किया और उसमें से कितना बिजिनेस जारी है और कितना बन्द हो गया। इस रिपोर्ट से हम यह तो पता लगा सकेंगे कि अब सारे देश के अन्दर निगम का कितना बिजिनेस चल रहा है लेकिन हमारे लिये यह जानना बहुत जरूरी है कि नये बिजिनेस यानी वार्षिक बिजिनेस में से कितना चल रहा है, और यह आंकड़े हमें इस रिपोर्ट से ही मिल सकेंगे।

एक बात मैंने उस समय कही थी जब कि इस निगम के मसले पर विचार हो रहा था, और वह यह है कि हमें इस बात का पता भी जरूर लगना चाहिये, कम से कम रिपोर्ट में, कि जितना भी बिजिनेस निगम ने किया है सारे देश के अलग-अलग हिस्सों में, आया उस पर कितना टोटल (कुल) खर्च हुआ। कितनी आमदनी के अगेंस्ट (विरुद्ध) कितना खर्च आया। यानी अगर १०० रु० की किस्तें आई हैं तो उस पर कुल १०० रु० खर्च हो गया या कम या कि ज्यादा खर्च हुआ। यह चीज़ जाननी बहुत जरूरी है कि इस समय जो बीमे का कार्य हो रहा है, जिसमें हमने खर्च को घटाने की बात कही है, उसमें खर्च बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो यह काम किया है वह इस दृष्टि से नहीं किया है कि खर्च बहुत बढ़ जायें। अगर खर्च बढ़ कर कुछ बिजिनेस ज्यादा भी आ जाये तो यह कोई बहुत उन्नति की बात नहीं कही जायेगी। हमारी इच्छा है कि यह सारे आंकड़े हमारे सामने रहें, हम उनको देखते रहें और हमें यह पता चलता जाये कि जो नया बिजिनेस होता है वह पुरानी व्यवस्था के अनुसार कम खर्चे पर चलता है या कि खर्च बढ़ रहा है।

मैं आशा करता हूं कि जो मैंने १७ रूल के बारे में दो-तीन बातें कही हैं आप उन को जोड़ने की ख्वाहिश रखेंगे और उनको स्वीकार करेंगे ।

एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह कि इस समय इस सम्बन्ध में हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि जो मुलाजिम या जो कार्यकर्ता एक इलाके के अन्दर काम कर रहे हैं, और जिनका उस इलाके के लोगों पर असर है, जिन्होंने वहां पर एक फील्ड बना लिया है अपने लिये और बिजिनेस कर रहे हैं, वहां से उनको छोटी-छोटी बातों पर हटा कर इधर-उधर कर दिया जाता है । मैं समझता हूं कि शायद यह तरीका बहुत कारगर नहीं होगा, बल्कि इससे हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएंगी । मेरी अपनी राय यह है कि अब तक बीमा का बहुत-सा व्यापार व्यक्तिगत असर के ऊपर चलता रहा है । अभी तक बीमा की आवश्यकता का एहसास या बीमे की ख्वाहिश लोगों के अन्दर इतनी नहीं है कि वह खुद बीमा करवा लें, अभी तो लोग अपना असर इस्तेमाल करके लोगों से बीमे लेते रहे हैं । अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा बिजिनेस बढ़े और तरक्की करे और हम बीमे का प्रचार और प्रसार ज्यादा कर सकें तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस काम में जितने भी आदमी काम करते हैं, उनका जहां पर असर हो वहां से उनको हटाने की चेष्टा हम न करें । क्योंकि ऐसा करने से लाज़िमी तौर से बिजिनेस पर असर पड़ेगा और नतीजा यह होगा कि जितने खर्चे में एक बिजिनेस कोई आदमी देता था वह खर्च बढ़ जायेगा । इस सम्बन्ध में एक राय पहले बन जानी चाहिये कि जो लोग जिस इलाके में काम करते रहे हैं, जिन्होंने कहीं से अच्छा बिजिनेस दिया है और कुछ सफलता प्राप्त की है, उनको वहां से इधर-उधर न किया जाये । और अगर हटाने की जरूरत ही पड़ जाये तो वह बहुत छान-बीन के बाद किया जाये ।

मैं इन दो-तीन बातों को सामने रखते हुए आशा करता हूं कि निगम का काम जो कि पहले साल होगा वह आशातीत होगा । उसको कुछ सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और जब हम उस पर विचार करेंगे तो हमें यह खुशी होगी कि हमने अपने देश में बहुत बड़ा काम किया है जिसके कारण हम देशवासियों का बहुत कुछ लाभ कर सकते हैं तथा अपने मुल्क की भी कुछ खिदमत कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इन नियमों का समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : जिस प्रवर समिति ने जीवन बीमा निगम विधेयक पर विचार किया था, मैं उसकी सदस्य थी और समिति में कई संशोधन प्रस्तुत किये थे ताकि कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई अलाभ न हो । माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी । परन्तु इस दिशा में अब हमें कई शिकायतें मिली हैं ।

क्षेत्र कार्यकर्ताओं तथा अभिकर्ताओं को बहुत-सी शिकायतें हैं कि उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि उनसे न्याय किया जाना चाहिये जिससे कार्यकर्ता तथा कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य सम्पादन कर सकें और उन्हें कोई शिकायत न हो । इसके लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये और तभी राष्ट्रीयकृत बीमा योजना सफल हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का स्वागत करती हूं ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : राष्ट्रीयकृत बीमा-उद्योग में एक गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो रही है और मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जो नियम बनाये गए हैं, उनके बनाने में कर्मचारियों से परामर्श नहीं किया गया है । पिछले वित्त मंत्री महोदय ने यह वचन दिया था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं किया जायेगा जिसका कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव होता हो । इन वचनों को पूरा नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[ श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ]

दूसरी बात यह है कि लोकतान्त्रिक सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा गया है। राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम की क्रियान्विति पिछले कुछ महीनों से बहुत संतोषजनक नहीं है बल्कि निराशाजनक है। कारबार में कमी हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इसका कारण कर्मचारियों में अनुशासन की कमी बताया था। यदि आप उन कठिनाइयों को देखें जिनका कर्मचारियों, विशेषतया क्षेत्र कर्मचारीवर्ग को सामना करना पड़ रहा है तो आप कारबार में कमी के लिये सरकार को उत्तरदायी ठहरायेंगे। क्षेत्र कर्मचारीवृन्द को बिना वेतन के काम करना पड़ता है। सरकार के निर्णय से उनकी जीविका की सुरक्षा नहीं रही है। अब कुछेक को निगम के कर्मचारियों में शामिल किया गया है और शेष को छोड़ दिया गया है, जिन व्यक्तियों को नहीं लिया गया है उनके सम्बन्ध में जो निबन्धन तथा शर्तें उद्विकसित की गई हैं, वे कर्मचारियों के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं। इन व्यक्तियों के लिये कार्य करने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है।

दूसरे मैं यह कहूंगा कि कारबार में इस कमी के लिये स्वयं निगम उत्तरदायी है। कई कार्यालयों में एजेन्टों को फ़ार्म नहीं मिल रहे हैं। बहुत से कार्यालयों में कोई काम नहीं है और पदाधिकारी मुफ्त का वेतन पा रहे हैं। यह उनका दोष नहीं है, निगम ने उन्हें अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। उन्हें फ़ार्म आदि नहीं दिये गये हैं।

हमने निगम को इसलिये गठित किया था कि इसे स्वायत्तशासी बनायें। परन्तु सरकार द्वारा इसमें अत्याधिक हस्तक्षेप किया गया है। यदि किसी उचित बात के लिये हस्तक्षेप किया जाये तो हम इसका स्वागत करेंगे। परन्तु प्रत्येक पग पर छोटी-छोटी बातों में निगम द्वारा सरकार की सलाह ली जाती है। क्षेत्र कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों को कारबार के निम्न स्तर के लिये दोष देने का कोई लाभ नहीं है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्र कर्मचारियों को वेतन का दिया जाना स्वीकार कर लें, अन्यथा जैसा कि श्री साधन गुप्त ने कहा है, क्षेत्र कर्मचारी केवल पूंजीपतियों और धनीवर्ग के पास ही कारबार के लिये जायेंगे। वे निम्न मध्यमवर्ग या निर्धनवर्ग के पास नहीं जायेंगे।

अब मैं निर्वाचन-सिद्धान्त की चर्चा करता हूं। सरकार इस विचार से भयभीत है। समझौते के लिये मेरा सुझाव यह है कि प्रतिनिधियों को सम्बन्धित कर्मचारियों के परामर्श से ही चुना जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि निगम देश की भलाई के लिये उचित रूप से कार्य करे और हमारी जनता के अधिकांश व्यक्तियों को इससे लाभ हो, सरकार का हस्तक्षेप और पथ-प्रदर्शन स्वास्थ्यवर्धक प्रकार का होना चाहिये। साथ ही निगम के पदाधिकारियों को भी अधिक लोकतन्त्रात्मक ढंग पर व्यवहार करना चाहिये। निदेशकों के बोर्ड के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें की गई हैं, परन्तु यह प्रश्न इस अवसर के सुसंगत नहीं है। मैं केवल यही कहूंगा कि कर्मचारियों से न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं केवल यह कहूंगा कि अदक्षता के लिये कर्मचारियों को दोषी ठहराने से कोई लाभ न होगा। इस अदक्षता में आपका भी हिस्सा है।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा निगम नियमों में सभापति, सदस्यों तथा समितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में तो उपबन्ध हैं, परन्तु पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मुझ से पहिले कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि निगम उचित रूप से कृत्यकारी नहीं है और सरकार इसमें अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। मेरी शिकायत यह है कि सरकार ने इस निगम को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपा है जो राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन बिल्कुल नहीं समझते हैं, न ही सरकार ने राष्ट्रीयकरण के बाद यह देखने की चिन्ता की है कि यह किस प्रकार कृत्यकारी है।

†मूल अंग्रेजी में।

मैं कह नहीं सकता कि निगम के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये कोई नियम बनाये गए हैं या नहीं या किस ने बनाये हैं। एक या दो समवायों के कर्मचारियों को निगम में कहीं न कहीं जगह मिल गई है। अन्य समवायों के कर्मचारियों को पूर्णतः दबा दिया गया है। मैं उदाहरण दे सकता हूं।

एक विशिष्ट समवाय के एक कनिष्ठ पदाधिकारी को जिला प्रबन्धक या विभागीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके विरुद्ध इतना शोर हुआ था कि एक नया विभाग बनाया गया और उस पदाधिकारी को उस नए कार्यालय में नियुक्त किया गया। बीमा के लोग कहते हैं कि यह राष्ट्रीयकरण नहीं दिया गया बल्कि 'ओरीयन्टलीकरण' किया गया है यह कहा जा सकता है कि ओरियन्टल बीमा कम्पनी बहुत अच्छी कम्पनी है। परन्तु यदि मुझ से पूछा जाये तो मैं यह कहूंगा कि छोटे समवायों के कर्मचारी इन अच्छे समवायों के कर्मचारियों से कहीं अच्छे कार्यकर्ता हैं। शाखा प्रबन्धकों, सहायक प्रबन्धकों आदि को किए गये काम के रिकार्ड को देख कर ही चुना गया है। और भी अच्छे बीमा एजेन्ट हैं। उन्हें क्यों नियुक्त नहीं किया गया है? यही कारबार में कमी का कारण है कि अदक्ष लोगों को नियुक्त किया गया है। अब दिखावा बहुत है। एक शाखा प्रबन्धक, दो सहायक शाखा प्रबन्धक और तीन या चार चपरासी और कुछ लिपिक ज़िले में होते हैं। परन्तु परिणाम कुछ नहीं होता। राष्ट्रीयकरण से पहिले रेलवे कर्मचारी कहा करते थे "और दो या तीन महीनों में हम सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे जब हम सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे तब आप इस प्रकार हम से प्रश्न नहीं कर सकेंगे"।

बीमा कम्पनियों के एजेन्ट जो पहिले लोगों के पास जा कर बीमा करवाने को कहते थे, अब जिले के एकाधिकार प्राप्त पदाधिकारी बन गये हैं और उन्होंने पक्षपात करना शुरू कर दिया है। वे केवल अपने निकट सम्बन्धियों को ही सूचना देते हैं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि वह व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मदुरा कार्यालय में एक मशहूर बीमा एजेन्ट श्री न्यूटन की उपेक्षा करके उसके कनिष्ट पदाधिकारी श्री भट्ट को उसके ऊपर नियुक्त कर दिया गया। उदीपी में एक नया विभाग खोला गया। इस प्रकार का प्रचार किया जाता है। क्या कोई ऐसा मापदंड अथवा निदेश है जिसके अनुसार पुराने बीमा एजेन्टों को निगम में लिया जाता है? क्या ओरियन्टल इन्स्योरेंस कम्पनी के कर्मचारियों को पूर्ववर्तिता दी जाती है? माननीय मंत्री जी को इन बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैंने सोचा था कि सभा में नियमों पर चर्चा होगी। कुछ सामान्य प्रश्न उठाये गये हैं और सदस्यों ने उनके सम्बन्ध में व्याख्या करने को कहा है।

अन्तिम वचन ने यह कहा है कि उदीपी में नया डिवीजन खोला गया है। कदाचित् माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि निगम प्रारम्भ होने के पूर्व १-९-५६ में, मैंने यहां एक लम्बा वक्तव्य दिया था। उसमें मैं ने कहा था कि ३३ डिवीज़न हैं। उदीपी उन ३३ जिवीज़नों में से एक था। उन्होंने श्री भट्ट और श्री न्यूटन के नाम भी लिये हैं। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य ने मुझे कोई पत्र भेजा है, किन्तु मैं ने संसद् के एक सदस्य का पत्र देखा है। मैंने निगम से उस प्रश्न का उत्तर देने को कहा है। निगम के लिये ऐसे व्यक्तिगत मामलों का उत्तर बहुत कठिन है। माननीय सदस्य को भलीभांति ज्ञात है कि हम पहिले ही एक विशेष समिति नियुक्त कर चुके हैं, जिसमें एक निवृत्ति प्राप्त भारतीय असैनिक कर्मचारी तथा कुछ सदस्य हैं जो नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को ज्येष्ठता तथा अन्य शर्तों पर विचार करेंगे। मैं सभा को पहिले ही बता चुका हूं कि यह सभी नियुक्तियां अस्थायी हैं जैसे ही समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, निगम उनकी सिफारिशों पर विचार करेगा। और यदि कोई

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० च० शाह]

अनियमितता होगी तो उसे ठीक किया जायेगा। मैं भाई-भतीजा वाद, पक्षपात तथा ओरियन्टल कम्पनी के व्यक्तियों को लिये जाने के आरोप का खण्डन करता हूं। वस्तुतः हमें बहुत ही कम समय में निगम की स्थापना करनी पड़ी। हम १ सितम्बर, १९५६ तक निगम की स्थापना कर लेना चाहते थे। इसलिये निगम का कार्य शुरू होने, क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों द्वारा कार्य के आरम्भ करने के पूर्व हमें उन सभी कार्यालयों के सम्बन्ध में वहां व्यवस्था करनी थी, जहां से कि वे बीमा कर्त्ताओं की सेवा कर रहे थे। इसलिये हमने अस्थायी व्यवस्था की। मैं पहिले ही कह चुका हूं कि समिति इन सब प्रश्नों पर विचार करेगी। यह एक पक्षपातरहित समिति है। उन्होंने काम प्रारम्भ कर लिया है और कुछ समय पश्चात् ही वे अपना प्रतिवेदन दे देंगे। इसलिये माननीय सदस्यों को, एक बार प्रक्रिया ज्ञात होने के पश्चात् निगम पर पक्षपात अथवा भाई-भतीजा वाद का आरोप लगाना उचित नहीं है।

जहां तक इस सभा में, दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का सम्बन्ध है, वेतनक्रमों सेवा की शर्तों इत्यादी के सम्बन्ध में हम उन आश्वासनों को स्वीकार करते हैं और मैं कह सकता हूं कि निगम के कार्यों का किसी व्यक्ति पर भी खराब प्रभाव नहीं पड़ा।

मैं इस बात को दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं। तथापि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से गड़बड़ी करने की प्रवृत्ति हो रही है जिसे दूर किया जा सकता था और दूर किया जा सकता है। कर्मचारियों के हितों पर हमारी पूरी सहानुभूति है। हम कर्मचारियों के लिये हैं, इसलिये कर्मचारियों के लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा उसे करने को तैयार हैं, किन्तु बाहरी व्यक्तियों आदि द्वारा अनावश्यक आन्दोलन प्रोत्साहित किये जा रहे हैं।

वस्तुतः इस स्थिति में इस मामले पर विचार करना मेरे लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय चर्चा इन नियमों से सम्बन्धित है।

नियमों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। मेरे मित्र श्री सामन्त का भी एक संशोधन है वे यह चाहते हैं कि निगम के निदेशकों के बोर्ड, विनियोग समिति तथा कार्यपालक समिति की बैठकें आधी बम्बई और आधी कलकत्ता में हों। मुझे खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान कार्यालय बम्बई में है, इसलिये स्वभावतः सारी बैठकें बम्बई में होनी चाहियें। क्योंकि प्रधान कार्यालय से सभी आवश्यक सूचनायें प्राप्त हो सकती है, तथापि निगम का कार्य निश्चित हो जाने के पश्चात् निगम कलकत्ता में भी बैठकें करने पर विचार करेगा। निगम के बोर्ड के निदेशकों की बैठक उनके निश्चयानुसार कभी कलकत्ता और कभी मद्रास में हो सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि श्री सामन्त, इस संशोधन को, कि आधी बैठकें कलकत्ता तथा आधी बैठकें बम्बई में हों, स्वीकार करने में निगम की कठिनाई को समझेंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं, विनियोग समिति तथा कार्यपालिका समिति की बैठक का कलकत्ता और मद्रास में होना बहुत कठिन होगा, तथापि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि निदेशकों का बोर्ड इस सम्बन्ध में विचार कर सकता है तथा यदि उन्हें असुविधा न हो तो वे कुछ बैठकें कलकत्ता में भी कर सकते हैं कदाचित मेरे माननीय मित्र इससे संतुष्ट हों जायेंगे।

मेरे मित्र श्री साधन गुप्त के चार संशोधन हैं। वे इन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बता चुके हैं। मुझे खेद है कि मैं इन में से किसी को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। पहिला संशोधन कर्मचारियों तथा एजेन्ट सम्पर्क समिति के प्रतिनिधि चुनने के सम्बन्ध में था। निगम का अभिप्रायः ६ प्रतिनिधि रखने का था जिनमें से समिति में चार कर्मचारियों के, तथा दो एजेन्टों के प्रतिनिधि होंगे, यह समिति क्षेत्रीय प्रबन्धक को सलाह देगी। निगम ने सितम्बर में काम करना प्रारम्भ किया था। उसे स्थिर होना है। संक्रांति काल में शीघ्र स्थिर होना कठिन होता है। और अब गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कर, प्रतिनिधियों

का चुनाव करना, जैसा कि संशोधन में कहा गया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस समय ऐसा करना बहुत कठिन बल्कि लगभग असंभव होगा। इससे कई प्रशासनिक जटिलतायें पैदा हो जायेंगी। केवल इतना ही नहीं। यदि यह गुप्त मतदान द्वारा होगा तो कुछ विवाद पैदा हो जायेंगे जिनका न्याय निर्णयन करवाना होगा। संशोधन में यह भी उल्लेख है कि कर्मचारियों तथा एजेन्टों के प्रतिनिधियों का बहुमत होगा। यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा है, हम निगम के ६ प्रतिनिधि रखना चाहते हैं। इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि यह संख्या निगम के प्रतिनिधियों से कम नहीं होगी तथा वे क्षेत्रीय प्रबन्धक के साथ कर्मचारियों तथा एजेन्टों के सम्बन्धों के बारे में सलाह देंगे।

मुझे इसका पूरा निश्चय है। वे कर्मचारियों के हितों को सामने रखेंगे तथा उनमें सर्वोत्तम व्यक्तियों का नामनिर्देशन करेंगे और दो एजेन्ट रहेंगे। एजेन्ट कई हैं। चुनाव तथा इन सब बातों की व्यवस्था करना इस समय बहुत जटिल तथा प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवहार्य सुझाव है।

दूसरा संशोधन विभिन्न संघों से परामर्श के सम्बन्ध में है। संघ कई है तथा ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता है। व्यवहार में हम उन संघों से परामर्श करने का प्रयत्न करेंगे तथा उन प्रतिनिधियों को लेंगे जिनके नामनिर्देशन के लिये सभी सहमत हों। लेकिन मैं इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं, किन्तु मैं श्री साधन गुप्त को यह आश्वासन देता हूं कि निगम का यह अभिप्राय है कि व्यवहार में कर्मचारी तथा एजेन्ट सम्पर्क-समिति में नामनिर्देशन करते समय, वह संघों से परामर्श लेगी।

नियम १७ के अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में, निगम संसत्सदस्यों को यथासम्भव सभी आवश्यक जानकारी देगा। निगम माननीय सदस्यों से कोई जानकारी नहीं छिपायेगा। अतः उन्हें ऐसा प्रतिवेदन बनाने की सलाह दी जायेगी जिसमें, व्यपगत बीमों के सम्बन्ध में सभी तथ्य, जिन्हें माननीय सदस्य चाहते हैं, दिये जायें। वस्तुतः इन तथ्यों को अवश्य दिया जाना चाहिये। संसद् एक सर्व-प्रभुत्वसम्पन्न संस्था है। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा। सर्व-प्रभुत्वसम्पन्न संस्था से कोई चीज़ नहीं छिपाई जा सकती है। इसलिये यह संशोधन स्वीकार किये बिना ही मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रतिवेदन में सभी बातें सम्मिलित की जायेंगी यदि आगे और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो सरकार को निगम से यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी और वहां से संसत्-सदस्यों को मिल जायेगी। प्रतिवेदन में यह सारी बातें बताना निगम के हित में होगा क्योंकि तब संसत्-सदस्य देख सकेंगे कि उन्होंने कितनी प्रगति की है। इसलिये संशोधन स्वीकार किये बिना ही मैं सदस्यों तथा सभा को यह आश्वासन देता हूं कि ये सभी बातें प्रतिवेदन में मौजूद होंगी।

विनियोजन के सम्बन्ध में भी सामान्यतः यह सभी जानकारी दे दी जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि किन मुख्य मदों पर, सरकारी क्षेत्र में, अथवा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में, कितनी राशि विनियोजित की गई है। १ सितम्बर, १९५६ से आज तक पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में भी मैं बता चुका हूं कि लोक प्रतिभूतियों ग़ैर-सरकारी क्षेत्र, ऋण पत्रों, समान अंशों तथा रहन इत्यादि में कितना प्रतिशत धन विनियोजित किया गया है। प्रतिवेदन में यह सभी बातें होंगी।

उन लोगों के नाम देने के सम्बन्ध में जिन्हें एक लाख से अधिक रुपया अग्रिम धन के रूप में दिया गया है, ऐसी बातें प्रतिवेदन में सम्मिलित करना उचित नहीं होगा। कुछ भी हो, संसद् एक सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न संस्था है। वह इस सम्बन्ध में कोई भी बात पूछ सकती है तथा उसे यह बता दी जायेगी। किन्तु इन सब बातों का प्रतिवेदन में लिखना ठीक नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त इन संशोधनों पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री राधारमण ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतों का ज़िक्र किया था। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह प्रश्न उठाया था। क्षत्रीय कार्यकर्त्ता भी वहाँ रख गये हैं तथा ३० सितम्बर, १९५७

[श्री म० च० शाह]

तक उन्हें वही मिलेगा जो उन्हें मिला करता था। तथा उन्हें अपने वेतन का पात्र सिद्ध होना चाहिये। यदि कोई ऐसा ठेका है कि अमुक राशि का बीमा उपलब्ध करने पर उन्हें अमुक राशि मिलेगी तो उन्हें यह सिद्ध कर देना चाहिये कि वे उतना बीमा दे सकते हैं यदि वे इतनी राशि दे सकते हैं तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिये।

एजेन्टों के सम्बन्ध में जहां कहीं भी हमें कठिनाइयां ज्ञात हुई हैं, हमने अपने-पहले किये गए फैसलों में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि निगम निश्चित रूप से सफल हो तो सरकार भी उसे एक ज्वलन्त सफलता बनाने की इच्छुक है। मुझे पक्का विश्वास है कि निगम को ज्वलन्त सफलता मिलेगी तथा सरकार द्वारा उठाया गया यह महान् कदम सफल होगा।

और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीयकरण के समय, अर्थात् १९ जनवरी, १९५६ को सहयोग देने के सम्बन्ध में जो वचन दिया गया था, वह सभी सम्बन्धी पक्षों द्वारा पूरा किया जायेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि कर्मचारी भी यह अनुभव करेंगे कि निगम के पास उनके सभी हित पूर्णरूपेण सुरक्षित हैं, और वे व्यर्थ में ही अनावश्यक आन्दोलनों में भाग नहीं लेंग।

जहां तक व्यक्तिगत शिकायतों का सम्बन्ध है, मुझे खेद है, कि मैं उन सभी की सविस्तार जांच नहीं कर सकूंगा। परन्तु फिर भी, जैसा मैंने पहले कहा है, जब भी कोई संसद् सदस्य मेरे पास निगम सम्बन्धी कोई शिकायत भेजता है, मैं उसके पत्र का उत्तर देता हूं। उस शिकायत के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी एकत्रित करता हूं और वह जानकारी माननीय सदस्य को भेज देता हूं। मैं कह नहीं सकता कि वे उस जानकारी से सन्तुष्ट होते हैं या नहीं।

जहां तक इन नियुक्तियों का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य, समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर लें। प्रतिवेदन में यदि कोई ऐसी बात हुई कि अमुक-अमुक नियुक्ति अनियमित रूप से की गई है, तो निगम द्वारा उन पर विचार किया जायेगा और उन अनियमितताओं को दूर कर दिया जायेगा।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे इन आश्वासनों से सन्तुष्ट हो गये होंगे। हम इन आश्वासनों का पूरा-पूरा पालन करने का प्रयत्न करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि निगम द्वारा इन सभी कठिनाइयों को शीघ्र ही दूर कर दिया जाये।

हम निगम के दिन-प्रति-दिन के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। अतः कुछ एक सदस्यों का यह कहना गलत है कि निगम पर सरकार की ओर से अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है। हम तो इस प्रकार के कार्यों को निगम के निदेशकों के बोर्ड पर छोड़ देते हैं, परन्तु जहां तक नीति का सम्बन्ध है, हम उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं। जब भी कोई वास्तविक कठिनाई हो तो माननीय सदस्य वे बातें हमारे ध्यान में लायें, हम इसके लिये उनके आभारी होंगे, और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उन शिकायतों की ओर अपना विशेष ध्यान दूंगा और यदि वे शिकायतें वास्तविक हुई तो उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

†**श्री साधन गुप्त** : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने मेरे किसी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। उनका यह कहना निराधार है कि निर्वाचन-सिद्धान्त के स्वीकार कर लेने से कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि कारखानों की कार्य समितियों के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायें। और वह सिद्धान्त यहां भी लागू

†मूल अंग्रेजी में।

किया जा सकता है। अतः माननीय मंत्री द्वारा दिया गया तर्क निराधार है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे कर्मचारियों को उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इस प्रकार से यदि इस मांग को आसानी से टाल दिया गया तो उससे बाद में कर्मचारियों में असंतोष फैल जायेगा। अतः यदि प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक निर्वाचन कराये जायें तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कठिनाई आएगी, क्योंकि प्रत्येक कार्यालय में थोड़े-थोड़े कर्मचारी हैं।

यदि सरकार कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं से परामर्श नहीं करेगी तो उससे उनके मन में सन्देह पैदा हो जायेगा। उनसे परामर्श करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती। मंत्री महोदय के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि निगम एक प्रगतिशील मालिक के समान है, अतः कर्मचारियों को उससे कोई भय नहीं होना चाहिये। यह तर्क एक अजीब-सा तर्क है, ऐसे तो कोई भी मालिक कह सकता है कि क्योंकि वह समझदार मालिक है, इसलिये कर्मचारियों के हितों का वही ठीक निर्णय कर सकता है। अतः यही उचित उपाय है कि कर्मचारियों को अपने ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाये।

मंत्री जी के इस कथन से तो मुझे और भी अधिक आशंका पैदा हो गई है कि निगम केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझेगा, परन्तु प्रतिनिधियों को चुनने का निगम को अधिकार ही क्या है? यह अधिकार तो कर्मचारियों को होना चाहिये। वे ही अपने हितों तथा अहितों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इससे तो मुझे इस बात का भी भय है कि सरकार उनसे परामर्श लेने की बात को भी स्वीकार करने से इन्कार कर देगी। मंत्री जी का यह कहना है कि निर्वाचन-सिद्धान्त को इस समय अपनाना सम्भव नहीं है। तो क्या वह हमें यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि इस सिद्धान्त को बाद में अपना लिया जायेगा। यदि वे हमें ऐसा आश्वासन दें, तब मैं अपने संशोधन संख्या २ के लिये ज़ोर नहीं दूंगा।

जहां तक नियम संख्या १७ से सम्बन्ध रखने वाले संशोधन का सम्बन्ध है, मैं समझ नहीं सका कि प्रतिवेदन में व्यपगत बीमों को भी सम्मिलित कर देने में सरकार को क्या कठिनाई है, प्रतिवेदन में क्या-क्या होना चाहिये, इसके सम्बन्ध में नियम संख्या १७ में लिखा हुआ है, परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि उसमें व्यपगत बीमों का उल्लेख नहीं है। बीमा वर्ष पुस्तकों में तो उसका उल्लेख है। इसलिये प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये, उससे कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

जैसा मैंने बताया है, व्यापार का व्यपगत हो जाना एक महत्वपूर्ण बात है और सम्भव है कि निगम की कर्मचारियों के सम्बन्ध में बनाई गई वर्तमान नीति के कारण यह बात जारी रहे। कर्मचारियों की सफ़लता इस मापदण्ड से मापना कि कोई कर्मचारी कितना व्यापार ला सकता है, वास्तव में एक गलत तरीका है। उससे तो बीमा व्यापार में कई प्रकार की बुराइयां आ गई हैं। अभिकर्ताओं ने ऐसा व्यापार लाना शुरू कर दिया है जिससे केवल उन्हीं को लाभ हो सकता है, बीमा समवायों को कोई अधिक लाभ नहीं होता।

इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में सब से बड़ी आपत्ति यह है कि अभिकर्ता मुख्य रूप से बड़े-बड़े व्यापारियों से ही बीमा व्यापार लेने जाते हैं, वे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे दस-बीस हज़ार रुपये की पालिसी मिल सके। वे मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के किसानों तथा व्यापारियों के पास नहीं जाते क्योंकि वहां उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिये बीमा कार्य चलाया गया है।

जहां तक क्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है, उनकी सफलता का मानदण्ड यह नहीं होना चाहिये कि उन्होंने कितना व्यापार किया है, अपितु यह कि उन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र में कितने अभिकर्ताओं

[ श्री साधन गुप्त ]

को प्रशिक्षित किया है। पहले तो उसी व्यक्ति को अभिकर्ता बनाया जाता था जो कि अपने क्षेत्र में प्रभाव रखता हो परन्तु अब तो हमें ऐसे अभिकर्ताओं की आवश्यकता है जो कि इस कार्य में प्रशिक्षित हैं। अतः क्षेत्र कार्यकर्ताओं का यह कर्त्तव्य है कि वे अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दें।

अतः क्षेत्र कार्यकर्ताओं की सफ़लता की जांच करते समय इन बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये, नहीं तो हम बीमा व्यापार के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न कर सकेंगे।

जहां तक विनियोग नीति का सम्बन्ध है, हमें इस बात को जानने का अधिकार है कि किस प्रकार से धन विनियोग किया गया है। हो सकता है कि यह विनियोग कुछेक एकाधिकारियों को सुदृढ़ करने के लिये किया गया हो। जो वांछनीय नहीं है, हमें पता होना चाहिये कि उस धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

जहां तक एक लाख रुपये से अधिक धन विनियोजन के उल्लेखन का सम्बन्ध है, हमारी केवल यही मांग है कि केवल उन्हीं धन विनियोगों का उल्लेख किया जाये जो कि किसी एक ही दल द्वारा नियंत्रित किसी एक सार्थ को दिया जाये, उदाहरणार्थ टाटा, या बिरला को एक लाख से अधिक कितना धन दिया गया है, इनका उल्लेख करना अत्यावश्यक है। अतः मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अन्य स्थानों पर निगम तथा इसकी समितियों की बैठकें करने में कोई कठिनाई न होगी। मुझे आशा है कि वे मंत्रालय को यह निदेशन भेज देंगे कि इन समितियों की बैठकें अन्य स्थानों पर भी हुआ करें। अतः अब मुझे अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

†**श्री म० च० शाह** : ताकि कोई मिथ्या भ्रांति न रहे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने निदेशकों के बोर्ड की बैठकों के बारे में कहा था। मैंने इन्हीं का विशेष रूप से उल्लेख किया था, तथा विनियोग समिति अथवा कार्यपालिका समिति की बैठकों का नहीं। यदि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि इन समितियों की भी बैठकें हो सकती हैं, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु जहां तक निदेशक बोर्ड की बैठकों का सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि जब उनका कार्य ठीक प्रकार से चलने लगेगा तो वे कलकत्ता या बम्बई में भी अपनी बैठकें करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। मैंने यही आश्वासन दिया था।

श्री साधन गुप्त ने जो कुछ कहा है, उसका उत्तर देने में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक मिथ्या भ्रांति अवश्य दूर कर देना चाहता हूं। क्षेत्र कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में मैंने कहा है कि वे बीमा निगम के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। मैं ने जो आश्वासन दिया है, वह नियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। क्षेत्र कार्यकर्ता अनुपाततः आधार पर काम करते थे, वे नियमित कर्मचारी नहीं थे। वे बीमा व्यापार के स्तम्भों के समान थे, यह सच है, परन्तु वे केवल कमीशन पर काम करते थे, और कभी-कभी कमीशन के साथ उन्हें वेतन भी मिलता था। तो इस प्रकार से उनकी ऐसी स्थिति थी।

†**श्री थानू पिल्ले** : यह तो कम्पनियों की शरारत थी।

†**श्री म० च० शाह** : जो भी हो। इस समय ६,००० से अधिक क्षेत्र कार्यकर्ता हैं। जब तक वे नियमित रूप से काम न करें, उन्हें वेतन कैसे दिया जा सकता है? वास्तव में हम तो काम के अनुसार चार प्रकार के निरीक्षक रखना चाहते थे। परन्तु जब उन्होंने यह मांग की कि उन्हें भी उन्हीं शर्तों तथा निर्बन्धनों पर काम करने दिया जाये, तो हमने उन्हें ३०-९-१९५७ तक के लिये अनुमति दे दी, और हमने बता दिया है कि हम सितम्बर १९५७ तक किये गये उन के काम के अनुसार उन के मामलों का निर्णय करेंग। मैं समझता हूं कि वैसा करना पूर्णरूपेण उचित तथा न्यायोचित है। म नहीं समझता कि कोई भी

†मूल अंग्रेजी में।

संसद् सदस्य यह चाहेगा कि निगम का एक पैसा भी बिना किसी काम के वेतन के रूप में दे दिया जाये। अतः हमने जो तरीका अपनाया है वह सुदृढ़ उपाय है और वह जीवन बीमा निगम के लिये भी हितकारी सिद्ध होगा। हमने उन्हें समय दिया है। वे अपनी क्षमता प्रकट करें और हम उनके मामलों पर पुनर्विचार करेंगे।

आखिर, ये भाषण उन तक पहुंचेंगे और हो सकता है कि उनके मन में मिथ्या भ्रान्ति पैदा हो जाये और वे यह सोचने लगें कि वे थोड़ा-सा काम करने पर भी वेतन ले सकते हैं क्योंकि लोक-सभा के कुछ एक सदस्य उनके पक्ष में हैं। इसीलिये मैंने इस मिथ्या भ्रान्ति को दूर करने का प्रयत्न किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सामन्त अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहे हैं। क्या माननीय सदस्य को सभा की ओर से प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति है।

**प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री साधन गुप्त के प्रस्ताव के बारे में.....

†**श्री साधन गुप्त** : क्या माननीय मंत्री भविष्य के लिये निर्वाचन-पद्धति को स्वीकार करते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : भविष्य में यह मालूम हो जायेगा। प्रस्ताव संख्या २ पर बाद में विचार होगा। जहां तक प्रस्ताव संख्या ३ का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इस पर जोर नहीं दे रहे हैं।

**प्रस्ताव संख्या ३ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

---

## हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दुओं में दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण से सम्बन्धित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

यह विधेयक राज्य-सभा में २३ अगस्त, १९५६ को पुरस्थापित किया गया था और उस सभा की एक प्रवर समिति को २८ अगस्त, १९५६ को निर्देश किया गया था। इसका एक संयुक्त-समिति में निर्देश नहीं किया जा सका क्योंकि इस सभा को उस सत्र में उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये समय नहीं मिला। फिर भी यह प्रत्याशा की गई थी कि उसके बाद एक और सत्र होगा और वह वर्त्तमान सत्र ही है और यदि उसका इस सत्र में संयुक्त-समिति को निर्देश किया जाये तो उसका यह अर्थ होगा कि इस संसद् के जीवन में इस आवश्यक विधान का पारण रुक जायेगा। इन असाधारण परिस्थितियों के अन्तर्गत यह विधेयक केवल उस सभा की प्रवर समिति को ही निर्देश किया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों को यह पता लगेगा कि मूल हिन्दू संहिता विधेयक का यह भाग सबसे कम विवादग्रस्त था—वास्तव में जीवन-निर्वाह से सम्बन्धित भाग—जैसा कि हिन्दू संहिता के विरोधियों ने ठीक ही बताया था—उत्तराधिकार विधि का एक सम्बन्धित भाग था। माननीय सदस्य श्री चटर्जी और श्री गो० ह० देशपांडे के कहने पर ही हिन्दू उत्तराधिकार विधि की धारा ३० की उपधारा २ उसी अधिनियम के भाग के रूप में उस समय पुरःस्थापित की गई थी जब उस सभा में उस अधिनियम पर विचार हो रहा था। फिर भी वह एक उपचारात्मक संशोधन था और यथाशीघ्र अवसर प्राप्त होने पर जीवननिर्वाह से सम्बन्धित विधि को अधिनियमित करना था। इसी प्रकार की अन्य बातों से यह आवश्यक हो जाता है कि जीवननिर्वाह विधि के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

साथ-साथ दत्तक विधि में अधिनियमित की जाये। श्री पी० एन० सप्रू, जो कि एक प्रतिष्ठित न्यायशास्त्री और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, की अध्यक्षता में उस सभा की प्रवर ने १९ नबम्बर, १९५६ को उसी सभा में बिना किसी विरोध के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वास्तव में उसने उस सभा में पुरस्थापित किये गये विधेयक के मूलरूप में कुछ परिवर्त्तन किये थे। इसके बाद विधेयक पर चर्चा आरम्भ हुई और वह दूसरी सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९५६ को पारित किया गया।

१९४८ में प्रवर समिति द्वारा पुनरीक्षित किये जाने पर हिन्दू संहिता निम्नलिखित आवश्यक भागों में बांट दी गई थी : (१) विवाह और विवाह विच्छेद; (२) दत्तक-ग्रहण; (३) अल्पवयस्कता और अभिभावकता; (४) संयुक्त परिवार और समांशिता; (५) उत्तराधिकार; और (६) जीवन-निर्वाह। हमने पहले ही हिन्दू विवाह अधिनियम १९५४, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ और हिन्दू अल्पवयस्कता तथा अभिभावकता अधियिम १९५६ में विवाह और विवाह विच्छेद, अल्पवयस्कता और अभिभावकता, और स्त्री-धन का समावेश कर लिया है। वे शेष भाग जिनका हमें निर्णय करना है, संयुक्त परिवार और समांशिता, संयुक्त परिवार और समांशी सम्पत्ति से सम्बन्धित दत्तक ग्रहण और जीवन-निर्वाह है। हमने इसके पूर्व ही संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हक बंटाने का अधिकार स्त्रियों को दे दिया है और फिलहाल यह काफी है। इस प्रश्न पर समय आने पर विचार किया जायेगा कि क्या संयुक्त परिवार चलते रहे हैं या उसके लिये अन्य व्यवस्था की जाये।

अतएव दत्तक-ग्रहण और जीवन-निर्वाह ही हिन्दू संहिता के केवल ऐसे भाग हैं, जिनका निर्णय होना है और वर्तमान विधेयक उन्हीं से सम्बन्धित है। इस विधेयक के तीन अध्याय हैं। पहिले अध्याय में १ से ४ खण्ड हैं। इनमें से १, २ और ४ खण्ड हमेशा की तरह संक्षिप्त नामों अधिनियम के लागू होने और उसके सर्वोपरि प्रभावी होने से सम्बन्धित हैं। ये खण्ड उन खण्डों से मिलते जुलते हैं जो संसद् द्वारा उत्तराधिकार, विवाह और अल्पवयस्कता तथा अभिभावकता के अधिनियमों के सम्बन्ध में पहिले ही पारित कर दिये गये हैं। खण्ड ३ में परिभाषायें दी गई हैं। उनकी रुढ़ि और उपयोग की परिभाषा अन्य हिन्दू अधिनियमों की रूढ़ि और उपयोग की परिभाषा से मिलती-जुलती है। अन्य परिभाषायें भी विवादग्रस्त नहीं हैं। इस प्रकार अध्याय १ के खण्ड समाप्त होते हैं।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

विधेयक के अध्याय २ में ५ से १७ खण्ड हैं और उनमें दत्तक-ग्रहण के प्रश्न पर विचार किया गया है। खण्ड ७ के उपबन्ध में एक पुरुष---हिन्दू के दत्तक-ग्रहण की क्षमता के प्रश्न पर चर्चा की गई है और वह अपनी रुचि के अनुसार लड़का या लड़की को गोद ले सकता है। यह स्मरण रखा जाये कि हिन्दू उत्तराधिकार के उस अधिनियम के पारित हो जाने से, जिसमें पुत्र के साथ-साथ पुत्री के हिस्से का भी उपबन्ध रखा गया है, यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, यदि वह चाहता है, न केवल लड़के वरन् लड़की का भी दत्तक-ग्रहण करने दें। दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में वर्त्तमान हिन्दू विधि की स्थिति के अधीन हिन्दू विधि के मिताक्षर और दायभाग सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले हिन्दुओं में पुत्री को गोद लेने का कोई उपबन्ध नहीं है, परन्तु दक्षिण के उन हिन्दुओं में, जो मरुमक्कट्टयम और अन्य मातृप्रधान विधि की प्रणालियों को मानते हैं, पुत्री को गोद लिया जा सकता है और कई मामलों में उसे गोद लिया जा सकता है। हमने देश भर में हिन्दू उत्तराधिकार के मामले में समरूपता पहिले ही लागू कर दी है और अतएव यह स्वाभाविक ही है कि जहां तक दत्तक ग्रहण का सम्बन्ध है, हमें उसके लिये भी सभी पर लागू होने वाला एक समरूप उपबन्ध करना चाहिये। इसके बाद उसके समान मामले में गोद लिये जाने वाले बच्चे के लिंग के सम्बन्ध में कोई भेद रखा जाये, ऐसा कोई कारण नहीं रह जाता। पुत्री का दत्तक ग्रहण किसी धार्मिक विश्वास के प्रतिकूल नहीं है। वास्तव में "दत्तक मीमांसा" और "संस्कार कौस्तुभ" में पुत्री के दत्तक-ग्रहण की व्यवस्था है। प्राचीनतम काल में भी पुत्रियों को गोद लेने

के उदाहरण पाये जाते हैं। प्रभु रामचन्द्र के पिता दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को राजा लोमपाद को जिनके कोई संतान नहीं थी, दत्तक दे दी थी ।

जहां तक दत्तक-ग्रहण का प्रश्न है संस्कृत में दो अधिकृत पुस्तकें हैं। वे "दत्तक मीमांसा" और "दत्तक चन्द्रिका" हैं। अभी कुछ समय पूर्व लगभग १८८० में पूना जैसे शहर में भी यह प्रथा प्रचलित थी; रावजी नामक एक व्यक्ति ने, जो बहुत ही विद्वान और वृद्ध व्यक्ति रहे होंगे—एक लड़की को गोद लिया था। यह मामला भारतीय विधि रिपोर्ट (आई एल आर) १३, बम्बई के पृष्ठ ९१ में उल्लिखित है। उस भारतीय न्यायाधीश ने जिसने "दत्तक मीमांसा" और "संस्कार कौस्तुभ" के आधार पर मामले का निर्णय किया था, इसे मान्य ठहराया। उसे यह भी पता लगा कि उस क्षेत्र में साधारणतया ऐसा होता था और वहां यह प्रथा थी उसने यह भी निर्णय दिया कि लड़की को गोद लेना रुढ़िगत है। परन्तु यह निर्णय अपील होने पर सर पिर्यसन नामक एक अंग्रेज न्यायाधीश द्वारा कालब्रुक्स सार के आधार पर रद्द कर दिया गया था। वह हिन्दू विधि की अनेक संस्कृत पुस्तकों का महान् अनुवादक था। उसने "दत्तक चन्द्रिका" का अनुवाद किया है। मैं यहां बंगाल में प्रचलित एक विश्वास का उल्लेख करता हूं जो कि हिन्दू विधि जैसी पुस्तक में वर्णित है :

> "दत्तक चन्द्रिका के बारे में यह कहा जा सकता है कि बंगाल में एक ऐसी बात रूढ़ हो गई है कि रघुमणि विद्याभूषण ने जो प्रसिद्ध अंग्रेज अनुवादक कालब्रुक्स जिन्होंने हिन्दू विधि की कई संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था के पूर्ण पण्डित थे दत्तक चन्द्रिका से साहित्यिक वंचना की है। यह कहा जाता है कि वह बंगाल में एक राजा द्वारा गोद लिए गए पुत्र के दावे को पुष्ट करने के लिए लिखी गई है।"

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि मैं इसकी सचाई के बारे में नहीं जानता, उस अनुवाद की अपेक्षा जिसके विषय में जैसा ऊपर बताया गया है एक संदेह का वातावरण है, दत्तक मीमांसा की प्राधिकृत पुस्तक को आधार मानना अत्युत्तम होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप ही पुत्रियों को गोद लेना अमान्य समझा जाने लगा। इस उपबन्ध के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना मुख्यतः पूर्वग्रह, रिवाज और समस्या के गलत निरुपण के कारण ही हुई है। मुझे यह मालूम है कि सामाजिक विचार बदलते हैं परन्तु बहुत धीरे-धीरे और आजकल मिताक्षर या दायभाग की हिन्दू विधि के सिद्धान्तों को मानने वाला अधिकांश हिन्दू समाज केवल लड़कों को ही गोद लेगा, लड़कियों को नहीं। दत्तक-ग्रहण केवल धार्मिक उद्देश्य से केवल लड़के का ही किया जायेगा जिससे वंश चलता रहे और वह अपने पितरों को पानी दे सके। ऐसे मामलों में मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि केवल लड़के को ही गोद लिया जायेगा, परन्तु इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जो उनकी इच्छा, विश्वास और धारणाओं के अनुसार उन्हें ऐसा न करने देगी। दत्तक-ग्रहण स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रबल इच्छा की पूर्त्ति के लिये भी किया जाता है। ऐसे मामलों में लोग लड़का या लड़की गोद ले सकते हैं। आज भी लड़कियों का गोद लिया जाना विचित्र बात नहीं है ।

खण्ड ७ में जो कुछ रखा गया है वह केवल उन व्यक्तियों को इस योग्य बनाने के लिये किया गया है कि वे लड़की को गोद ले सकें। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि लड़की का दत्तक-ग्रहण उस कठिनाई को हल करने का ऐक उपाय है जो वर्त्तमान विधि के अन्तर्गत सगोत्रीय लड़के और लड़की का विवाह करने में होती है। मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें सगोत्र विवाह की इस कठिनाई से बचने के लिये वधू के पिता ने उसे दूसरे गोत्र के व्यक्ति को गोद दे दिया और फिर उसका विवाह उस वर से हुआ जो उसके वास्तविक पिता का सगोत्री था और यह सब समाज के उस वर्ग द्वारा किया जाता था जो अपने को पुराणपंथी समझता था और जब ऐसा हो चुका तो आज तक किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वर्त्तमान विधि के अधीन ऐसे मामले हुए हैं, जब जवान विधवाओं ने

[ श्री पाटस्कर ]

अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को पुत्र के रूप में गोद लिया था और समाज ने साधारणतया ऐसे मामलों की भर्त्सना की थी। अतएव खण्ड ११ के अन्तर्गत यह उपबन्ध रखा गया है कि जब कोई पुरुष किसी लड़की को गोद ले तब गोद लेने वाले पिता की उम्र गोद ली जाने वाली लड़की से २१ वर्ष ज्यादा हो और जब कोई स्त्री किसी लड़के को गोद ले तो वह भी उससे २१ वर्ष बड़ी होनी चाहिये। ब्रिटेन की दत्तक ग्रहण विधि में भी ऐसा ही उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त वह वर्त्तमान सामाजिक औचित्य के विचारों और भावनाओं के अनुरूप है। इस विधेयक के खण्ड हिन्दू संहिता विधेयक के उन्हीं उपबन्धों का पालन करते हैं जिन पर अस्थायी संसद् की प्रवर समिति विचार कर चुकी है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमने हिन्दू स्त्री की सीमित सम्पत्ति को समाप्त कर दिया है। इसके बाद कोई भी विधवा जिसे अपने पति की सम्पत्ति परंपरागत मिलती है और उसके कब्जे में रहती है, ऐसी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। अतएव दत्तक-ग्रहण के परिणामस्वरूप किसी सम्पत्ति को देने या न देने से सम्बन्धित प्रश्न के अनुसार आवश्यक परिवर्त्तन करना होगा। वर्त्तमान विधि के अधीन एक विधवा के दत्तक-ग्रहण करने पर गोद लिये गये लड़के के अधिकार उसी तारीख से हो जायेंगे जिस तारीख को उस विधवा स्त्री के पति का देहान्त हुआ था। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि अब विधवा भी अन्य वारिसों के समान ही अपने पति से मिली हुई परंपरागत सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाती है और इस प्रकार सम्पत्ति में हक देने या न देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार गोद लिया गया पुत्र उसका वास्तविक वारिस के समान ही वारिस हो जायेगा। केवल उसी दृष्टिकोण से हिन्दू संहिता विधेयक से इस विषय से सम्बन्धित उपबन्ध इस विधेयक से बिलकुल ही निकाल दिये गये हैं।

आज जो हिन्दू विधि प्रचलित है, उसके अधीन कोई भी विधवा केवल तभी किसी को गोद ले सकती है जब कि उसके पति ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी हो। वास्तव में बम्बई राज्य में, बम्बई के उच्चन्यायालय के अधिनिर्णय के कारण सम्मति लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों में ऐसे भी भाग हैं जहां परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। यह मुकदमेबाजी की एक बड़ी मात्रा को कम करने का प्रभावोत्पादक साधन था। अब ऐसी सम्मति को आवश्यक बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि वह विधवा जो किसी को गोद लेती है, स्वयं ही सम्पत्ति की पूर्व स्वामिनी रहती है। यह इस विधि द्वारा किये गये परिवर्त्तन का एक दूसरा पहलू है।

आज किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति गोद लिया जा सकता है। ऐसे मामले भी हुए हैं जब विधवाओं ने अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोगों को गोद लिया है। यह दत्तक-ग्रहण के मूलभूत विचार और धारणा के प्रतिकूल है। अतएव यह उपबन्ध रखा गया है कि गोद लिया जाने वाला व्यक्ति १५ साल से ज्यादा का न हो।

वर्तमान विधि के अन्तर्गत यदि कोई सपत्नीक व्यक्ति किसी को गोद लेना चाहता है तो वह उसे गोद ले सकता है चाहे उसकी पत्नी सम्मति दे या न दे। अब यह उपबन्धित किया गया है कि वह ऐसा अपनी पत्नी की या यदि एक से अधिक पत्नियां जीवित हों तो उनकी सम्मति से ही कर सकेगा। यह अनुभव किया जाना चाहिये कि यह न केवल एक पत्नी के पद और सम्मान के अनुकूल है वरन् इस तथ्य से भी आवश्यक है कि अब वह पूर्ण वारिस है और यह कुटुम्ब में सुख-शान्ति बनाये रखने के विचार के अनुरूप है।

वर्त्तमान विधि के अन्तर्गत केवल माता या पिता ही अपने बच्चे को दूसरे की गोद दे सकती है। धार्मिक विचारों के अलावा दत्तक-ग्रहण का अन्तर्निहित उद्देश्य संतान-विहीन व्यक्ति को बच्चे वाला बनने की एक प्रबल इच्छा है! वास्तव में, पुराने जमाने के भी ऐसे कई उदाहरण हैं जब कि ऐसे बच्चे गोद लिये

गये हैं जिनके मां-बाप गोद लेने के समय जीवित नहीं थे। परन्तु वे उस समय तक मान्य नहीं थे जब तक कि वे प्रथा के अनुसार न्यायोचित न ठहराये जायें। वास्तव में यह महसूस किया जाना चाहिये कि पितृविहीन बालक को ही पिता की देख-रेख की घोर आवश्यकता होती है और वर्त्तमान विधि ऐसे ही बालक को गोद लेने से रोकती है। यह वांछनीय है कि ऐसे बच्चों को वे व्यक्ति गोद लें जो उन्हें गोद लेना चाहते हैं। अतएव ऐसे बच्चे के अभिभावक को दत्तक दे सकने के लिये उपबन्ध बनाया गया है। अभिभावक भाई, या अन्य कोई सम्बन्धी या वह व्यक्ति हो सकता है जो उसका सम्बन्धी न हो। इस उपबन्ध का लोग इस तर्क पर गलत उपयोग न करें कि वे भावी उद्देश्य से बच्चों की व्यवस्था करने के लिये अभिभावक हैं, इसे रोकने के लिये एक परित्राण रखा गया है कि ऐसा अभिभावक इच्छापत्रीय अथवा न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त अभिभावक होना चाहिये।

दत्तक-ग्रहण के इस तरीकों को अपना कर कहीं विवाह विधि के उन उपबन्धों का उल्लंघन न किया जाये जिनके द्वारा कि विशिष्ट स्वाभाविक रिश्ते के व्यक्तियों को एक दूसरे-से विवाह करना प्रतिबाधित किया गया है, उससे बचने के लिये यह उपबन्ध रखा गया है कि दत्तक-ग्रहण के बाद उस लड़के को उस व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार नहीं रहेगा जिससे वह लड़का या लड़की उस व्यक्ति से उस स्थिति में विवाह नहीं कर सकता था या कर सकती थी जब वह अपने जन्म के कुटुम्ब में रहा होता या रही होती।

अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि बहुत से दत्तक ग्रहणों पर इस समय प्रवृत विधि के अनुसार उसका दस्तावेज यथाविधि पंजीयित हो चुकने पर भी विधि-न्यायालयों में आपत्ति उठाई जाति है। अतएव एक ऐसा खण्ड जोड़ दिया गया है कि ऐसे मामलों में न्यायालय यह मान लेगा कि दत्तक-ग्रहण इस अधि-नियम के अनुसार ही हुआ है। यह वांछनीय है कि जब किसी लड़के अथवा लड़की को गोद लेने की अनुमति दी जाये, तो इस कार्य में आर्थिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। अत: इस प्रकार के कार्य को अपराध मान कर इसके लिये दण्ड की व्यवस्था खण्ड १७ में की गई है। गोद सम्बन्धी उपबन्ध सरल हैं और इनसे किसी प्रकार के विवाद की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये।

गोद लेने की प्रथा हिन्दू समाज की एक विशेषता है। परिवार हिन्दू समाज का आवश्यक अंग है और इस अंग को अक्षुण्ण बनाये रखने की दिशा में गोद लेने का बड़ा महत्व है। व्यक्ति आधुनिक समाज की इकाई है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा ही संविधान का आधार है। देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में विशाल परिवर्तन हो रहे हैं और व्यक्ति समाज की आवश्यक इकाई में परिणत हो गया है। पुराने अर्थ में और पुरातन प्रयोजन के लिये गोद लेना और देना वर्तमान युग में दुर्लभ है।

वर्तमान अवस्था में गोद की प्रथा कई मामलों में पिछले कई वर्षों में दुख का कारण बन गई है। कई मामलों में, गोद के परिणामस्वरूप परिवार समृद्ध होने के बजाय न्यायालयों में मुकदमें चलाने से विध्वंस हो गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा रहती है कि वह किसी बच्चे अथवा बच्ची का लालन-पालन करे और उसकी देख-भाल करे। प्रस्तुत विधान में इसी भावना को संरक्षण प्रदान किया गया है।

सन् १९१८ में, विगत महायुद्ध के पश्चात् संसार में ऐसे अनेक देश हैं जहां गोद लेने के लिये कोई उपबन्ध नहीं था। यूरोप, अमेरिका और अन्यत्र ऐसे लगभग २८ देश हैं जहां उसके बाद नियम बनाये जा चुके हैं क्योंकि इस समस्या ने अब सामाजिक रूप धारण कर लिया है। मातृ-पितृहीन ऐसे अनेक बालक हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया है और जिनकी कोई खबर पूछने वाला नहीं है। परन्तु इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से बच्चों को पालने की स्थिति में तो हैं किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं है। अत: इस सामाजिक समस्या को हल करने के लिये उन देशों को, धार्मिक विचारधारा के अतिरिक्त, गोद लेने के सम्बन्ध में विधि अधिनियमित करना आवश्यक होगा ताकि अनाथ बच्चे विधिसंगत रूप धारण कर सकें।

[श्री पाटस्कर]

अब मैं दूसरे खण्डों की चर्चा करता हूं। परिच्छेद ३ में, खण्ड १८ से २७ में पत्नी के निर्वहन की समस्या है। इस खण्ड के उपखण्ड (१) और (२) राऊ समिति के प्रतिवेदन और अन्तरिम संसद् के प्रतिवेदन के खण्ड २६ पर निर्भर है। इन खण्डों का मसौदा पुनः तैयार किया गया है ताकि इस खण्ड के उपबन्ध पत्नी के निर्वहन तक सीमित रहें।

एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि न्यायिक पृथक्करण और हिन्दू विवाह अधिनियम में उपबन्धित निर्वाह की व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए क्या यह उपबन्ध आवश्यक है। उसका उत्तर स्वीकारात्मक है क्योंकि हिन्दू नारी किसी वैध उपाय का आश्रय ले सकती है। यदि परम्परा की ओर ध्यान दिया जाये तो निश्चित है कि न्यायिक पृथक्करण अथवा विवाह-विच्छेद की उपेक्षा हिन्दू नारी वर्तमान विधि को ही श्रेयस्कर समझेगी। निर्वहन सम्बन्धी डिग्री और न्यायिक पृथक्करण की डिग्री में सन्निहित स्थायी निर्वाह-व्यय में विशेष अन्तर नहीं है। न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में, सहवास में अथवा साथ-साथ रहने में युक्त डिग्री अधिक दिनों तक लागू नहीं होगी। किन्तु हिन्दू नारी की दृष्टि में निर्वहन-डिग्री और न्यायिक पृथक्करण सम्बन्धी डिग्री में पर्याप्त अन्तर है।

खण्ड १९ : उसमें राऊ समिति के विधेयक के भाग ४ के परिच्छेद २ का खण्ड २६ पुनः उद्धृत किया गया है। वर्तमान विधि के अधीन श्वसुर कानूनी रूप से अपनी विधवा पुत्रवधू के निर्वहन के लिये उत्तरदायी नहीं है किन्तु यदि उसकी अपनी अलग सम्पत्ति है तो इस सम्पत्ति से अपनी विधवा पुत्रवधू के निर्वाह का उस पर नैतिक उत्तरदायित्व है। श्वसुर के निधन की स्थिति में नैतिक आभार वारिस के कानूनी आभार में परिणत हो जाता है। श्वसुर का नैतिक दायित्व उसके और उसकी पुत्रवधू के परस्पर सम्बन्ध पर निर्भर है भले ही पिता और मृतक पति में संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में हों अथवा न हों।

खण्ड १९ (२) में वर्तमान विधि का संक्षेप ब्योरा दिया गया है।

खण्ड २०: यह अनुच्छेद १९४८ में प्रवर समिति द्वारा जोड़ा गया था। राऊ समिति के मसौदे में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं था।

मनु का विचार है कि वृद्ध माता और पिता, पतिव्रता स्त्री तथा अबोध बालक के निर्वहन की व्यवस्था होना ही चाहिये भले ही इसके लिये सौ कुकर्मों का आश्रय क्यों न लेना पड़े। अतः सम्पत्ति न हो किन्तु जो कुछ अधिग्रहण किया गया है, उसमें से वृद्ध माता-पिता-पत्नी और बच्चों का पालन करना अनिवार्य है।

हिन्दू विधि के अनुसार अवयस्क पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और वृद्ध माता-पिता के निर्वाह का उत्तरदायित्व पिता पर है किन्तु पौत्र अथवा पौत्रियों के भरण-पोषण के लिये वह उत्तरदायी नहीं है। उन्हें जारज पुत्रों के कुछ वर्गों का भी निर्वहन करना पड़ता है किन्तु जारज पुत्रियों के निर्वहन के बारे में हिन्दू विधि के अधीन कोई उपबन्ध नहीं है। यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८८ के अधीन जारज पुत्रियाँ ख्याति पिता से निर्वहन व्यय का दावा कर सकती हैं। यह विशिष्ट खण्ड हिन्दू विधि पर आधारित होते हुए, पुत्रियों समेत सब बच्चों के लिये उपबन्ध करता है।

खण्ड २१ : इसमें राऊ समिति विधेयक के भाग ३-क, डिवीजन २ का खण्ड ५ उद्धृत किया गया है।

वर्तमान विधि के अधीन वारिस कानूनी दृष्टि से इस बात के लिये बाध्य है कि प्राप्त अधि-सम्पदा में से वह उन लोगों का निर्वहन करे जिनका उत्तरदायित्व कानूनी अथवा नैतिक दृष्टि से पूर्व निर्वहनकर्ता पर था। इसका कारण यह है कि अधिसम्पदा के स्वामित्व में उक्त निर्वहन का दायित्व भी निहित है।

आश्रित व्यक्तियों की सूची तैयार करने में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। निर्वहन का प्रश्न तय करते समय यह निर्णय करना है कि निर्वाह-व्यय किसे देना है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ व्यक्तियों को वरीयता-प्राप्त वारिस माना गया है उन सब को आश्रित ही समझना चाहिये ताकि यदि उनमें से किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के ऐसे अंश से वंचित किया जाता है जो मृतक व्यक्ति के पश्चात् उसे प्राप्त होती तो इस स्थिति में इस विधि के अन्तर्गत निर्वहन का दायित्व उस पर है। उसके साथ यह तर्क किया जा सकता है कि मृत व्यक्ति वसीयत पत्र के अधिकारी की हैसियत में किसी भी वारिस को सम्पत्ति के अंश से वंचित कर सकता था। यह भी अवांछनीय है कि पुत्री आदि के माध्यम से पुत्र और पुत्रियों सदृश वारिस को देय-निर्वहन का उपबन्ध किया जाये। आश्रित व्यक्ति सामान्यतया वे ही होने चाहिये जो निर्वहन के लिये मृतक पर निर्भर थे। यदि यह सूची बड़ी है तो इसका परिणाम यह होगा कि मृतक द्वारा घोषित व्यक्तियों की सूची में व्यवधान उपस्थित होगा। खण्ड २१ का वर्तमान रूप उत्तरवर्ती सिद्धान्त पर आधारित है।

खण्ड २२ निर्वहन का दायित्व इस तथ्य पर आधारित है कि वारिस को मृतक व्यक्ति से सम्पत्ति विरासत में मिली है और स्पष्ट है कि निर्वहन की रकम इस बात पर निर्भर होगी कि उसने कितना हिस्सा लिया है।

खण्ड २३ में निर्वहन की रकम की चर्चा है। यह खण्ड प्रिवी कौंसिल द्वारा निर्धारित सर्वविदित सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त का सार यह है कि निर्वहन स्थिति के सम्पूर्ण तथ्यों पर निर्भर है—मुक्त सम्पदा की रकम, विवाहित पक्षों और परिवार का विगत जीवन आदि-आदि। संक्षेप में, युक्ति-संगत एवं विवादहीन निष्कर्ष परिस्थितियों के अध्ययन के पश्चात् ही मालूम हो सकता है।

खण्ड २४ और २५ के किसी प्रकार के टिप्पण की आवश्यकता नहीं है। वे निर्वहन-विधि के सामान्य लक्षण हैं।

खण्ड २६ वर्तमान विधि के अनुसार है। इस विधि के अधीन निर्वाह-व्यय के हेतु एक विधवा का मृत पति की सम्पदा पर—चाहे वह संयुक्त हो अथवा प्रथक्—कोई दावा नहीं है जब तक कि वह उस पर निश्चित न किया गया हो। यह प्रभार इसी स्थिति में हो सकता है जबकि न्यायालय द्वारा डिग्री दी गई हो, अथवा विधवा एवं सैम्पदाधारी में परस्पर समझौता हो या उस वसीयत में जिसके आधार पर सम्पत्ति दी गई हो, उसका जिक्र हो।

खण्ड २७ और २८ इस प्रकार के विषयों को नियन्त्रित करने वाली वर्तमान विधि के अनुसार है।

यह हिन्दू संहिता का अन्तिम भाग है। इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। और इस देश की सम्पूर्ण जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही इसे प्रस्तुत किया गया है। मुख्य आपत्ति लड़की को गोद लेने के सम्बन्ध में है। यदि बच्चों को गोद लेने का ध्येय तर्पण ही है, तो लड़की को गोद लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। समाज की वर्तमान विचारधारा के अनुसार ही यह व्यवस्था की गई है। सम्भव है कि एक व्यक्ति अपने पड़ौसी की उस लड़की को गोद लेना चाहे जिसके माता-पिता मर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इस लड़की को गोद लेने में कोई कठिनाइयां होंगी। संयुक्त परिवार में विधि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि ये लोग लड़कियाँ गोद नहीं लेंगे। लड़की को गोद लेना किसी धर्म अथवा मत के विरुद्ध नहीं है। दत्तक मीमांसा में इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख है। किसी मूल संस्कृत पाठ को गलत रूप में पढ़ लेने से ही इस प्रकार का भय पैदा हो गया है कि लड़की को गोद लेना धर्म विरुद्ध है। भगवान रामचंद्र के पिता दशरथ ने अपनी पुत्री एक मित्र के यहां गोद दी थी। इसक अतिरिक्त इसमें विवाद की कोई बात नहीं है।

[श्री पाटस्कर]

जहां तक निर्वहन का सम्बन्ध है विधेयक के उपबन्ध सामान्य निर्वहन-विधि के ही लक्षण हैं। इनमें जरा रूप भेद किया गया है। यह विधि व्यवस्था निर्विवाद है और मुझे आशा है कि सभा निर्विरोध रूप में इसे स्वीकार कर लेगी।

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

## जीवन बीमा निगम नियमों के रूप भेद के बारे में प्रस्ताव--- समाप्त

**सभापति महोदय :** अब सभा उस प्रस्ताव पर विचार करेगी जो पहले रोक लिया गया था। मैं श्री साधन गुप्त का प्रस्ताव संख्या २ रखूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

**श्री साधन गुप्त का प्रस्ताव संख्या २ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय :** दूसरे प्रस्तावों का निबटारा पहले ही किया जा चुका है।

---

## हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक--- जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक पर चर्चा करेगी।

**श्रीमती शिवराजवती नेहरू** (जिला लखनऊ---मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की मुख्य बात यह है कि अब हिन्दू समाज लड़की को भी गोद ले सकेगा और लड़की को भी अपने गोद लेने वाले पिता की सम्पत्ति में उसकी जाई हुई पुत्री के समान अधिकार होगा। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं इस को सहर्ष स्वीकार करती हूं।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदस्यों को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिये और इस बिल को पास कर देना चाहिये। मैं इस बात में तो सेंटिमेंटल नहीं हूं, परन्तु यह अवश्य कहना चाहती हूं कि जैसी कि कहावत है कि पंच परमेश्वर होता है, पंचों की जो आवाज होती है उसमें भगवान वास करता है। जब कौंसिल आफ स्टेट (राज्य-सभा) के सदस्यों ने इस बिल पर अच्छी तरह से विचार करके और संशोधन करके इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया तो मैं उनके निर्णय के विपरीत कहने का साहस नहीं कर सकती। दूसरे सदन में बहुत बड़े बड़े कानून के ज्ञाता हैं और धुरंधर पंडित हैं .....

**उपाध्यक्ष महोदय :** मगर यहां तो दावा है कि यहां और भी ज्यादा पण्डित हैं।

**श्रीमती शिवराजवती नेहरू :** उनके निर्णय में त्रुटि निकालना या छिद्र देखना मैं समझती हूं कि सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है।

**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : तो आप इस हाउस को बन्द कर दें।

**श्रीमती शिवराजवती नेहरू :** परन्तु फिर भी, इस बिल को पढ़ कर मेरे मन में कई शंकायें उठती हैं और मेरा यह अधिकार है कि मैं उनको माननीय न्याय मंत्री जी के सामने रखूं और उनसे कहूं कि वह उनको दूर करें और इस बिल में जो नियम उन्होंने बनाये हैं उनका सही-सही अभिप्राय मुझ को समझा दें।

एक जो सब से पहला नियम है, जिसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन दिया है यह है कि अधिक से अधिक १५ वर्ष की आयु तक के बालक को गोद लिया जा सकता है। मैं सेंटिमेंटल नहीं हूं, लेकिन मैं समझती हूं

†मूल अंग्रेजी में।

कि १५ वर्ष तक के बालक का गोद लेने का नियम जो इस कानून में रखा गया है वह कामनसेन्स (सामान्य समझ) प्राकृतिक नियम और सांसारिक विचार, इन तीनों विचारों से अनुचित दिखाई देता है। गोद लेने का जो शब्द है, वह ऐसा शब्द है जिससे ऐसा मालूम होता है कि ऐसे बच्चे को गोद लिया जाये जिस को माता अपनी गोद में उठा सके। माता-पिता जब बच्चे के लिये कष्ट उठाते हैं, उसका लालन-पालन करते हैं और जब वह तोतली जबान से माता कहता है. जब कोमल और मधुर शब्द बोलता है, तभी माता-पिता के हृदय में उसके लिये प्रेम उमड़ता है। प्रेम वास्तव में किसी बच्चे के पेट में आने से नहीं होता है बल्कि उसके प्रति प्रेम माता-पिता के पालन-पोषण करने से उत्पन्न होता है। हमारे पुराने विद्वानों ने कहा है कि छोटी उम्र के बच्चों को, पांच वर्ष की आयु तक तो प्रेम से रखना चाहिये, पांच वर्ष से लेकर दस वर्ष की आयु तक उनको माता-पिता ताड़ना में रखें और जब उसकी आयु दस वर्ष से ऊपर हो जाये तो माता-पिता को उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिये। ऐसी स्थिति में उस वयस्क व्यक्ति को जिसको बालक नहीं कहा जा सकता यदि कोई माता-पिता गोद में लें तो वह बच्चा भी कैसे उन माता-पिता को अपना माता-पिता के समान प्रेम कर सकता है ?

फिर यह भी हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब बालक पैदा होता है तो उसके जन्म से ही संस्कार बनने लगते हैं, उसका मुंडन होता है, अन्न प्राशन होता है, यज्ञोपवीत होता है। हमारे न्याय मंत्री जी जानते हैं कि कानून के मुताबिक जो व्यक्ति यह सब संस्कार करता है वही वास्तव में उसका पिता होता है। मैं इसको मानती हूं कि यह अधिकतर ब्राह्मणों से ही ताल्लुक रखता है, फिर भी मैंने देखा है कि एक बड़े मुकदमे में दो आदमियों में से वही आदमी बच्चे का पिता समझा गया जिसने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया था। जब हम १५ वर्ष के बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके यह सभी संस्कार हो चुके होते हैं, नये माता-पिता के लिये कोई संस्कार नहीं बचता है। यही संस्कार होते हैं जो उस बच्चे को नये माता-पिता का सम्बन्धी बनाते हैं, उसके अपने गोत्र में ले जाते हैं और उस बच्चे को इस बात का अधिकारी बनाते हैं कि जब उसके नये माता-पिता मरें तो पिंडदान करे और क्रियाकर्म करे।

मैं कहती हूं कि जिस वातावरण में पल कर वह बच्चा इतना बड़ा हुआ, जहां उसकी शिक्षा हुई, जहां उसका चरित्र और स्वभाव पक्का हुआ, विचार उसका बन गया, उसकी पसन्द और नापसन्द बन गई, तब दूसरी जगह जाकर नये माता-पिता न उसको अपना सकते हैं और न वह ही उनको अपना माता-पिता मान सकता है। यदि छोटा बच्चा गोद लिया जाय तो उसको माता-पिता अपने सांचे में ढाल सकते हैं, बड़े बच्चे का माता-पिता अपने साचे में नहीं ढाल सकते और न वह उसको अपना समझ सकते हैं। यदि केवल इसलिये बच्चा गोद लिया जाता है कि कोई अपना तमाम धन उसको गोद ले कर देदे तो उसके लिये हमारे कानून में यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी आदमी किसी को विल कर के अपना धन दे सकता है। हमारी एक बहन ने कहा कि अगर भतीजा हो और पन्द्रह वर्ष के अन्दर हो तो उसका बाप जीवित न हो तो भाई गोद ले ले मेरा यह कहना है कि उसको गोद लेने की क्या जरूरत है ? चाचा भी तो पिता के समान ही होता है, भतीजे को भी क्रियाकर्म करने का अधिकार है, अगर कोई चाहे तो विल करके भतीजे को अपनी सम्पत्ति भी दे सकता है।

इसलिये इन बातों को देख कर मेरी तो राय यह है कि अधिक से अधिक छः या सात वर्ष तक के बालक को गोद लिया जाये। छः सात वर्ष तक के बालक को माता-पिता अपने संचालन में रख सकते हैं और जो माता-पिता कष्ट उठा कर बच्चे को १५ वर्ष का करेंगे वह उस को पूरी तरह से प्रेम करेंगे। १५ वर्ष का पुत्र तो कमाऊ पूत कहलाता है। एक व्यक्ति ने बीज बो कर पेड़ को बड़ा किया लेकिन जब उसकी छांह में बैठने का समय आया तब वह उसे गोद देदे अगर वही न रह जाये तो कैसे काम चलेगा क्योंकि उसे तो उसने दूसरे को दे दिया। १५ वर्ष के बच्चे को गोद दे देने के माने तो यह हैं कि अपने बच्चे को दूसरे गोद दे दिया महज इस लालच से कि दूसरे का धन मिल जाये। ऐसी स्थिति में पुत्र को भी हमेशा

[ श्रीमती शिवराजवती नेहरू ]

यही खयाल बना रहेगा कि कब नये माता-पिता का स्वर्गवास हो जाये और उनकी प्रापर्टी उसको मिल जाये ।

इस बिल में यह भी कहा गया है :

"गोद लिया हुआ बालक सब प्रयोजनों के लिये अपने दत्तक पिता अथवा माता का बालक समझा जायेगा, गोद लेने की तिथि से अथवा उस तिथि से जो....."

मेरा सुझाव है कि यहां पर राइट्स (अधिकार) होना चाहिये और मैं कहती हूं कि यह बिल्कुल ठीक है ।

"बालक के अपने जन्म के सम्पूर्ण सम्बन्ध पृथक् मान कर दत्तकगृहीता परिवार में समाहत समझे जायेंगे ।"

मेरा यह विचार है कि १५ वर्ष का जो बच्चा होगा वह अपनी माता-पिता की फैमिली (परिवार) को छोड़ कर जहां पर कि उसका सारा बचपन बीता और उसने युवावस्था में पदार्पण किया, जहां पर उसका प्रेम बन्धन होगा, कैसे ऐडाप्टेड (दत्तक) फैमिली (परिवार) का बन सकेगा । यह चीज मेरी समझ में नहीं आती ।

दूसरी बात इसमें यह कही गई है :

"यदि लड़का गोद लिया गया है तो दत्तकगृहीता अथवा दत्तकगृहीत्री को, जिसने गोद लिया है, हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र अथवा प्रपौत्र नहीं होना चाहिये ।"

मैं इसमें यह बढ़ाना चाहती हूं कि "प्रपौत्र" के पश्चात् "दौहित्र" जोड़ा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सकसेशन बिल (उत्तराधिकार विधेयक) पास किया है, लड़की और लड़के को आप समान अधिकार देना चाहते हैं और आपने दिये भी हैं, सम्पत्ति में आपने लड़की का हिस्सा रखा है और आप हर पहलू से हिन्दू समाज को सुधारना चाहते हैं । जब ये सारी बातें हैं तो क्या कारण है कि आप यहां पर लड़की के लड़के को शामिल नहीं कर रहे हैं । आपने ज्वायंट हिन्दू फैमिली (संयुक्त हिन्दू परिवार) खत्म कर दी है, आपने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का इरादा किया हुआ है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब लड़की का लड़का मौजूद है, तब आप गोद लेने की इजाजत क्यों देते हैं जब कि अगर पड़पोता तक मौजूद है तो मनुष्य लड़का गोद नहीं ले सकता लेकिन लड़की के लड़के की मौजूदगी में लड़का को गोद लेने की इजाजत नहीं देते हैं । जब कि वह क्रियाकर्म भी कर सकता है और नाना की सम्पत्ति का अधिकारी भी है हमारे हिन्दू शास्त्र के मुताबिक तो क्या कारण है कि पिता उसको गोद न ले ।

आगे चल कर आपने यह लिखा है कि :

"यदि पुरुष गोद ले और गोद लिया जाने वाला व्यक्ति कोई लड़की है तो दत्तकगृहीता दत्तक व्यक्ति से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको भी मैं बिल्कुल गलत समझती हूं अगर यहां पर यह होता कि छः या सात बरस की लड़की को एडाप्ट किया जा सकता है तब तो यह ठीक था । लेकिन जब यह लिख दिया जाता है कि १५ बरस की लड़की को भी एडाप्ट किया जा सकता है, और ऐसी हालत में जबकि बीवी मर गई है, बेवा न हो, शादी न की हो तो यह ठीक नहीं है । हमने हिन्दू समाज में देखा है कि ३५-३५ और ३६-३६ बरस के आदमी १५-१५ बरस की लड़की के साथ शादी करते हैं । अब आप यहां यह रख रहे हैं कि ३५ बरस का आदमी १५ बरस की लड़की को एडाप्ट कर सकता है, यह ठीक नहीं है । अगर आप यहां

छः-सात बरस की लिमिट रख दें तो ठीक होगा। लेकिन अगर आपने यह रखा कि ३५ बरस का आदमी १५ बरस की लड़की को एडाप्ट कर सकता है तो क्या यह उचित है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह जरूरी है कि वह १५ बरस की लड़की को ही एडाप्ट करे ?

**श्रीमती शिवराजवती नेहरू** : आगे चल कर आपने लिखा है :

"कि दत्तक बालक में निहित सम्पत्ति उसी में निहित रहेगी परन्तु इस सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी दायित्व की पूर्ति का उत्तरादायित्व उस पर रहेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको बिना सोचे-समझ रख दिया गया है। जब आपने किसी को गोद दे दिया है क्या वजह है कि उसका हक अपने बाप की प्रापर्टी में बना रहे। इसकी जगह पर मैं यह चाहती हूं कि यह इनसर्ट कर दिया जाये कि दत्तक दिये जाने से पूर्व की सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित नहीं रहेगा। पीछे का जो हिस्सा है इसको उड़ा दिया जाये। जब उसका कोई हक़ प्रापर्टी में नहीं रहेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं रह जायेगी, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जायेगा। जैसे यह क्लाज़ (खण्ड) अब है उसका मतलब तो यह है कि बाप की प्रापर्टी में भी उसका हक़ बना रहे और जिसने एडाप्ट किया है उसकी प्रापर्टी में भी। यह तो एक झगड़े की जड़ है, इससे तो लड़ाई झगड़े ही बढ़ेंगे। यह जरूरी तो नहीं है कि जिस लड़के को गोद लिया जायेगा उसका कोई भाई ही नहीं होगा। उसके दो-दो और तीन-तीन और भी भाई हो सकते हैं। जो जिम्मेदारी उठायेंगे--गोद लिये हुए लड़के के बीच में बने रहने स दोनों कुटुम्बों में आपस में झगड़ा बढेंगे। तो जिस को एक बार गोद दे दिया उसका हक़ उसके बाप की प्रापर्टी में नहीं रहना चाहिये। इसमें आगे चल कर कहा गया है कि एक जो लड़का है उसको दो या तीन मनुष्यों को एडापशन में नहीं दिया जा सकता है। जब आपने इस कानून को बनाया है तो आप बतायें कि क्या आपने दो मनुष्य बना दिये हैं या नहीं। बाप की प्रापर्टी में भी उसका हक़ होगा और एडाप्टिड फादर (दत्तक गृहीता) की प्रापर्टी में भी उसका हक़ होगा। इस तरह से उसको तीसरे मनुष्य को भी दिया जा सकेगा। इस तरह से उसका तीन-तीन जगह पर भी हक़ बना रहेगा और लोग बालक गोद देने का एक व्यवसाय बना लेंगे। और इससे फायदा उठाना शुरू कर देंगे।

जो-जो सुधार इस बिल में मैंने करने के लिये बतायें हैं यदि वे कर लिये जायें तो ठीक रहेगा। दूसरा हिस्सा जो मेनटेनेंस के बारे में है वह बिल्कुल ठीक है और मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। यदि इस बिल में सुधार करके इसको पास किया गया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लड़की को गोद लेने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब आज हम लड़के और लड़की को समान समझते हैं तो जिस तरह से लड़के को गोद लिया जा सकता है उसी तरह से लड़की को भी गोद लिया जा सकता है। परन्तु यह जो लड़की के लिये १५ बरस की आयु रखी गई है, यह मुझे बिल्कुल नापसन्द है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले ज़माने में औरतें अपनी उम्र से भी बड़ी उम्र के लड़कों को गोद ले लिया करती थीं। तो उस बात को इस बिल के द्वारा उन्होंने कहां मिटाया है उस चीज़ को तो आपने अभी भी कायम रखा है। अब औरतें नहीं गोद लेंगी तो पुरुष गोद ले लेंगे। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि जो-जो तरमीमें मैंने करने के लिये कही हैं, उनको मंजूर करने के बाद ही इस बिल को पास किया जाना चाहिये।

**श्री नन्दलाल शर्मा** (सीकर) :

धर्मेन शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते,
नाऽधर्मो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय ने पिछला इतिहास बनाते हुए हिन्दू कोड बिल का यह अन्तिम चरण बताया है और इसको हिन्दू कोड का अन्तिम बार हिन्दू धर्म शास्त्र पर और हिन्दू जाति

[श्री नन्दलाल शर्मा]

पर बताया है। मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्तिम दिनों में जबकि यह सदन स्वयं समाप्त होने जा रहा है एक शक्तिशाली दल का जनता के साथ और विशेषकर हिन्दू समाज के साथ यह एक बड़ा भारी विश्वासघात है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि हमारे सदन के नेता और प्रधान मंत्री श्री जवाहर-लाल नेहरू जी ने स्वयं अपने चुनाव-क्षेत्र में इस बात को अनुभव किया और उनको मालूम पड़ा कि जनता हिन्दू कोड़ बिल के विरुद्ध है और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि वह जनता की भावना के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून उस पर नहीं लादेंगे। आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों द्वारा इसका विरोध किये जाने के बावजूद और जबकि विशेषकर स्वयं इस सदन के सदस्य भी यहां पूरी संख्या में उपस्थित न हों और उनकी संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही हो ऐसा आवश्यक विधेयक हमारे सिर पर और जनता के सिर पर लादा जा रहा है। इस चीज़ को मैं सब से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। इससे भी बड़ा खेद मेरे मन में हमारे वर्तमान विधि मंत्री के लिये हो रहा है जिनके भाग्य में ये चारों के चारों विधेयक पड़ गये जो और वह चाहें या न चाहें उनके सिर पर यह चीज़ आ पड़ी जैसे कि द्रौपदी के नग्न होते समय कौरवों की सभा में द्रौण और भीष्म भी धर्मानुकूल कुछ नहीं कर सके और अन्त में उनके एक-एक रोम में बाण लगे और उनको उसका उत्तर देना पड़ा। मैं समझता हूं कि एक न एक दिन और वह दिन दूर नहीं जबकि कांग्रेस को भी इसके लिये पश्चाताप करना पड़ेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उसके अन्त की उसको बार-बार याद दिलाना, यह तो कोई ठीक बात नहीं है।

**श्री नन्दलाल शर्मा** : अन्त जिसको याद नहीं रहता है, वह सब पाप करता है। जिस पुरुष को अपनी मृत्यु का स्मरण है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता है.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : हर वक्त मृत्यु ही सामने रहे तो काम कैसे चले।

**श्री नन्दलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यह कृत्य ही मृत्यु लाने वाला है। यदि मृत्यु का भय न हो तो एडापशन की आवश्यकता कभी न पड़े।

हमारे विधि मंत्री महोदय ने बार-बार दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का नाम उल्लेख किया है। उन्होंने एक केस का भी उल्लेख किया, जिसके आधार पर उन्होंने अपने इस कार्य के औचित्य को सिद्ध करना चाहा, हांलांकि साथ ही उन्होंने स्वयं ही यह भी कह दिया कि अपील में वह केस नष्ट हो गया और एपिलेट अथारिटी (अपीलीय प्राधिकार) ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एपिलेट अथारिटी अथवा कील बुक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो श्री विधि मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह केवल वितंडावाद के आधार पर चलते हैं या वाद के किसी आधार को स्वीकार करते हैं। यदि वह दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका के आधार पर चलना चाहते हैं, तब तो उनको उन ग्रन्थों को कोट उद्धृत करने का अधिकार है, लेकिन तथ्य यह है कि उनकी ९९ प्रतिशत बातों का आप विरोध करते हैं, परन्तु कन्या को दत्तक-ग्रहण करना आप उसमें से सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, जिसको दायभाग स्कूल ने स्वीकार नहीं किया, मिताक्षरा स्कूल ने स्वीकार नहीं किया और भारत के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक हिन्दू जाति ने स्वीकार नहीं किया। दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका में इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, वह वहां के लिये की गई है, जहां इस प्रकार की परम्परा विद्यमान हो और उस परम्परा की रक्षा के लिये ही इसकी आज्ञा दी है।

मंत्री महोदय ने महाराज दशरथ का भी नाम लिया। इसके लिये ग्रन्थों में वर्णन है

कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्।
अपत्यकृत्तिकां राज्ञ रोमपादाय यां ददौ॥

उन्होंने महाराज रोमपाद को शान्ता दत्तक के रूप में दिये जाने का उल्लेख किया, लेकिन अगर वह हिन्दू इतिहास से यह सिद्ध कर सकें कि शान्ता रोमपाद की दत्तक थी और उसको दत्तक के रूप में ट्रीट (व्यवहृत) किया गया, तो न केवल इस विषय में बल्कि बाकी सब विषयों में भी हम आप से हार स्वीकार करने को तैयार होंगे । प्राचीन हिन्दूधर्म-शास्त्रों में कन्या के दत्तक-ग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कन्या सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी समझी जाती है । एक विशेष बात थी, जिसके कारण शान्ता रोमपाद के यहां गई । ज्योतिषियों ने बताया था कि यदि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी दिव्य ऋषि से कर देंगे, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी । चूंकि दशरथ और रोमपाद अभिन्न मित्र थे, इसलिये शान्ता को रोमपाद के यहां भेज दिया गया, परन्तु वहां पर उसका रोमपाद के राज्य या सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । बाद में जब ऋष्यश्रृंग के साथ उसका विवाह कर दिया गया, तो रोमपाद को पुत्र की प्राप्ति हुई । इन ऐतिहासिक तथ्यों से कोई इन्कार नहीं कर सकता है और यह कहना नितान्त गलत है कि रोमपाद ने शान्ता को दत्तक के रूप में अपने यहां रखा ।

फ़र्स्ट चैप्टर (प्रथम परिच्छेद) की धारा १ से लेकर ४ तक के बारे में आपने कहा है कि ये तो वही धारायें हैं, जो कि पहले थीं । मैं समझता हूं कि जो ग़लती आप पहले एक बार कर चुके हैं, उसको आप बार-बार दोहरा रहे हैं । न्यूयार्क में प्रकाशित एक पुस्तक **रिलिजस लीडर्ज़** (धार्मिक नेता) को यहां पर पुनः छपवाया गया और उसके परिणामस्वरूप आपकी क्या दुर्दशा हुई और आप सभी के सभी क्षमा मांगते फिरे, नाक रगड़ते फिरे । इसकी तुलना में हिन्दू जाति कितनी शान्त है । आप खुल्लम-खुल्ला यह कहने का दुस्साहस रखते हैं कि हम सभी टैक्स्ट्स, इन्टरप्रैटेशन्ज़ और ट्रैडीशन्ज़ (पाठ, निर्वचन और परम्पराओं) को रिपील (निरसन) करते हैं और हिन्दू जाति मुरदे के समान आपको सहन कर रही है । मैं यहां पर स्पष्ट तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि शास्त्र-हत्या का पाप आप के सिर पर है, सदाचार-हत्या का पाप आपके सिर पर है, गो-हत्या के पाप के भागी आप हैं, मातृ-भूमि की हत्या के पाप की जिम्मेदारी आप पर है, जिसका फल किसी न किसी दिन आपको अवश्य मिलने वाला है । आज आपको पता नहीं चलता है कि ईश्वर है या नहीं । आप के अन्यायपूर्ण कृत्यों को हिन्दू जाति शान्ति से सहन करती है और आप उसकी इच्छा के विरुद्ध निरन्तर एक के बाद एक कानून उसके सिर पर लाद रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इतने कोप में आकर श्राप नहीं देना चाहिये ।

**श्री पाटस्कर** : इलेक्शन (आम चुनाव) नज़दीक आ गये हैं ।

**श्री नन्दलाल शर्मा** : श्रीमान्, मैं आपके धर्मचक्र का सबसे बड़ा उपासक हूं, जो कि आपके सिर के ऊपर विराजमान है और इसी कारण से आप जो भी शब्द कहेंगे, उनके आगे सिर झुकाना मेरा कर्त्तव्य है, क्योंकि आपको धर्मासन प्राप्त है ।

मैं निवेदन करूंगा कि :

न छेड़ ऐ निकहते बादे बहारी राह चल अपनी,
तुझे अठखेलियां सूझी हैं, यहां बेज़ार बैठे हैं ।

पहले दिन से लेकर आज तक हिन्दू जाति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध मैं अपने रोष को प्रकट कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में मैं श्री कैलाश बिहारी लाल के मिनट आफ़ डिसेन्ट के कुछ शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

> "हिन्दू विधि के सिद्धान्त नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरे हैं और यदि वे संस्कृति तथा सभ्यता के लिये प्रगतिशील सिद्ध हुए हैं तो उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये बनाई जाने वाली विधिसंहिता में लागू क्यों नहीं कर दिया जाता ।"

[ श्री नन्दलाल शर्मा ]

आज आपकी सारी की सारी शक्ति, सारे का सारा क्रोध हिन्दू जाति के विरुद्ध है। जिन बातों का हिन्दू-धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसकी कोई स्वीकृति नहीं है, उनके ऊपर हिन्दू की मोहर लगा कर उनको हिन्दुओं के सिर पर लादा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इस बिल के द्वारा दत्तक होम को बीच में से हटा दिया गया है। कहा गया है कि अब उसका विचार करना ज़रूरी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के गोत्र और कुल को बदलने का अधिकार कौन सी विधि के अनुसार दिया जायगा। हिन्दू धर्मशास्त्र में इस की व्यवस्था कहां है ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्री पाटस्कर तो क्या, उन जैसे और उनसे दस गुना बड़े-बड़े भी अगर मस्तिष्क इकट्ठे हो जायें, तो भी हिन्दू जाति उनके द्वारा बताये हुए हिन्दू धर्मशास्त्रों के अर्थों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगी। उनको कम से कम यह प्रमाण देना पड़ेगा कि कौन-सी विधि के आधार पर आपने इस विधेयक में बच्चे के गोत्र और कुल को बदलने का अधिकार रखा है।

**एक माननीय सदस्य** : अब जात-पात छोड़नी पड़ेगी।

**श्री नन्दलाल शर्मा** : मैं हिन्दू विधि के बारे में कह रहा हूं। खण्ड ८ के शब्दों से मुझे बड़ा अचम्भा होता है कि हिन्दू जूरिसप्रुडेंस के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान भी नहीं रखा गया है। आखिर अविवाहित लड़की पुत्र-प्राप्ति का अधिकार—कैपेसिटी—कैसे प्राप्त करेगी बिना पुरुष के ? जिस पुरुष के साथ उसका विवाह नहीं हुआ, उसके द्वारा वह पुत्र कैसे प्राप्त कर लेगी और अगर कर लेगी, तो वह बच्चा किस प्रकार लेजिटिमेट चाइल्ड माना जायगा और लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं माना जायगा, तो वह फिर लीगल एयर कैसे माना जायगा और कौन से गोत्र, कुल से उसका सम्बन्ध होगा ? इन सब बातों का ख्याल न करके एक अन्धेरखाते की खिचड़ी हिन्दू जाति पर लाद दी गई है और अनमैरिड वोमैन, विडो (अविवाहित स्त्री, विधवा) को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया है।

माननीय सदस्या, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, ने भी कहा कि ३६ वर्ष का पुरुष या ३६ वर्ष की स्त्री एक पंद्रह वर्ष के लड़के या पन्द्रह वर्ष की कन्या को गोद में ले सकते हैं। यह बड़े अचम्भे की बात है। पन्द्रह वर्ष की लड़की प्युबर्टी की एज (तारुण्य) को प्राप्त कर चुकती है। वह ऋतुमती की सीमा को पार कर जाती है। एक ३६ वर्ष के पुरुष के द्वारा, जिसकी युवावस्था ढली नहीं होती, जो कि अभी वृद्ध नहीं हुआ होता, उसका एडाप्ट किया जाना जाति और समाज के लिये कितने भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न करेगा, यह समझने की बात है। हम यह नहीं कहते कि सभी के सभी पापी हो गये हैं, लेकिन हम यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि सभी आप जैसे महात्मा हो गये हैं। अगर इस तरह कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उसका भागी कौन रहेगा ?

इस बिल में शब्द "चाइल्ड" (बालक) रखा जा रहा है, जब कि पन्द्रह वर्ष तक तो बालक युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। यहां पर शब्द "बेबी" "इन्फ़ेन्ट" (शिशु) नहीं रखा गया है। तो शब्द तो आप "चाइल्ड" को रख रहे हैं और उसकी अवस्था रख रहे हैं १५ वर्ष। इस अवस्था में वह कौमार को पार कर रहा होता है और १६ वर्ष का होकर वह यौवन को प्राप्त करता है। इसी अवस्था में अभिमन्यु आदि का तो विवाह होना बतलाया गया है। आपका कानून समझ में नहीं आता कि इस अवस्था में उसे किस प्रकार एडाप्ट किया जाये। दत्तक-ग्रहण के अन्दर सबसे मुख्य यही सिद्धान्त विद्यमान था कि कौन पुरुष अपनी जाति और गोत्र के अनुसार किस स्त्री से सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार रखता था। जो पुरुष जिस स्त्री के साथ विवाह करके उससे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता उस स्त्री के पुत्र को वह कभी भी गोद नहीं ले सकता। यह एक सिद्धान्त था। यहां आपने उन समस्त नियमों को तोड़ करके इस कानून को हिन्दू कानून का नाम दिया है। और हिन्दू का लक्षण क्या है वह स्वयं उनकी समझ में ही नहीं आता

है । अन्ततोगत्वा जो भी अदालत के सामने अपने को हिन्दू कह देगा वही हिन्दू माना जायेगा, वह एडाप्ट भी किया जा सकेगा और एडाप्ट भी कर सकेगा । ऐसी परिस्थिति में जाति की रक्षा कौन करेगा यह नारायण ही जाने ।

धारा १३ में यह दिया हुआ है : कि यदि कोई विपरीत समझौता नहीं है तो दत्तक से दत्तक-ग्रहीता अथवा दत्तक-गृहीत्री परस्पर इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति परावर्तित करने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाते हैं ।

मेरी तो समझ में नहीं आया कि फिर एडाप्शन की आवश्यकता ही क्या रह गयी । इसमें तो मैं देखता हूं कि एडाप्शन के परपज़ (प्रयोजन) को ही नष्ट कर देने वाली एक धारा विद्यमान है । जब मेरे पीछे मेरा कौन उत्तराधिकारी होगा इसका कोई सवाल नहीं है तो फिर एडाप्शन का क्या अर्थ रह गया । आप कहते हैं कि उसके नेचुरल अर्ज (स्वाभाविक इच्छा) के कारण हम एडाप्शन का नियम बनाते हैं । आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा है कि मेरे बाद मेरी संतान मेरी सम्पत्ति की मालिक हो । लेकिन अगर कोई दत्तक-ग्रहण करने के बाद अपनी सम्पत्ति को किसी और के नाम कर दे, तो वह एडाप्टेड चाइल्ड किस की जानको बैठा रोया करेगा । मित्ताक्षरा के जन्मसिद्ध अधिकार को उन्होंने नष्ट कर दिया । आज जो एडाप्टेड पुत्र या पुत्री हो उसके अधिकार को भी नष्ट कर रहे हैं । पिंडदान आदि उनको अभीष्ट नहीं हैं, न उनको तर्पण अभीष्ट हैं । पिंड किसी नियम के अनुसार ही मिलता है । श्रीमद्भगवद्गीता स्पष्ट बताती है ।

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च,
पतन्ति पितरोह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रियाः ।

जहां वर्णसंकर संतान होती है उसका किया हुआ पिंड अथवा तर्पण माता-पिता को नहीं मिल सकता और वे नर्क के भागी होते हैं । लेकिन पाटस्कर जी के सिद्धान्त में परलोक का सम्बन्ध नहीं है । हमारे यहां कहा है : "पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र :" । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्होंने पुत्र शब्द का एटोमालाजीकल (व्युत्पत्ति सम्बन्धी) अर्थ ही नष्ट कर दिया । जो पुन् नाम नर्क से अपने माता-पिता को बचाता है वह पुत्र कहा जाता है । बाकी बच्चे तो गधे, कुत्ते आदि सब के ही होते हैं । जो व्यक्ति परलोक का ध्यान रख कर पुत्र उत्पन्न करता है उसी सन्तान को पुत्र कहा जा सकता है । यदि किसी पुरुष को अपने शरीर द्वारा इस प्रकार के औरस पुत्र की प्राप्ति न हो सके, उसको नर्क से बचाने के लिये और उसका परलोक सुधारने के लिये दत्तक का विधान शास्त्रकारों ने रखा था । उस दत्तक का उद्देश्य हमारे मंत्री जी की दृष्टि में बहुत नहीं है और वह समझते हैं कि हमें यह सब यूनीफार्मिटी (एकरूपता) लाने के लिये करना है । लेकिन मैं कहता हूं कि आपने यूनीफार्मिटी तो पहले ही नष्ट कर डाली । आपने इस कानून को जम्मू और काश्मीर तक बढ़ाया नहीं । आखिर वहां भी हिन्दू रहते हैं और वे उतने ही हिन्दू हैं जितने कि यहां रहने वाले हिन्दू । दुर्भाग्य से कुछ हिन्दू आज भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे हैं । कुछ हिन्दू सैंकड़ों वर्ष से अफगानिस्तान में रहते चले आ रहे हैं । उन सब के लिये आपने इस कानून को लागू नहीं किया । यह पाटस्कर स्मृति केवल हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दुओं पर ही लागू की जायेगी । इस प्रकार आपकी यूनिफार्मिटी भी नष्ट हो गयी और आपका उद्देश्य भी समझ में नहीं आता । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह धारा १३ अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती और न किसी प्रकार का आगे का कृत्य सिद्ध करती है ।

इसी प्रकार धारा १४ में लिखा है कि एक अविवाहिता लड़की अथवा विडो (विधवा) एडाप्ट कर ले, और उसके बाद यदि उसका विवाह हो जाये तो वह जो नया बाप होगा वह भी उस लड़के या लड़की का भी बाप होगा जिसको कि गोद लिया गया है । यह चीज़ विचित्र सी मालूम होती है । मान लीजिये

[ श्री नन्दलाल शर्मा ]

कि किसी अविवाहिता लड़की ने गोद लिया पर उसने आगे अपना विवाह नहीं किया, तो फिर वह लड़का या लड़की बाप के ही रहेगी । यानी संसार में एक नई पद्धति चलेगी, श्री पाटस्कर स्मृति द्वारा, कि केवल माता के द्वारा अथवा केवल पिता के द्वारा पुत्र अथवा पुत्री पैदा होगी । ऐसे लड़के लड़की होंगे कि जिनका कोई बाप नहीं होगा, अथवा जिनकी कोई मा नहीं होगी । इस प्रकार की संतानें हमको इस कानून के द्वारा प्राप्त होंगी । मुझे यह देखकर बड़ा खेद होता है । हमारे यहां दत्तक का यह सिद्धान्त था कि यदि कोई पुरुष एडाप्ट करता था तो यह देखता था कि उस स्त्री की सन्तान को गोद ले जिसके सन्तान उत्पन्न करने में उसको पाप न लगता हो । ऐसी स्त्री के पुत्र को वह लेता था, और उस पुत्र को वह स्त्री अपने पति द्वारा प्राप्त करती थी । इस प्रकार उसका पातिव्रत भी भंग नहीं माना जाता था । यदि कोई विधवा स्त्री एक लड़का गोद लेती है और बाद में वह विवाह कर लेती है तो पाटस्कर जी के अनुसार उसके दो बाप हो जायेंगे । इस प्रकार के परिवर्तन करके हिन्दू लॉ (कानून) में श्री पाटस्कर जी ने ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया है कि जिसको यह महानुभाव स्वयं भी नहीं समझ रहे हैं । यह कानून हिन्दू जाति पर थोपा जायेगा और फिर चार दिन बाद ही वह इसके अमेंडमेंट (संशोधन) के लिये आवेंगे और कहेंगे कि इस लॉ से हमारा काम नहीं चलता । किन्तु इसके पूर्व हमारा शास्त्रीय कानून लाखों वर्षों से चला आ रहा है । उसमें अभी तक कोई अमेंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी । लेकिन आप जो कानून बनाते हैं उसमें क्षणे-क्षणे पदे-पदे आप संशोधन लाते हैं ।

अब मैं दत्तक के प्रकरण को छोड़ता हूं और भरणाधिकार यानी मेनटिनेन्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं केवल इतना फिर कह देना चाहता हूं कि दशरथ का नाम लेकर और शान्ता का नाम लेकर हिन्दू जाति के इतिहास के साथ उपहास किया जाता है और हिन्दू जाति के इतिहास को न जानने का अपना प्रमाण दिया जाता है । यदि यह सिद्ध किया जा सके कि शान्ता को किसी प्रकार का उत्तराधिकार महाराज रोमपाद की सम्पत्ति में मिला तब हम कह सकते हैं कि शान्ता महाराज रोमपाद की दत्तक थी । वह तो केवल स्नेहवश होकर अपने मित्र को कन्या देना था और महाराज दशरथ और महाराज रामपाद की एक ही अवस्था थी । इसके अतिरिक्त महाराज दशरथ को हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार जिसे आप इंटरप्रैट (निर्वचन) करने की चेष्टा कर रहे हैं उनको आपके ही सिद्धान्त से दत्तक देने का अधिकार नहीं था क्योंकि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और जिस व्यक्ति की अपनी कोई सन्तान नहीं वह अपने कुल का नाश करके दत्तक नहीं दे सकता और वहां पर तो दत्तक देने का प्रश्न नहीं था । इसलिये शान्ता का उदाहरण हमारे सामने उपस्थित नहीं होता ।

भरणाधिकार के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से दो शब्द कह देना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं हिन्दू धर्म शास्त्र के नाम पर तो अपील नहीं करूंगा यद्यपि हमारा जीवन और हिन्दू जाति का जीवन हिन्दू धर्म शास्त्र पर निर्भर है । मैं उसको इस समय छोड़ता हूं । केवल हिन्दू परिवार का सर्वनाश करने के लिये यह आपकी धाराएं चली हैं ऐसा मैं समझता हूं । धारा १८ के अन्दर एक स्त्री को अपने पति से अलग रह कर उससे भरणाधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और उसमें यह कारण बतलाये हैं :

"परित्याग, निर्दयता, कोढ़ का अतिक्रमण, द्वितीयपत्नी, रखैल अथवा धर्म-परिवर्तन"

और आगे लिखा है :

'कोई ऐसा कारण जो उसके पृथक् जीवन का औचित्य सिद्ध करता हो ।' अब यह "एनी अदर काज़" (कोई अन्य कारण) अंधेरखाते में छोड़ देता है और उसके मातहत किसी भी प्रीटैक्स्ट (बहाने) पर पत्नी अपने पति का परित्याग कर सकती है । पत्नी कह सकती है उसे पति की मूंछ गढ़ती है अथवा

उसका पति रात को स्नोर करता है रात को खुर्राटे लेता है, इसलिये मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं कल मर जाऊंगी और इस तरह सैप्रेट लिविंग के लिये यह एनी अदर काज़ अच्छा कवर है और इसलिये यह शब्द "एनी अदर काज़" मेरी समझ में नहीं आये। इसी तरह क्रुएल्टी और डैज़रशन और ऐसे कितने ही कारण बनाये जा सकते हैं जो हिन्दू परिवार के जीवन को नर्क बना देंगे। हमारे यहां तो याज्ञवलक्य महाराज ने भरणाधिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है :

"आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूंप्रियवादिनीम्।
त्यजन्दाप्यस्तृत्तीयांशमशक्तोभरणं स्त्रियः ।।"

जो स्त्री पति की आज्ञा में रहने वाली है, जो दक्ष है जो पुत्र को जनने वाली है, प्रियवादिनी है, जो पुरुष स्वार्थवश आकर ऐसी स्त्री का अधिवेदन करता है, राजा को चाहिये कि वह ऐसे पुरुष को दंड देकर उसकी सम्पत्ति का तीसरा भाग छीन कर उस स्त्री को दे दे और यदि वह ऐसा नहीं करता या उसके पास इसके लिये शक्ति नहीं है तो भरणाधिकार स्त्री को देना चाहिये, मेंटेनेन्स उस स्त्री को देना चाहिये। आप यहां हिन्दू परिवार में इस तरह के नाश के बीज बोकर समझते हैं कि हिन्दू जाति के कल्याण के लिये और युनिफ़ार्मिटी के लिये आप यह लॉ बना रहे हैं।

इसी तरह मुझे इस १८वीं धारा की उपधारा ३ की भाषा समझ म नहीं आई और मैं चाहूंगा कि विधि कार्य मंत्री महोदय उसका स्पष्टीकरण करें। उसमें लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन अथवा चरित्र-भ्रष्ट की अवस्था में वह पति से पृथक् निवास एवं निर्वाह-व्यय की अधिकारिणी नहीं रहेगी।

मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय इस पर ध्यान दें कि कितनी अशुद्ध यह भाषा है। यह कहा जा सकता था कि वह निर्वाह व्यय की अधिकारिणी नहीं रहेगी। परन्तु सैप्रेट रैज़िडेंस और सैप्रेट लिविंग (पृथक निवास एवं निर्वहन) उसकी है जिसने कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया अथवा या जो अपवित्र चरित्र की है उसको पति अपने पास कैसे रख लेगा यह समझ में नहीं आया और उस भाषा से इसका स्पष्टीकरण नहीं होता।

इसी प्रकार से क्लाज़ २० में एजेड और इनफ़र्म पेरेंट्स (वृद्ध और अशक्त माता-पिता) के सम्बन्ध में मैंने कई बार निवेदन किया और मुझे बड़ा खेद होता है कि आज जिनके कि हाथ में हमारी बागडोर है, जो हमारे भाग्यविधाता लोग हैं, वे हिन्दू जाति के जीवन अथवा विशेष करके उत्तर भारत में हिन्दू जाति के जीवन से सर्वथा अपरिचित हैं। यह समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है कि एक विवाहित कन्या जिसका कि अपने हाथ से उसके पिता-माता अथवा उसका बड़ा भाई या काका दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं, उस कन्या के घर का ज़ल पीना भी हमारे यहां पाप समझा जाता है, उसके गांव में पानी नहीं पीते हैं, उस कन्या के घर का अन्न नहीं खाते, उसके लिये कहा जाता है कि उस कन्या के घर में से अगर उसके माता-पिता वृद्ध अथवा इनफर्म हों तो उस कन्या की आय में से उनका भरण पोषण हो सकता है, यह हिन्दू जाति के साथ कैसा उपहास किया जा रहा है। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसा करना हिन्दू परम्परा, हिन्दू सदाचार और हिन्दू शास्त्रों से सर्वथा अनभिज्ञता का परिचय देना है। वह वस्तु जिसको कि एक बार अपने से हाथ से दान कर दिया वही दान की वस्तु मैं खाने बैठ जाऊं, यह कितना अवांछनीय है और ऐसा उस हिन्दू जाति से कराने का विचार रखना जिस हिन्दू जाति के सामने राजर्षि नृग का इतिहास विद्यमान है जिन्होंने कि अपनी एक गऊ एक ब्राह्मण को दान कर दी थी और दुबारा वही गऊ दूसरे व्यक्ति को भूल से दान कर दी और इतिहास साक्षी है कि इस गलती के कारण उनको कितना दुःख भोगना पड़ा था, सरासर हिन्दू जाति के साथ उपहास करना है और ऐसा रख कर हिन्दू लॉ के साथ अंधेरगर्दी की जा रही है।

[श्री नन्दलाल शर्मा]

इसी प्रकार से अब मैं दो शब्द और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा और उसको बहुत बढ़ाऊंगा नहीं। लेजिटिमेट चाइल्ड (वैध सन्तान) के सम्बन्ध में जो यह कहा है कि वह अपने माता-पिता के प्रभार में होगा। मैं समझता हूं कि मनु का कोटेशन (उद्धरण) इंग्लिश ट्रान्सलेशन (अंग्रेजी अनुवाद) में दिया था और मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं होती कि आप मनु को कोट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके लिये मनुस्मृति, दत्तक चन्द्रिका और दत्तक मीमांसा के सम्बन्ध में कुछ कहना और उनमें से स्क्रिपचर्स कोट करना 'डैनियल कम टु जजमेंट' के समान होगा क्योंकि वे महानुभाव इन स्क्रिपचर्स पर पांव रख कर उनका सर्वथा नाश करने को उद्यत रहते हैं। मैं उनकी बात को समझ सकता था यदि वे मनु को कोट करते हुए यह भी कह डालते कि मैं मनु को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि मनु का हास्य हो रहा है और मनु की कोई पर्वाह नहीं की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इतने लोग हैं जो मनु को नहीं मानते। वे हिन्दू शास्त्रों द्वारा शासित नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि हिन्दू लॉ किस के लिये होगा, यह मुझे समझ में नहीं आया।

इसके साथ-साथ धारा २७ में जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि जितना परिश्रम श्री पाटस्कर ने पिछली धाराओं में आश्रितों के भरण-पोषण के लिये लॉ बनाने में किया, वह सब इस एक धारा के द्वारा ले लिया। अगर किसी का भरण-पोषण,किसी की संतान का भरण-पोषण, मेरे द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा होना चाहिये और वह व्यक्ति मर गया और सम्पत्ति के ऊपर भरण-पोषण का चार्ज है नहीं तो बच्चे कहां जायेंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी अन्त में, वह कहां से खाएंगे, मैं समझता हूं कि इस बिल से जितने भी बेनिफिट दिए हुए हैं वह हट जायेंगे।

इन सब वस्तुओं को देखने के बाद मुझे तो ज़रा भी आशा नहीं होती कि इस बिल के द्वारा हिन्दू जाति का कोई भी कल्याण होने वाला है। और मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा, पहले तो न्याय मंत्री महोदय से कि इस विधेयक को लौटा लेवें, और नहीं तो सदन से कि कम से कम हिन्दू जाति पर कृपा करें। मैं कह सकता हूं कि आप की कमेटी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिन्दू शास्त्र के पक्ष में बोलने वाला हो। आप केवल एक पक्ष के लोगों को ही लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं ने मिनिस्ट्स आफ डिसेंट (विमति-टिप्पण) में देखा कि यह सनातनियों को मारने के लिये किया गया। मैं पूछता हूं कि जिस पक्ष को आपने मारने की चेष्टा की, क्या आपने अपराधी को सन्देह लाभ दिया है? आप के मन में हिन्दू शास्त्रों के प्रति जो शंका है उसको हटाने का कोई अवसर आपने सनातनियों को दिया? मैं समझता हूं कि आप अपने घर में बैठ कर सदन में मतदाताओं के बल पर बहुमत से इस चीज़ को हिन्दू जाति पर थोपना चाहते हैं, यह अन्याय है। मैं चाहता हूं कि भागवन आप को सुबुद्धि दे और आप इस को लौटा लें। अगर आप नहीं लौटाते तो मेरा विश्वास है कि भले ही यह हिन्दू शास्त्रों पर आघात हो, आप हमारे ख़ून का भी टैक्स ले सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे कि साढ़े नौ लाख वर्ष बीतने पर भी हम रावण का पुतला प्रति वर्ष जलाते हैं, ख़ून का टैक्स देकर भी हम आज तक साढ़े नौ लाख वर्ष के बाद भी हर साल रावण से बदला लेते हैं, यदि आप ने हिन्दू-जाति पर इस प्रकार से आघात किया तो हिन्दू-जाति अवश्य ही इसका प्रति-फल देगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के विरुद्ध श्री नन्दलाल शर्मा ने जो कुछ कहा वह बड़े जोर के अल्फाज में कहा और शास्त्र का प्रमाण देकर और शास्त्र की रू से कहा। मैं तो शास्त्रों से वाकिफ नहीं हूं और मैं भी उसी किस्म के ख़यालात रखने वाला हूं जैसे कि आनरेबल

मिनिस्टर साहब और दूसरे साहब रखते हैं। लेकिन मैं भी इस बिल के अन्दर ऐसी चीज़ें देख रहा हूं जिन की मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी और मैं हैरान हूं कि किस तरह से राज्य-सभा ने ऐसा बिल पास कर दिया।

इस बिल के दो हिस्से हैं, एक तो मेंटेनेंस से ताल्लुक रखता है और दूसरा ऐडॉप्शन्स से। मेंटेनेंस के बारे में कि उसमें क्या नुक्स हैं मैं आखीर में जिक्र करूंगा, पहले मैं कुछ बातें ऐडाप्शन्स के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान में जो ऐडॉप्शन रायज़ है वह कई तरह का है। आमतौर पर हिन्दू लॉ के मुताबिक या तो दत्तक प्रथा है या कृत्रिम तरह का है, या इन दोनों को छोड़ कर, खासतौर पर पंजाब के अन्दर, **ऐप्वाइंटमेंट आफ ऐन एयर** (वारिस का निर्धारण) है। जिस वक्त हमने अपना संविधान बनाया, उस वक्त उसमें एक दफा रखी थी, कि हम सारे देश के वास्ते एक यूनिफार्म सिविल कोड (व्यवहार संहिता) बनाने की कोशिश करेंगे, और यह एक निहायत मुबारक ख्याल था। मैं जानता हूं कि जहां तक सब बिरादरियों का सवाल है, हिन्दुस्तान में कुछ भी हुआ हो सबने एक-दूसरे का असर लिया। हिन्दू लॉ पर क्रिश्चियन लॉ का, क्रिश्चियन लॉ पर मुस्लिम लॉ का और मुस्लिम लॉ पर हमारा बेहद असर पड़ा है और आहिस्ता-आहिस्ता हम यूनिफार्मिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम पर असर करके हमको यूनिफार्मिटी की तरफ ले चल रही हैं। हिन्दुओं में जो शास्त्रों की इजाज़त थी कि एक से ज्यादा बीवियां हो सकती हैं, उसको हमने बन्द कर दिया, हमने इसाइयों के अन्दर जो मोनागेमी जायज़ थी उस उसूल को माना। हमें अपने कानून में यह कमी नजर आती थी कि लड़की को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, उसके लिये मुसलमानों की शरियत के उसूल के मुताबिक तब्दीली करके लड़की को जायदाद में हिस्सा देना शुरू किया। गो हमने हर एक चीज़ की नकल नहीं की, लेकिन जो चीज़ हम को बेहतरी की मालूम हुई देश के वास्ते, उसको लेने में हमने परहेज नहीं किया। इसी तरह से मैं ज़ानता हूं कि क्रिश्चियन लॉ में और मुस्लिम लॉ में हिन्दू लॉ का बेहद असर आया। लेकिन चूंकि वह इस वक्त जर्मेन (संगत) नहीं है इस वास्ते मैं उसका जिक्र नहीं करता। तो हमारी कोशिश यह थी कि हम किसी तरह से एक सिविल कोड की तरफ बढ़ें। जिस वक्त जनाब के रूबरू (समक्ष) गार्जियनशिप बिल (अभिभावकता विधेयक) आया था उस वक्त मैंने अर्ज़ किया था कि हम बड़ी सख्त गलती कर रहे हैं कि हिन्दू गार्जियनशिप ऐक्ट बना रहे हैं क्योंकि इससे हम एक ऐसी शक्ल बनाने जा रहे थे जिससे कि हम यूनिफार्म सिविल कोड से दूर चले जा रहे थे। आज फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप लोगों से और श्री पाटस्कर साहब से कि वह इस चैनेल का मुंह दूसरी तरफ करें। आज पंजाब के अन्दर हैं, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब कौमों के अन्दर ऐप्वाइंटमेंट आफ एयर का कानून है, जो लोग आज तक इसको नहीं मानते थे, वह आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ रुजू हो रहे हैं। मुस्लिम लॉ में एकनोलिजमेंट आफ ए सन होता है, वह भी मैं समझता हूं इस ऐडॉप्शन के ऐकिन है। हम हर रोज देखते हैं कि चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जब कोई शख्स किसी लड़के या लड़की को गोद ले लेता है और अपने बच्चे के बराबर समझता है तो अगर और कुछ नहीं तो जो अख्त्यार कानून की रू से पहुंचता है वह उस लड़के के हक में जरूर मान लेता है। इस बिल में जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जो गोद लेने वाला है उसको पाटस्कर साहब ने अधिकार दिया है कि वह गोद ले या न ले। यह इसलिये ज्यादा नहीं अखरेगा कि यह एक एनेबलिंग लॉ (सक्षम बनाने वाली विधि) है। लड़की या लड़के को गोद लेना लाजमी नहीं है।

यहां पर जो डिस्पोजल जायदाद का राइट (अधिकार) है वह एक ऐसा राइट है कि चाहे वह हिन्दू लॉ को माने या न माने वह कर सकता है, अगर हम इस बिल को भी ऐसा अख्त्यारी कर देते तो कुछ अर्से बाद हम कह सकते थे कि हिन्दू ऐडाप्शन लॉ में जो रिलीजिआसिटी है वह हमन निकाल दिया, हमने उसको सेकुलर बना दिया कि हर एक शख्स को अख्त्यार है कि वह किसी लड़के या लड़की को गोद

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ले या न ले बजाय इसके कि हम इसको सिर्फ हिन्दुओं के लिये बनाते। हमने फिर यह गलती की है कि यह एक्स्क्लूसिव (केवल मात्र) लॉ हिन्दुओं के वास्ते बना रहे हैं। जब हमने दूसरे मज़हबों की अच्छाइयों को अपने में ऐसिमिलेट (आत्मसात) कर लिया तो कोई वजह नहीं थी कि इसके अन्दर हम ऐसा न कर सकते। मैं जानता हूं कि ऐडाप्शन ऐप्वाइंटमेंट आफ ऐन एयर (वारिस का निर्धारण) भी है और रिलिजस सैक्रूमेंट (धार्मिक संस्कार) भी है। मैं जानता हूं कि यह चीज़ आज हिन्दुओं के लिये ही बन रही है, लेकिन इसके अन्दर जो डामिनेटिंग फीचर (प्रमुख लक्षण) हैं वह सेकुलर है। लोग क्यों गोद लेते हैं इसके कई कारण हैं और अगर हम देखें तो पुरानी से पुरानी पुस्तकों में इसके कवायद दिये हुए हैं जिनके मुताबिक गोद लिया जाता था। अगर हम सारी हिस्ट्री को देखेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि गोद का जो प्राइमरी आईडिया (विचार) है वह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, सब कौमों के अन्दर है। मैं जनाब की तवज्जह रोमन लॉ की तरफ दिलाता हूं, जिस तरह का हम ऐप्वाइंटमेंट आफ एन एयर करते हैं उसी तरह रोमन लॉ में भी यह हुआ करता था कि किसी शख्स को वारिस करार दे देते थे। अब जिस तरह का यह लॉ बन रहा है उसमें नामिनीज हेरिडिटिओ का कायदा नहीं है। इसके अन्दर साफ कह दिया गया कि किसी को गोद लिया जा सकता है। अभी शर्माजी ने भी कहा कि हिन्दू लॉ में दत्तक होम होता था। इसमें पहले रिलिजिआसिटी (धार्मिकता) नहीं थी, यह बिल्कुल सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) लाइन्स पर होता था। शर्मा जी ने बताया कि इसको बनाना रिलिजस प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से ठीक नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मामूली कैनन्स आफ लॉ (विधि-सिद्धान्त) से, हमारे जो ज़िन्दगी के प्रिंसिपल्स हैं उनकी रू से इसका कानून बनाना और इस शक्ल में बनाना जायज नहीं था। आप को चाहिये था कि आप थोड़ा अर्सा और ठहर जाते और एक-सा कानून सबके लिये बनाते।

अब सवाल पैदा होता है कि क्यों हम गोद लेते हैं? जैसा पंडित नन्द लाल शर्मा ने फरमाया किसी जमाने में ऐसा वक्त आ गया जिसमें हिन्दुओं के अन्दर एक लड़के का होना बिल्कुल जरूरी ख्याल किया गया। पिंड देने वाला लड़का होना चाहिये। अगर नर्क से बचाता है तो पुत्र ही। इस तरह के ख्यालात हिन्दुओं के अन्दर आये और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा ख्यालात आए। आप मनुस्मृति को पढ़ें। उसके अन्दर हर एक आदमी पर, मैरीड आदमी पर यह लाज़िम था कि वह बच्चे पैदा करे और बच्चे पैदा करने के जितने भी मौके आयें, उनका पूरा-पूरा फायदा उठाये। अगर वह ऐसा नहीं करता था तो वह भ्रूण हत्या का दोषी होता था और उसको प्रायश्चित करना पड़ता था। फ्रांस में एक कानून पास हुआ था कि जो तीन बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा, उसको सज़ा दी जायेगी। जापान ने भी एक कानून पास किया था जिसमें सज़ा देने की व्यवस्था थी। आज हिन्दुस्तान में भी फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ज्यादा औलाद नहीं होनी चाहिये। आप देखिये कि शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि दस बच्चे होने चाहियें और एक उसका खाविन्द होना चाहिये और इस तरह से पूरी क्रिकेट की टीम हो जाये। इस तरह से ज्यादा औलाद पैदा करना हर आदमी का फर्ज़ होता था। जब हिन्दुस्तान में थोड़े आदमी थे तो यह चीज़ थी। साथ ही साथ अगर किसी आदमी के लड़कियां ही लड़कियां होती थीं और लड़का नहीं होता था तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता था। इसी तरह उस आदमी के जिस की औलाद नहीं होती थी बुरी निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज ऐसा ख्याल देश में नहीं है। आज बहुत-से ऐसे लोग हैं जो फैमिली की कोई परवा नहीं करते हैं और जो बिना बच्चे के ही रहना पसन्द करते हैं। आज बहुत-से लोग बिना शादी कराये ही रहना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आज पुरानी चीज़ को नए सिरे से लाना कि बच्चे होना ठीक है, कहां तक वाजिब है, यह मैं आपसे पूछता हूं। यह किसी भी हालत में वाजिब नहीं है। हमें ज़माने की रफ्तार को देखते हुए ही कानून बनाने चाहिएं। आज हम इंडिविज्युलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अम्बेदकर साहब ने जब हिन्दू कोड बिल को यहां हाउस में पेश किया था

जोकि मेरे पास है, कहीं कहा था कि लड़कियों को भी गोद लिया जा सकेगा। ऐसी सूरत में लड़की का गोद लिया जाना किस के इंटिरेस्ट में है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि दशरथ ने क्या किया और क्या नहीं किया। आपने मौनोगेमी को जारी कर दिया। खैर इस झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। हमारे सामने दो ही मिसालें मौजूद हैं एक दशरथ की और दूसरी कुन्ती की। लेकिन हमें मालूम नहीं कि किन हालात में वहां पर गोद लिया गया। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जबकि न हिन्दू धर्म में इस बात की इजाज़त है और न ही मुस्लिम धर्म में कि लड़की को गोद लिया जाये, तो आप यह क्यों कर रहे हैं। आप यहां पर दशरथ की याद दिलाते हैं। लेकिन मैं इसके मुकाबिले में आप के सामने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की हाई कोर्टों की रूलिंग्ज़ क्वोट कर सकता हूं जिनमें उन्होंने कहा कि लड़की को गोद नहीं लिया जा सकता है। आप शास्त्रों पर जाना नहीं चाहते और न आप यह चाहते हैं कि लोग दशरथ की तरह से तीन-तीन शादियां करें तो फिर यह लड़की को गोद लेने की एक नई ही चीज़ आप क्यों पैदा करना चाहते हैं।

जिस वक्त हिन्दू लाज़ के कोडिफिकेशन (हिन्दू विधि-संहिता बद्ध) करने का ज़िक्र हुआ था उस वक्त डा० अम्बेदकर ने बताया था कि हम हिन्दू समाज में कोई ऐसी तब्दीली करना नहीं चाहते जो एक फंडेमेंटल नेचर (मूल प्रकार) की हो, हम तो सिर्फ हिन्दू लॉ को कोडिफाई करना चाहते हैं। उस वक्त कोडिफिकेशन का नाम लिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो दबदीली अब आप करने जा रहे हैं क्या यह फंडेमेंटल तबदीली नहीं है। लड़कियों को गोद लेने के बारे में कानून बनाने के लिये आपको किस ने कहा है और किस के इंटरेस्ट (हित) में यह है। इस चीज़ की कतई जरूरत नहीं थी और मैं इसको एक बिल्कुल रेट्रोग्रेड स्टेप (प्रतिगामी कार्यवाही) मानता हूं।

लोग लड़के को गोद इसलिये लेते थे ताकि खानदान जारी रह सके। अब आप लड़की को गोद लेने की व्यवस्था करना चाहते हैं खानदान को जारी रखने के लिये। इसका क्या नतीजा होगा। गिविंग एंड टेकिंग (देने और लेने) के क्या माने हैं। अगर किसी को लड़की के साथ मुहब्बत है तो उसे पूरा अखत्यार है कि वह उसको लड़की की तरह माने और उसके साथ लड़की की तरह मुहब्बत करे। लेकिन आप यहां पर यह करना चाहते हैं कि १५ बरस की लड़की का भी गिव एण्ड टेक हो सकता है, इससे कितनी दिक्कत पैदा होगी यह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब में किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) नहीं है। एक आदमी किसी उम्र के बच्चे को चाहे वह मैरीड हो या अनमैरीड (अविवाहित) अपना हैयर (वारिस) मुकर्रर कर सकता है और वह उसको उसी तरह से रखता है जिस तरह से कि वह अपने बच्चों को रखता हो। अगर वह एक लड़के को एडाप्ट (गोद) करता है तो वह उससे यह उम्मीद करता है कि वह बुढ़ापे में उसकी इमदाद करेगा और उसके मरने के बाद उसका श्राद्ध करेगा। अब कोई मदद करता है या नहीं करता है और कोई श्राद्ध करता है या नहीं करता है, इसको आप सब जानते हैं। श्राद्ध तो अब बन्द होते जा रहे हैं। हम में से कौन कह सकता है कि हमारे लड़के हमारा श्राद्ध करेंगे।

लोग गोद इसलिये भी लेते हैं कि उनका नाम रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह परपज़ (उद्देश्य) भी सर्व हो सकता है अगर लड़की को गोद लिया जाये ? तो आप यह नई चीज़ ला रहे हैं। इस चीज़ का आज तक कहीं भी ज़िक्र तक नहीं आया और आज आप इसको ला रहे हैं। एक क्लॉस है जिस के अन्दर लड़कों को गोद लेना जायज़ है।

रंडियां लड़की को गोद लेती हैं ताकि उनका काम और जायदाद ट्रांसफर (हस्तांतरित) हो सके। अगर आप उसको बन्द करते तो सारा हाउस आपके साथ होता।

**श्री पाटस्कर** : यह कैसे मालूम है कि हाउस हमारे साथ होता।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आपने अभी चन्द रोज़ हुए प्रास्टीट्यूट्स (वेश्याओं) के मुताल्लिक एक कानून पास किया है। उस कानून के प्रिंसिपल्स (सिद्धान्तों) को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि लोग इसके खिलाफ होते कि रंडियों को भी इजाज़त मिल जाये कि वे लड़कियों को गोद ले लें। आपने अनमैरीड गर्ल्स (अविवाहित लड़कियों) को, विडोर्स (विधवाओं) को, बैचलर्स (अविवाहितों) को और हर आदमी को इसका अखत्यार दिया है कि वह लड़की को गोद लेले। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वह दूसरे घर में चली जाती है और फिर फार आल प्रेक्टिकल परपज़िज़ (सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये) उसी घर की हो जाती है और उस घर की एक नेकलस बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाती है। यहां पर पाटस्कर साहब एक ट्रांसफर को काफी नहीं समझते हैं। वह उसको फिर किसी घर में ट्रांसफर करने के हक़ में हैं। आपने आदमी और औरत के हकूक एक रखे हैं लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उनकी कंडिशन्स (दशा) लाइफ में बहुत मुख्तलिफ है। जब एक लड़की शादी के बाद दूसरी फैमिली (परिवार) में चली जाती है तो गोद के वक्त वह किसी और दूसरी फैमिली में कैसे ट्रांसफर होगी, यह मेरी समझ में नहीं आया है। वह उस घर से ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो यह जो लड़कियों की ट्रांसफर का रूल है, इसको अगर आप गोद के फिक्शन से कहीं दूर रखते तो अच्छा होता। तो इस चीज़ की मांग देश में नहीं है और इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं थी। यह ठीक है कि कांस्टीट्यूशन (संविधान) में आपने औरतों और मर्दों को इक्वल राइटस (समानाधिकार) दिए हैं जिस का नतीजा यह हुआ है कि दे हैव रन एमक्क (वे बेबकूफ़ हो गये हैं) जहां तक अपर इंडिया की बात है इसके जो नताइज़ हैं और इसके जो कंसिक्वेंसिस (परिणाम) हैं वे निहायत ही खराब निकलेंगे।

अब आप लड़की के ऊपर यह जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि वह अपने मां-बाप के गुज़र के वास्ते जिम्मेवार हो। यह इक्वैलिटी आफ ह्यूमन राइट्स (मानव अधिकार की समानता) का लाजिकल कनक्ल्यूशन (तार्किक परिणाम) है। जहां तक अपर इंडिया का ताल्लुक है यह निहायत रिपलसिव (अनुचित) है। कोई भी मां-बाप लड़कियों के खानदान वालों से कभी भी यह उम्मीद नहीं करते हैं कि लड़की उनका पालन-पोषण करे। यह मैंने आपको मिसाल के तौर पर एक चीज़ बतलाई है।

अब जनाबेवाला अगर आप देखेंगे कि इस कानून क अन्दर और भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वे भी कुछ कम हैरानकुन नहीं हैं। जब कोडिफिकेशन की बात कही गई तो हमें यह कहा गया कि हम सारे हिन्दुस्तान के लिये एक कानून नाफिज़ करेंग ताकि नेशनैलिटी का आइडिया पैदा हो। मैं एक अजीब चीज़ देखता हूं। इस कोडिफिकेशन के अन्दर कस्टम्स को भी दाखिल कर दिया जाता है। कस्टम्स और यूसेजिस (प्रथा और परम्परायें) और साथ ही साथ कोडिफिकेशन करना ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। जब मैरेज लॉ आया था उस वक्त मैंने बहुत कोशिश की इस बात को मनवाने की कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक ही कानून बने। मैंने यह चाहा था कि अगर आप डाइवोर्स (तलाक) की प्राविज़न को रखना चाहते हैं तो रखिये लेकिन वह सारे हिन्दुस्तान के लिये एक सी होनी चाहिये। लेकिन आनरेबल मिनिस्टर साहब के ऊपर कुछ जोर पड़ा और उन्होंने डाइवोर्स के अन्दर भी कस्टम्स की इजाज़त देदी जो कोडिफिकेशन के उसूल के बिल्कुल खिलाफ़ है। अब मैं क्या देखता हूं। एक बड़ी इम्पार्टेंट दफा में यानी दफा ४ में यह कहा गया है कि कस्टम वगैरह का कोई दख़ल नहीं होगा। लेकिन साथ ही एक दूसरी दफा में, यानी दफ़ा १० में फिर कस्टम और यूसेज की इजाज़त देदी गई है। अगर कोई कस्टम की मौजूदगी साबित कर द, तो पन्द्रह बरस से बढ़ कर भी और मैरिड लड़के या लड़की को भी गोद लिया या दिया जा सकता है। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इन दो बातों में यह इजाज़त क्यों दी गई है और बाकी में क्यों नहीं दी गई है? आज का लॉ यह है कि अगर कस्टम साबित हो जाय, तो आरफन को भी गोद लिया जा सकता है—जिस की कि मैं अथारिटी पेश कर सकता हूं, लेकिन यहां पर

उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। अगर कोई शख्स किसी फ़ाउंडलिंग (लावारिस) को पा जाय और उसकी परवरिश करे, तो उस को भी गोद लिये गये बच्चे की तरह हकूक होने चाहिये, लेकिन चूंकि फाउंडलिंग को देने वाला कोई नहीं होता है, इसलिये उसको कोई हकूक नहीं होते हैं—कोई अधिकार नहीं होते हैं ।

जैसा कि अभी शर्माजी ने कहा, आपने हिन्दू धर्म की कुछ चीज़ों को तो ले लिया और बाकी को छोड़ दिया। बेहतर होता कि आप उन सब बातों को ले लेते और कह देते कि जो चाहे, जिसको गोद ले ले।

मैं यह देखता हूं कि इंगलिश लॉ (अंग्रेजी विधि) के स्लोगन्ज़ (नारे) हम को अमूमन इन्साफ़ करने से मना करते हैं। हिन्दू धर्मशास्त्र के मुताबिक पहले जब एडाप्टिव मदर किसी लड़के को गोद लेती थी, तो उसकी जायदाद डाइवेस्ट हो जाती थी और अगर उसका लड़का उसके खाविन्द के मरने के वक्त मौजूद होता, तो उस औरत को जायदाद का हक नहीं होता था। १९३७ के एक्ट के मुताबिक बेवा को और उसके एडाप्टिड सन (दत्तक पुत्र) को जायदाद आधी-आधी मिलने का हक दिया गया। लेकिन इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स आज मर जाय और उसकी जायदाद वारिसान के पोज़ेशन में आ जाय, जायदाद वैस्ट हो जाय, तो गोद लेने से कोई असर उस जायदाद पर नहीं पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर प्रापर्टी का एलिमेंट (तत्त्व) निकाल दिया जाय, तो किसी को गोद लेने या लिये जाने वगैरह की क्या ग़रज़ रहेगी। हमारे पाटस्कर साहब खुद यह मानते हैं कि इस मामल में रिलिजासिटी का फैक्टर (धार्मिक कारण) नहीं रहा है। आज हम एक सैकुलर जमाने में से गुज़र रहे हैं। अगर जायदाद का हिस्सा निकाल लिया जाय और एडाप्टिड (दत्तक) लड़के को जायदाद न मिले, तो कौन गोद लिया जाना चाहेगा और कौन गोद लेना चाहेगा ? यह तो मामला ही जायदाद का है, उसको प्रिज़र्व करने के लिये ही गोद लिया जाता है। लेकिन अब यह होगा कि एक लड़का गोद ले लिया, उससे नाराज़गी हुई, तो एक लड़की और गोद लेली। इस में यह नहीं लिखा है कि अगर किसी का लड़का होगा, तो वह लड़की गोद नहीं ले सकेगा। अगर असली लड़का मैजूद है, लेकिन लड़की नहीं है, तो उसको भी अख्तियार है कि वह लड़की गोद ले ले। जिस तरह किसी जमाने में लड़के का होना जरूरी समझा जाता था और लोग यह ख्याल करते थे कि अगर मैं बगैर औलाद के रह गया, तो मैं नरक में जाऊंगा उसी तरह अब यह कहा जायेगा कि अगर किसी की लड़की न हुई, तो .....

**श्री पाटस्कर :** वह चाहे तो ले लेगा।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस में एनेबलिंग क्लाज़ (अनुमति दाता खण्ड) तो रख दी गई है और एनेबलिंग प्राविज़न लोगों के रुझान और जरूरतों को मद्देनज़र रख कर ही रखे जाते हैं। इस कानून का मन्शा यह है कि हर एक आदमी लड़के ही की तरह लड़की को भी समझे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में या इस देश में कितने लोग ऐसे हैं, जिनके लड़के ह और जो फिर भी लड़की को गोद लेने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि कानून बनते हैं लोगों के जीनियस, ख्यालात और डिमांडज़ के मुताबिक, लेकिन जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, इस की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लोग इस को नहीं चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस देश में बैचुलर या अनमैरिड गर्ल यह चाहते हैं कि उनका बच्चा हो। इस बिल के पीछे जो मेन्टेलिटी (धारणा) है, वह एक गलत मैन्टेलिटी है और वह यह है कि हम लड़के और लड़की को बराबरी का दर्जा देंगे और चूंकि लड़के को गोद लिया जाता है, इसलिये लड़की को भी लिया जाय। लेकिन उस प्रिंसिपल को भी इस बिल में कायम नहीं रखा गया है। अच्छा होता कि यह बिल हमारी पार्लियामेंट की उन लेडीज़ को खुश कर सकता, जो कि पूरे हकूक चाहती हैं। मैरिड मन को गोद लेने का अख्तियार है—उसकी

[ पंडित ठाकुर दास भार्गव ]

कैपैसिटी (क्षमता) भी है और राइट (अधिकार) भी है, लेकिन मैरिड वोमैन को कोई अख्तियार नहीं है। ख़ाविन्द की ख्वाहिश को औरत सिर्फ वीटो कर सकती है। यहां औरत-मर्द की बराबरी कहां गई ? ख़ाविन्द चाहे, न चाहे विवाहिता औरत को गोद लेने का अख्त्यार नहीं है। क्यों नहीं औरत को राइट देते ? आपकी ईक्वालिटी बिल्कुल ग़लत है। ईक्वालिटी (समानता) से इस बिल का कोई वास्ता नहीं है। आपने यह कहां रखा है कि एक औरत अपने ख़ाविन्द को उसी तरह मेंनटेन करने की ज़िम्मेदार है, जिस तरह कि मर्द है। मैं इस बात के हक में नहीं हूं और मैं औरतों पर यह भार डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यह सवाल उन लोगों से करता हूं, जो कि ईक्वालिटी को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि लड़की को गोद लेने का अधिकार दिया जाय, हाँलांकि ऐसी किसी कस्टम का वजूद नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डाटर-इन-लॉ (पुत्र-वधु) को मेनटेन करने की ज़िम्मेदारी फ़ादर-इन-लॉ (श्वसुर) के साथ-साथ मदर-इन-ला (सास) पर क्यों नहीं डालते ? मैं ऐसी बीसियों मिसालें इस बिल में ही दे सकता हूं जहां ईक्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि लड़की को गोद लेने की यह नई प्रथा शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। इस के पीछे क्या चीज़ वर्क कर रही थी ? मेरी समझ में तो सिवाय इसके और कोई बात नहीं आती है कि हमारे पाटस्कर साहब कांस्टीच्यूशन की ईक्वालिटी से मुताल्लिक दफ़ा को फ़रोग देना चाहते हैं। हम को तो पता नहीं है, लेकिन शायद बम्बई से उनकी ख़िदमत में कोई डेपुटेशन आए हों, जिन्होंने कहा हो कि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट में लड़की को कोई हकूक नहीं मिलेंगे। जब आप ने पहले ही यह अख्तियार दिया है कि जो कोई चाहे अपनी विल (इच्छा) से अपनी जायदाद किसी को दे सकता है, तो उसके मुताबिक वह लड़की को भी दे सकता है। उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है ? इस सिलसिले में मेरा सवाल यह है कि हम पंजाब के लोगों का क्या बनेगा। मैं चाहता हूं कि मिनिटस्र साहब यह साफ़ कर दें कि यह पंजाब के लोगों को एप्लाई (लागू) नहीं करेगा।

मैं यह समझता हूं कि आपने उन लोगों पर तो ज़रूर अहसान किया है, जो कि हज़ारों बरसों से अपनी कस्टम्ज़ (प्रथाओं) पर चलत आ रहे हैं। उनको तो आपने बचा लिया और इस के लिये मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

एक वक्त था कि जिसका यज्ञोपवीत हो जाय या जो शादीशदा हो, उसको गोद नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में हिन्दू लॉ के मुताबिक मैरिड को भी गोद लिया जा सकता था और उम्र की भी कोई बन्दिश नहीं थी। आप इस फिक्शन को पक्का क्यों करना चाहते हैं ? सोसायटी (समाज) जैसे चलती है, कस्टम जसे चलती है, उसको चलने दीजिय, उनको अपना कोर्स लेने दीजिये और इस किस्म की बन्दिशों से आज़ाद होने दीजिए और उम्र वगैरह की कोई बन्दिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लकिन मालूम होता है कि आप बन्दिशों को पक्का करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि कस्टम्ज़ वग़रह न बढ़ें। और Uniformity (समानता) यकसां नियत की तरफ जो कदम बढ़ रहा है वह कस्टम grow (ग्रो) न कर।

इसकी जो और दफ़ायें हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं अर्ज़ करूंगा कि दफ़ा ६ में "कैपेसिटी" (क्षमता) और "राइट" (अधिकार) का ज़िक्र आया है। इस "कैपेसिटी" को तो आगे आपने बढ़ाया है, लकिन "राइट" को आगे नहीं चलाया है। इसलिये मैं इस लफ्ज़ "राइट" की कोई जरूरत नहीं समझता।

मैं एक छोटी-सी अर्ज़ और करना चाहता हूं। जैसा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने भी फरमाया है, कि यह जो गिविंग एंड टेकिंग आफ दी चाइल्ड है इसकी कोई खास सेरीमनी तो है नहीं। एक तरफ से मिनिस्टर साहब ने इसका सद्देबाब भी किया है और कहा है कि अगर कोई एडाप्शन रजिस्टर्ड हो तो

गिविंग और टेकिंग का प्रीज़म्पशन माना जायेगा । ऐसा भी होता है कि एक ८० बरस का आदमी एक चालीस बरस के अदमी को एडाप्ट करता है, तो यह गिविंग और टेकिंग की सैरीमनी नहीं होती । यह चीज़ तो सिर्फ़ इसलिये रखी गई है कि अनइम्पीचेबिल एवीडेंस (अभियोगातीत प्रमाण) आ सके । आपने इसमें लिखा ही है कि अगर एडाप्शन रजिस्टर्ड होगा तो गिविंग और टेकिंग का प्रीज़म्पशन होगा । अगर आप यही ठीक समझते हैं तो यह रख दीजिये कि कोई एडाप्शन बग़ैर रजिस्ट्री के न हो सके । ऐसा होने से हम झूठी गवाहियां बनाने से बच जायेंगे । आपने लिखा है कि गोद में दिया जाये या रखा जाये । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह ग़ैर जरूरी है । यह ठीक है कि देने वाला और लेने वाला मौजूद होना चाहिये । इसी के साथ यह भी होना चाहिये कि जिस बच्चे के मां-बाप न हों लेकिन कोई उस बच्चे की मां-बाप की तरह परवरिश करे, तो इसके लिये भी यह प्रीज़म्पशन होना चाहिये कि उसने उस बच्चे को गोद ले लिया है । आपके कानून की रू से तो आरफ़न को गोद लिया ही नहीं जा सकता । जिनके मां-बाप नहीं हैं उनके लिये तो आपको एडाप्शन का प्रवीज़न और भी ज्यादा करना चाहिये था ।

अब मैं मेनटिनेन्स (जीवन-निर्वाह) की तरफ आता हूं । जहां तक हिन्दू लॉ का सवाल है, जैसा कि मैं हाउस में कई मर्तबा अर्ज़ कर चुका हूं, उसमें जिन लोगों को वुरसा नहीं दिया जाता उनके लिये एक बहुत खूबसूरत प्रावीज़न मेनटिनेन्स का किया हुआ है । लेकिन जो आपने कानून रखा है इसमें डिपेंडेंट्स सब खा जायेंगे और वारिसों को कुछ नहीं मिलेगा । इसमें मैं आपका ध्यान दो-तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं । डा० अम्बेदकर साहब के हिन्दू कोड में मैरिड डाटर को भी डिपेंडेंट माना गया था लेकिन हमारे पाटस्कर साहब ने उस मैरिड डाटर पर क्यों कोप किया है । अनमैरिड डाटर को हक़ है लेकिन मेरिड डाटर को हक नहीं है । मैं तो समझता था कि आप आदमी और औरत के फर्क को मिटाना चाहते हैं, पर यहां तो आप एक लड़की और दूसरी लड़की में फर्क कर रहे हैं । मेरी गुज़ारिश है कि जो डा० अम्बेदकर ने लिखा था उसे आप रेस्टोर कर दें ।

इसके अलावा मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने बेटे और बेटी में बराबरी नहीं रखी है । आपने रखा है कि बेटे को उसी वक्त तक हक है जब तक कि वह मेजर न हो । लेकिन लड़की चाहे किसी उम्र की हो, उसके लिये आपने कोई कैद नहीं रखी है ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : नारी असहाय है ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मेरे लायक दोस्त के दिल में लड़की के वास्ते बहुत हमदर्दी है इसकी मुझे खुशी है । लेकिन अगर आप बराबरी के ख्याल से देखें तो उनके दिल में लड़के के वास्ते, वैसी हमदर्दी नहीं है । अगर आपको ईक्वालिटी पर चलना है तो वैसा करिये । हिन्दू लॉ में यह प्रावीज़न था कि जिनको हम सक्सेशन में हिस्सा नहीं देते थे उनको मेनटिनेन्स देते थे । आपने सक्सेशन लॉ को तबदील किया है लेकिन मेनटिनेन्स लॉ को हाथ लगाने को तैयार नहीं हैं । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है । यह मेनटिनेन्स का लॉ सक्सेशन लॉ के साथ आना चाहिये था ताकि मेम्बर साहिबान समझ सकते कि किस दरजे तक तबदीली करनी चाहिये ।

क्या आप इस कानून से लड़कियों के घरों में मुकदमेबाजी ले जाना चाहते हैं । इस कानून से हर घर में सिवा कलह के कुछ और नहीं होगा । आप लड़की पर मां-बाप के मेनटिनेन्स का ज़िम्मा डालते हैं । उसका ख़ाविंद अपने मां-बाप की देख-रेख करेगा या अपनी बीबी के मां-बाप की । इस चीज़ को आप छोड़ भी दें कि हमारे यहां कोई मां-बाप अपने दामाद के घर पानी भी पीना पसन्द नहीं करेगा, फिर भी आप देखेंगे कि इस तरह के कानून से मुकदमेबाजी ही बढ़ेगी । इससे सारे देश में कलह फैल जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मुझे मालूम नहीं कि साउथ इंडिया में क्या रिवाज है, लेकिन नार्थ इंडिया में जहां हमने लड़की को जायदाद में हक नहीं दिया था वहां उसके हक का दूसरी तरह ठीक प्रावीजन किया था। हमने उनके ऊपर कोई ज़िम्मेवारी भी नहीं डाली थी। पर अब आपने लड़कियों पर भी ज़िम्मेवारी डाल दी है। आप बिना सोचे-समझे हमारे लॉ में ऐसी तबदीलियां कर रहे हैं जिनके नतायज को आपने अच्छी तरह से देखा नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब तो माननीय सदस्य मुख्तसिर करें।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। मुझे मेनटिनेन्स के बारे में कुछ और भी अर्ज़ करना था लेकिन मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहता कि दूसरे मेम्बरान को वक्त न मिले। इसलिये में खत्म करता हूं।

---

## सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को बताना है कि अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श से अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) तथा उससे सम्बन्धित विनियोग विधेयक के लिये ५½ घंटे और अनुपूरक एवं अधिक्य मांगें (रेलवे) तथा उससे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों के लिये २·५ घंटे का समय नियत किया है।

---

## हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे पास १२ व्यक्तियों के नाम आये हैं और इस विधेयक के लिये हमारे पास छः घंटे का समय है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा खण्डवार विचार के लिये क्रमशः कितना समय रखा जाये ?

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : सामान्य चर्चा के लिये चार घंटे का समय रखा जाना चाहिये।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) : इस विधेयक के महत्व को देखते हुए समय कुछ अधिक होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न का एक पहलू है जिस पर बाद में विचार किया जायेगा। दूसरा पहलू यह है कि बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, अतः भाषण छोटे होने चाहियें। अतः क्या प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट का समय पर्याप्त होगा ?

†**श्री टेकचन्द :** २० मिनट दिये जा सकते हैं।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** आप मुझे १५ मिनट और श्री टेकचन्द को २० मिनट का समय दे सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य गण १५ मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें। अब श्री लक्ष्मय्या अपना भाषण आरम्भ करें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री लक्ष्मय्या** (अनन्तपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सर्वप्रथम विधि-कार्य मंत्री को ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। हिन्दू विवाह अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आदि पहले ही पारित किये जा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या इस विधान से हिन्दू समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री ने पुराणपंथी होते हुए भी इसमें जो सब से महत्वपूर्ण उपबन्ध रखा है वह यह कि लड़का अथवा लड़की किसी को भी गोद लिया जा सकता है। हमारा हिन्दू विधि और दत्तक-ग्रहण विधि भी उच्च न्यायालयों के निर्णय पर निर्भर करता है। इन न्यायालयों के निर्णय मनु, वशिष्ठ और गौतम जैसे मनीषियों के ग्रन्थों पर आधारित हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कुछ समय के लिये अपना स्थान ग्रहण कर लें, प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं अब प्रधान मंत्री से भाषण आरम्भ करने का निवेदन करता हूं।

---

## **तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि

---

## हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक—जारी

†**श्री लक्ष्मय्या** : यही कारण है कि निर्णयों में अन्तर रहा है क्योंकि उनकी विचारधारा भिन्न होती है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में गोद लेने और विवाह के बारे में अलग-अलग प्रथायें हैं। भिन्न-भिन्न भागों की प्रथाओं में विभिन्नता होने के कारण अलग-अलग राज्यों की विधियां भी भिन्न हैं। माननीय मंत्री ने भी इस बात को ध्यान में रखा है कि एक समान नीति अपनाई जानी चाहिये। समाज के बदलने के साथ-साथ विधि में भी परिवर्तन होना चाहिये। जिस प्रकार रुका हुआ पानी गन्दा हो जाता है उसी प्रकार यदि हमारे समाज में समय के साथ परिवर्तन न होता रहा तो उसमें भी बुराइयां उत्पन्न होती जायेंगी। अब नारी-जाति को भी सम्पत्ति में समान अधिकार मिल जायेगा।

प्राचीन-काल में दो कारणों से लोग लड़के को गोद लिया करते थे—एक धार्मिक और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। हमारे यहां कहावत है कि जो व्यक्ति पुत्ररहित मर जाता है उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसी कारण आज भी लोग लड़के को ही गोद लेना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं।

जैसे-जैसे समय बीतता गया यह धार्मिक भावना दूर होती गई और धर्मनिरपेक्ष भावना ने वह स्थान प्राप्त कर लिया। आज लोग इसलिये लड़के को गोद लेते हैं कि वह सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा और आगे चलकर वंश चलायेगा।

जहां तक गोद लेने का प्रश्न है, हमने इसमें काफी प्रगति की है क्योंकि पहले कुछ पीढ़ियों तक ही यह चीज़ सीमित थी। वर्तमान विधेयक के द्वारा तो यहां तक हो गया है कि जाति अथवा वर्ण का भेद-भाव किये बिना किसी भी हिन्दू को गोद लिया जा सकता है। पहले यह चीज़ इतनी सीमित इसीलिये रखी गई थी कि कोई बाहरी व्यक्ति परिवार में न आने पाये। अब लड़की को भी गोद लिया जा सकता है जिसकी काफी आलोचना की गई है। वास्तव में मैं भी इसी मत का मानने वाला हूं कि लड़की को गोद नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि वह अन्तिम संस्कार नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति के पुत्र न होने पर दौहित्र को गोद लिया जा सकता है। दौहित्र, औरस या दत्तक पुत्र की अनुपस्थिति में अन्तिम संस्कार कर सकता है। इसलिये लड़की के गोद लेने का उपबन्ध करने की कोई आश्वयकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**देखिये वाद-विवाद संख्या १, दिनांक १३-१२-५६, पृष्ठ भाग.....

[श्री लक्ष्मय्या]

खण्ड ७ के अनुसार पत्नी की सहमति आवश्यक है। यह उपबन्ध कई कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। यदि किसी व्यक्ति के कई पत्नियां हैं तो उसके लिये सहमति लेना कठिन होगा। साथ ही पति अपने भाई के लड़के को गोद लेना चाहेगा और पत्नी अपने भाई के लड़के को चाहेगी। इससे घर गृहस्थ की शान्ति भंग हो जायेगी। मैं यह नहीं चाहता कि पत्नी की बात तक न पूछी जाये किन्तु उसकी सहमति आवश्यक नहीं होनी चाहिये। कई स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद मुकर सकतीं हैं जिससे व्यर्थ मुकदमे-बाजी शुरू हो सकती है। यदि यह उपबन्ध रखना ही है तो ऐसा कर दिया जाय कि सहमति लिखित रूप में दी जाये।

यह भी कहा जा रहा है कि एक अविवाहित स्त्री एक लड़के को गोद ले सकती है। यह ठीक है किन्तु इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध होना चाहिये कि गोद लेने के बाद उस अविवाहिता को शादी करने का हक नहीं होना चाहिये। यदि वह शादी कर लेती है तो गोद लिये गये बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

निर्वाह व्यय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पति किसी काम करने के अयोग्य है तो उसे पत्नी निर्वाह द यदि वह कमाती है या उसकी पृथक-पृथक जायदाद है।

†**श्री टेकचन्द** : मैं विधेयक की आलोचना भावुक दृष्टिकोण से नहीं करूंगा। इस विधेयक में भाषा सम्बन्धी बहुत सी त्रुटियां हैं।

श्री नन्दलाल शर्मा ने धार्मिक तथा भावुक दृष्टिकोण से इस विधेयक का तीव्र खण्डन किया किन्तु मैं ऐसी आलोचना का सामर्थ्य नहीं रखता।

हमारी विधियां इस समय इतनी अधिक जटिल सी हैं कि कोई बात देखनी या समझनी बड़ी कठिन हो जाती है। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि हिन्दू विधियां संहितावद्ध होनी चाहियें। किन्तु संहिता के साथ-साथ इस विधेयक में रिवाज को रखा गया है यह बात एक-दूसरे की विरोधी है।

दत्तक-ग्रहण को धार्मिक तथा धर्मनिर्पेक्ष दोनों आधारों पर लोगों ने अपनाया है। रोमन्स में भी "एडरोगेशो" की विधि थी और उत्तराधिकार की नियुक्ति को वह "एडोपश्यो" कहते थे। यह दोनों तरीके साथ-साथ चलते रहे हैं। मैं अपनी विधि को केवल धर्मनिर्पेक्ष आधार पर देखूंगा। यहां यह पता लग रहा है कि धर्म निर्पेक्षता के नाम पर विधि में से तत्व निकाला जा रहा है।

भाषा-सम्बन्धी त्रुटियों के बारे में विधेयक के द्वितीय वाचन के समय कहा जायेगा।

खण्ड ७ के अनुसार कोई दत्तक-ग्रहण उस समय तक मान्य नहीं समझा जायेगा जब तक पत्नी अपनी सहमति न दे। यदि पति तथा पत्नी परस्पर पृथक रूप से रहते हों और उनकी एक-दूसरे से न बनती हो तब भी सहमति आवश्यक होगी। इस बात से बहुत से लोग दत्तक-ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

अब लड़कियों के गोद लेने के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं लड़कियों को इस अधिकार के दिये जाने का विरोध नहीं करता किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि आयु का जो अन्तर गोद लेने वाले तथा गोद लिये जाने वाले के बीच रखा गया है वह २१ वर्ष है। इस तरीके से गोद ली जाने वाली लड़कियों का जीवन संकटमय हो सकता है। गोद लेने के बहाने १५ वर्षीय युवतियां जिन्हें ३६ वर्ष का व्यक्ति गोद ले सकता है किसी बुरे काम के लिये भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति भी लड़की को गोद ले सकता है जो स्वयं अविवाहित हो। हाँ, यदि कोई वृद्धा लड़की गोद लेना चाहे तो मामला ठीक है किन्तु जहां तक किसी आदमी का सम्बन्ध है वहां खतरा है। मैं यह समझता हूं कि आदमी को लड़की गोद लेने की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पहले बच्चे को गोद देने का अधिकार केवल माता-पिता को ही था अब यह अधिकार अभिभावक को भी दिया जा रहा है। यह चाहे सम्पत्ति का अभिभावक हो या उस बच्चे का कोई रिश्तेदार हो। इस बात में बहुत खतरा है। वह बच्चे को किसी नालायक की गोद देकर बड़े संकट में डाल सकता है। यदि बच्चा किसी बड़ी जायदाद का मालिक हो तो खतरा और भी अधिक हो जायेगा। अभिभावक जायदाद के लालच में बच्चे को अवश्य ही किसी की गोद देगा। बच्चे का बचाव किस तरह से होगा? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अभिभावको को ऐसे अधिकार न दें। परिवार से हटाने की आज्ञा केवल माता-पिता को होनी चाहिये। यह पर्याप्त संरक्षण नहीं है कि न्यायालय अवयस्क के हितों को देखेगा। ऐसे बहुत से मामले होंगें कि जहां जायदाद का उत्तराधिकारी अवयस्क होगा उसे हटाने का प्रयत्न किया जायेगा और सबसे आसान तरीका यह होगा कि उसे किसी दूसरे परिवार में गोद बिठा दिया जाया करेगा। इस कारण इस मामले पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री खण्ड ९ (२) की ओर ध्यान दें जिसमें दत्तक के लिये माता तथा पिता की सहमति आवश्यक है। 'माता' शब्द नहीं होना चाहिये!

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर-दक्षिण) : क्यों नहीं।

†**श्री टेकचन्द** : मैं कारण बताता हूं। ऐसा मामला हो सकता है कि जहां किसी बच्चे की मां ने विवाह-विच्छेद के बाद किसी दूसरे से विवाह कर लिया हो। हो सकता है कि मां अपने नये बच्चों के लिये पहले पति की जायदाद चाहे। ऐसे मामले में पहले पति के बच्चों को परिवार से हटाने का प्रयास किया जायेगा ताकि नये बच्चे जायदाद प्राप्त कर सकें। इसलिये ऐसे मामले में माता की सहमति अनावश्यक है। इस कारण यदि केवल पिता को ही यह अधिकार दिया जाये तो कोई हानि नहीं होती।

इस के बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान खण्ड ९ के उपखण्ड (५) की ओर दिलाता हूं। उसमें एक त्रुटि है। एक सिद्धान्त के अनुसार कि एक को बाहर रखने का अर्थ है दूसरे को शामिल करना और दूसरे को शामिल करने का अर्थ है पहले को बाहर रखना—क्या परिणाम निकलता है? गोद लेने वाले माता-पिता से यह अधिकार लेने का अभिप्राय है कि सौत माता-पिता को अधिकार मिलता है। उनको बच्चों से कोई प्रेम नहीं होता। इसलिये इन को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

इसके बाद खण्ड ११ में वैध दत्तक-ग्रहण की शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि यदि लड़के को गोद लेना हो तो गोद लेने वाले के कोई हिन्दू पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र नहीं होना चाहिये। अब लड़के के बारे में आपने कहा कि हिन्दू लड़का नहीं होना चाहिये। यदि कोई लड़का दूसरा धर्म स्वीकार कर ले तो उसकी उपस्थिति में कोई दूसरा बच्चा गोद लिया जा सकता है। किन्तु जब पौत्र तथा प्रपौत्र की बात है तो रुकावट होनी चाहिये।

यदि लड़की का लड़का जीवित है तो गोद लेने की अनुमति न दी जाये। इसके बाद यदि उसका भतीजा है तो क्यों उसे गोद लेने की आज्ञा दी जाये? इसलिये ऐसे मामले में यह आज्ञा न दी जाये।

खण्ड ११(६) के अनुसार गोद लिया जाने वाला बच्चा वास्तव में दिया जाना चाहिये। इसके बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि गोद लेने का लिखित करार बनाया जाना चाहिये और कोई रसम निश्चित की जाये उसे जो लोग पूरा करना चाहें करें।

खण्ड १८ में यह उपबन्ध है कि हिन्दू पत्नी को जीवनभर निर्वाह-व्यय लेने का हक है। यह बड़ी अच्छी बात है। परन्तु पुत्रवधु के बारे में एक परन्तुक के अनुसार यह उपबन्ध कर दिया गया है कि उसे उस मात्रा तक निर्वाह-व्यय दिया जायेगा जिस तक वह अपने निर्वाह में असमर्थ है। यह परन्तुक नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेकचन्द]

खण्ड १८ के उपखण्ड (३) के अनुसार हिन्दू पत्नी को पृथक आवास तथा निर्वाह-व्यय लेने का अधिकार नहीं रहेगा यदि वह अपवित्र है या धर्म परिवर्तन कर चुकी है। इसमें देखिये 'तथा' शब्द का क्या प्रभाव होगा। यदि वह पृथक आवास या निर्वाह चाहे तो अपवित्रता कोई रुकावट नहीं है। इसलिये 'तथा' के स्थान पर अथवा होना चाहिये।

अब खण्ड २१ को देखिये। यह आश्रितों के सम्बन्ध में है। पिता-माता तथा विधवा के बारे में कोई परन्तुक नहीं है। पुत्र के बारे में है अर्थात् वह उसी समय तक आश्रित है जब तक वह निर्वाह करने अयोग्य रहता है। मैं समझता हूं कि यह परन्तुक तीन आश्रितों के सम्बन्ध में भी रखा जा सकता है।

इस संहिता पर धार्मिक भावना की दृष्टि से तो मतभेद हो सकता है किन्तु अवयस्कों के हितों के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिये। इसलिये इस विधेयक पर अभी बड़े ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का नाम "उत्तराधिकारी की नियुक्ति विधेयक" रखा जाये। गोद लेने तथा उत्तराधिकारी में बहुत अन्तर है।

आप कहते हैं कि प्राकृतिक परिवार से सम्बन्ध तोड़ा जायेगा। यह बहुत बुरी बात है। आप यह कर सकते थे कि प्राकृतिक परिवार में उसके कोई अधिकार आदि नहीं होंगे। सम्बन्ध कैसे तोड़े जा सकते हैं। इसलिये इन खण्डों की दोबारा जांच की जाये।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (ज़िला फर्रुखाबाद—उत्तर) : जहां तक मैं समझ सका हूं, इस विधेयक में सभी प्रकार के विचार रखने का प्रयत्न किया गया है। हमारे कई प्रदेशों में लड़की को गोद लिया जा सकता है, कई में नहीं। जहां लिया जा सकता है वहां तो कोई कठिनाई नहीं है। इसलिये इस कारण इस विधेयक की आलोचना उचित नहीं है।

इसके बाद भारत में कुछ ऐसे हिन्दू भी हैं जो गोद लेने के आध्यात्मिक लाभों में विश्वास नहीं करते। इसलिये ऐसे लोगों के लिये उस प्रकार गोद लेना आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालयों की व्याख्या के अनुसार **दत्त होमम्** आवश्यक नहीं है। विधेयक में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है।

मैंने श्री टेकचन्द का भाषण सुना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि कोई ३६ वर्ष का पुरुष १५ वर्ष की लड़की को गोद लेता है तो वह गलत रास्ते पर भी जा सकता है।

इसका एक और पहलू भी है। शादी के बाद लड़की का सम्बन्ध गोद लेने वाले परिवार से लगभग छूट ही जाता है। इसलिये लड़की का गोद लेना आवश्यक नहीं है। जहां यह प्रथा है वहां ठीक है। किन्तु विधि बनाते समय हमें सारे देश का ध्यान रखना पड़ता है।

इसके बाद यह भी उपबन्ध है कि पति तथा पत्नी की सहमति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना यह है कि यदि पत्नी तथा पति पृथक हों तो इससे कठिनाई आ सकती है।

इसके बाद दत्तक के लिये देने के अधिकार के बारे में मैं श्री टेकचन्द से सहमत हूं कि यह अधिकार केवल पिता को ही होना चाहिये—क्योंकि यदि वह आध्यात्मिक लाभों में विश्वास रखता है तो इस सम्बन्ध में वह ही विचार कर सकता है कि मरने के बाद उसे पिण्डदान कैसे मिलेगा। अभिभावक को यह अधिकार देना उचित नहीं है।

माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि यदि एक ही पुत्र हो क्या उसे भी गोद दिया या लिया जा समता है। वर्तमान विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसके बाद गोद लिये गये बच्चे के उत्तराधिकार के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि क्या उस बच्चे को अपने प्राकृतिक परिवार में भी उत्तराधिकार मिलेगा। वर्तमान विधि में यह व्यवस्था नहीं है।

माननीय मित्र ने आपत्ति की थी कि यदि एक बच्चे को गोद दिया जाता है तो उसकी जायदाद उसके अभिभावक को जायेगी। इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध है कि इससे वह बच्चा जायदाद से वंचित नहीं होगा। एक आपत्ति यह भी है कि बच्चे को प्रत्याशित सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा संभव नहीं है।

माननीय सदस्यों ने यह भी आपत्ति की है कि निर्वाह के लिये जायदाद पर से व्यय निकालने की व्यवस्था नहीं की गई। यह उपबन्ध है कि यदि न्यायालय चाहे तो ऐसा हो सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में आलोचना अनावश्यक है।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई उपनगर) : इस विधेयक के लिये मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं। मैं इस विधेयक को मानवीय दृष्टिकोण से देखती हूं। इस बात के दोहराने की आवश्यकता नहीं कि हमारे दत्तक-ग्रहण कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह विधि प्रेम पर आश्रित होनी चाहिये।

जो विधेयक मैंने प्रस्तावित किया था उसमें यह व्यवस्था भी थी कि अनाथ शिशुओं को भी गोद लिया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधि में भी हम ऐसा उपबन्ध करने जा रहे हैं।

मुझे खुशी है कि भविष्य में लड़कियों को भी गोद लिया जा सकेगा। यदि लड़की को कोई जायदाद देना चाहता है तो उसके मार्ग में हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिये। हो सकता है कि लड़कियों को गोद लेने में पुरुष शरारत करें तो न्यायालयों को इस मामले की पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिये।

मुझे खुशी है कि गोद लेने वाले पुरुष की तथा गोद लिये जाने वाले बच्चे की आयु में २१ वर्ष का अन्तर रखा गया है। इंग्लैण्ड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। मुझे आशा है कि न्यायालय ऐसे मामलों में पहले अनुसंधान करेंगे।

मैं ने कहा है कि बच्चा गोद लेने में प्रेम ही मुख्य बात होनी चाहिये। इसलिये पत्नी की सहमति आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस विधि में यह उपबन्ध कर दिया गया है। पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री नन्दलाल शर्मा ने कहा कि इन विधियों को यह संसद् नहीं बदल सकती। यह शास्त्रीय विधियां हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमारी हिन्दू विधि प्रगतिशील है कोई कड़ी नहीं है। इसमें परिवर्तन हो सकते हैं।

इसके बाद निर्वाह के बारे में यह बात है कि हिन्दू पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार है और उसका निर्वाह व्यय भी छीना नहीं जा सकता। किन्तु बहुत सी शर्तें रख दी गई हैं। यदि यह कह दिया जाता कि वही शर्तें होंगी जो हिन्दू-विवाह अधिनियम में हैं तो पर्याप्त था। यह उपबन्ध अधिक व्यापक है।

दूसरे निर्वाह का प्रश्न विधवा पुत्र-वधु के बारे में है। इस सम्बन्ध में हमारे पास बहुत पत्र आते रहते हैं। यदि ससुर सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम लगवाता है तो विधवा पुत्र-वधु निराश्रित रह जाती है। मैं आशा करती हूं कि विधेयक में उचित उपबन्ध किये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण): अन्य किसी विधि में दत्तक-ग्रहण को इस दृष्टि-कोण से नहीं देखा जाता जैसे कि हिन्दू विधि में देखा जाता है। हिन्दुओं के धर्म के अनुसार पुत्र-विहीन पिता को स्वर्ग नहीं मिलता। इस विचारधारा में दो बातें हैं। एक यह कि इस लौक के बाद स्वर्ग है जहां सारे सुख और आनन्द हैं और दूसरे यह कि इस संसार में दुःख ही दुःख हैं। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने इस संसार की हालत सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। मेरा यह कथन है कि देवताओं की दुनिया जहां हर चीज़ अच्छी और सुखद थी, अब हमेशा के लिये खतम हो गई है, अतः हिन्दू विधि की यह कल्पना कि मनुष्य ही एक नयी दुनिया और अधिक अच्छी दुनिया बना सकता है, अब लागू नहीं होती।

हिन्दू दत्तक-ग्रहण का मूल आशय यह था कि पिता के पश्चात् श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्य करने के लिये पिता किसी लड़के को अपना दत्तक पुत्र बनाये। अतः दूसरी कल्पना यह थी कि इस प्रकार उसी वंशपरम्परा सुरक्षित और निश्चित रहेगी। यह कल्पना भी अब लागू नहीं होती क्योंकि वंश, जाति, परिवार आदि की कल्पनाएं अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लोग अब यह सोचते हैं कि प्रत्येक मनुष्य केवल एक मानव है और उसे मानव के तौर पर ही अपना रास्ता ढूंढ निकालना होगा। अतः इस दत्तक-ग्रहण विधि के सम्बन्ध में मेरी यही आपत्ति है कि आप भविष्य की ओर तो देखते हैं किन्तु भविष्य बनाने के परिणामों से डरते हैं। नवनिर्मित सभी समुदायों में स्थिति को छिपाने की या परिणामों से डरने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है। अतः हम पीछे की ओर देखते हैं और पुरानी लकीर के फकीर बन जाते हैं। भाषा का उदाहरण लीजिये। हम संस्कृत से शब्द लेने के लिये डरते हैं क्योंकि वे बड़े-बड़े शब्द होते हैं किन्तु साथ ही हम गांवों में बोले जाने वाले सरल शब्द लेने में भी डरते हैं। इस प्रकार की विचारधारा नवीन समाजवादी समाज के अनुरूप नहीं है। जहां तक इस विधि के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सम्बन्ध है, इससे समुदाय की प्रगति में या नवीन जगत् के निर्माण में बाधा पहुंचेगी।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि धार्मिक कृत्य करने और वंश जारी रखने के सिद्धान्त समाज की अथवा विधि की आधुनिक कल्पना से मेल नहीं खाते।

माननीया सदस्या कहती हैं कि वह अनुराग और प्रेम पर आधारित है। यह ठीक है कि वे बहुत अच्छे गुण हैं किन्तु मैं पूछता हूं कि हम आधुनिक वैज्ञानिक ढंग क्यों न अपनायें। आप अस्पताल से कोई बच्चा उठा लीजिये उसके नाम वसीयत कर दीजिये और उसे अपना लड़का समझिये। मेरे विचार से दत्तक-ग्रहण की औपचारिकताएं व्यर्थ, अनावश्यक और अवैज्ञानिक हैं। प्राचीन दृष्टिकोण से उसका कोई अर्थ नहीं है और नई वैज्ञानिक विचारधारा से वह निरर्थक है। पुराने लोग और प्रतिक्रियावादी लोग तो हमेशा ही रहेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं किन्तु उन्हें पड़े रहने दीजिये और उनकी ओर कोई ध्यान ही न दीजिये। आज समाज के आधुनिक ढांचे और भविष्य की कल्पनाओं में इस प्रकार की पुरानी विधियों का न कोई स्थान है और न कोई आवश्यकता।

पुरानी विचारधारा के अनुसार वंश को जारी रखना पिता का कर्त्तव्य था और माता-पिता से सम्बद्ध होती है। अब माता की सम्मति भी होगी। विधि की किसी भी पद्धति के अधीन, माता वंश जारी रखने के लिये उत्तरदायी नहीं होती। बच्चे का जनक सदा ही पुरुष होता है, न कि स्त्री। अतः शरीर-विज्ञान की दृष्टि से भी यह विधि स्वीकार नहीं की जा सकती। इस विधि के पीछे कोई विज्ञान नहीं है।

पोषण के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री ने "किसी अन्य कारण के लिये" शब्द रखे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उसका अर्थ स्पष्ट करें। फिर खण्ड १८ में "पति द्वारा त्याग देना" इन शब्दों के बारे में

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ आपत्ति है । ये शब्द भी बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित हैं । ऐसे मामलों में यह अधिक अच्छा होता कि स्पष्ट उपबन्ध रखा जाता जिससे कि गरीब स्त्री को पोषण-व्यय मांगने में कोई कठिनाई न हो ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर हमने उस विधि के द्वारा कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न किये हैं किन्तु दत्तक-ग्रहण विधि तथा हिन्दू विधि की अन्य धारायें उन अधिकारों और उत्तरदायित्वों के अवश्य ही अनुरूप होनी चाहियें । केवल अपनी बातों के अनुकूल ही शास्त्रीय उद्धरण देना इस प्रश्न के विवेचन का उचित-ढंग नहीं मालूम होता । आप अन्य वचनों की जो निश्चय ही उसके विरुद्ध हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते । अतः अधिक अच्छी बात यह होती कि वर्तमान समाज की वास्तविक स्थिति के दृष्टिकोण से विचार किया जाता । दत्तक-ग्रहण का सारा सिद्धान्त एक ओर धार्मिक और दूसरी ओर धर्म-विहीन बातों पर आधारित है । धार्मिक विश्वास यह है कि लड़का पिता-माता को पिन्ड देगा । धर्म-विहीन आधार यह है कि माता-पिता अपना सारा प्यार किसी एक पर केन्द्रित करना चाहते हैं । माननीय मंत्री का यह कथन कि वास्तववादी और समाज के प्रति उदासीन दृष्टिकोण रख कर फिर दत्तक-ग्रहण की यह विधि बनाकर धार्मिक भावनाओं पर आघात नहीं किया गया है, ठीक नहीं है । जहां तक धार्मिक विश्वास की बात है, यह नहीं कहा गया है कि लड़की को गोद लिया जा सकेगा क्योंकि वह पिंडप्रदान नहीं कर सकती । किन्तु फिर भी कई लोग लड़की को गोद लेते हैं और उसे प्यार करते हैं । यदि यह दृष्टि-कोण हम रखना चाहें तो हम यह न कहें कि इस विधेयक के लिये शास्त्रों का आधार है । मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण हो और अपना सारा प्यार किसी पर न्यौछावर करने की मानव-प्रकृति संतुष्ट की जाये । अतः उन का यह तर्क कि धार्मिक भावनाओं के लोगों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, मेरे विचार से ठीक नहीं है । कारण यह है कि केवल लड़का ही गोद लिया जा सकेगा क्योंकि वही पिण्ड दे सकता है और उसे नरक से बचा सकता है । उसके समर्थन में शास्त्रों के उद्धरण दिये गये हैं । मैं पूछता हूं कि जब पुत्री शब्द का प्रयोग किया है तो क्या वह भी उसे नरक से बचाती है । जो भी हो, मानव-प्रकृति तब तक सन्तुष्ट न होगी जब तक कि प्यार न्यौछावर करने के लिये कोई न हो । अतः हम इसे मंजूर कर लें ।

प्राचीन विधि के अनुसार केवल पुरुष ही गोद ले सकता है अथवा अपनी किसी विशिष्ट स्त्री को दत्तक-ग्रहण का अधिकार दे सकता है । यह तो उसका अधिकार था और अब आप पुरुष और स्त्री को समान अधिकार देना चाहते हैं । माननीय विधि मंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि पुरुष अब भी यदि चाहे तो किसी को गोद ले सकेगा । किन्तु नवीन विधि के अनुसार, यदि वह अवयस्क हो तो वह दत्तक नहीं ले सकेगा । इस प्रकार १८ वर्ष तक के हिन्दुओं को आपने दत्तक-ग्रहण के अधिकार से वंचित किया है । मेरे विचार से यही कठिनाई है ।

मैं इससे पूर्ण सहमत हूं कि दत्तक-ग्रहण के लिये पत्नी या पत्नियों की अनुमति होनी चाहिये किन्तु आप की विधि के अधीन वह उस अनुमति के बग़ैर दत्तक नहीं ले सकता । आधुनिक परिस्थि-तियों में यह संभव है कि पत्नी अनुमति न दे और उस दशा में धार्मिक विश्वास युक्त हिन्दू दत्तक-ग्रहण के अधिकार से वंचित रहेगा । मेरा केवल यही कहना है कि माननीय मंत्री का यह कथन गलत है कि धार्मिक विश्वास वाले पुराने लोगों के अधिकारों पर इस विधि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन पुरुष और स्त्रियों को सम्पत्ति में समान अंश के अधिकार दिये गये हैं किन्तु दत्तक लेने वाले व्यक्ति पर या दत्तक-ग्रहण की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जो निर्बन्धन रखे गये हैं वह मैं नहीं समझ पाता । आपने यह उपबन्ध बनाया है कि जब किसी को पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हो तो वह गोद न ले सकेगा । जब वह अपनी सारी सम्पत्ति चाहे जिस तरह बेच सकता है और फिर भी

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री राघवाचारी]

गोद ले सकता है तब उस पर यह निर्बन्धन लगाने का क्या अर्थ है कि यदि उसे लड़का हो तो वह दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकता। किन्तु वह लड़की गोद ले सकता है। तब उसे लड़की गोद लेने की अनुमति क्यों दी जाये? मेरे विचार से गोद लेने के अधिकार में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि अपनी इच्छानुसार वह गोद ले सके। जैसे मान लिया जाये कि किसी माता-पिता का एक लड़का बहुत बदमाश हो फिर भी वह दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकते। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति का वारान्यारा कर सकता है तब उसे दूसरा लड़का गोद लेने से क्यों रोका जाता है? क्या इस का यह कारण है कि उन्हें प्यार करने के लिये एक लड़का है? यदि ऐसा है तो लड़की को गोद लेने की अनुमति क्यों दी गई है। अतः इन उपबन्धों में कोई एकरूपता नहीं है। सम्भवतः मंत्री या पदारूढ़ व्यक्तियों की इसके पीछे यह भावना थी कि समान अधिकार देकर वे भावी पीढ़ियों के सामने अपने को क्रांतिवादी या प्रगतिवादी घोषित करें।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के लिये एक सप्ताह का समय दिया गया किन्तु यह विधेयक पांच घंटे में निबटा देना है। मैं पूछता हूं कि विधि बनाने का क्या यही तरीका है। कुछ माननीय मित्रों ने कहा कि इसके लिये कोई प्रवर समिति नहीं बनायी गई है। मेरी आपत्ति इसी पर है कि कितनी जल्दबाजी के साथ सारी बात निबटायी जा रही है और इस सब के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यही कारण है कि यह अब आलोचना हो रही है। मेरी अपनी धारणा है कि एक धारा और दूसरी धारा के बीच जो असंगति है उस पर अपनी शक्ति नष्ट करने में कोई अर्थ नहीं है। मैं यह नहीं समझ पाता कि दत्तक-ग्रहण के लिये सभी पत्नियों की अनुमति क्यों आवश्यक है जब कि एक के सिवा सभी सौतेली माताएं हो जायेंगी। वास्तववादी दृष्टिकोण से तो प्रत्येक व्यक्ति को लड़की या लड़का या कितने ही बच्चों को गोद लेने की अनुमति होनी चाहिये।

आगे खण्ड १३ में कहा गया है "सिवा इसके कि जब इसके विपरीत करार हो"। मैं इसका क्षेत्र नहीं समझ पाता। ऐसी कोई संविदा सम्भव नहीं हो सकती जिससे अन्य-संक्रामण की शक्तियों पर निर्बन्धन रखा जाये। वास्तव में इस विधि से मुकदमेबाज़ी घटने की बजाय और बढ़ेगी तथा अधिक कटुता उत्पन्न होगी। यह निश्चित है कि इन उपबन्धों से गड़बड़ी पैदा होगी।

जहां तक पोषण विधि का सम्बन्ध है, वह ठीक मालूम होती है किन्तु उसमें अनेक शब्द अस्पष्ट हैं जिससे काफी मुकदमेबाज़ी और कटु परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जहां तक किसी निर्बन्धन या असुविधा का सम्बन्ध है जिससे वे समन्वय करने और साथ-साथ रहने के लिये बाध्य हात हैं, वह सब ठीक है किन्तु यदि आप उन्हें अलग होने की अधिक सुविधाएं देते हैं तो एक छोटे-मोटे कारण से भी वे अलग हो सकते हैं। इस प्रकार गड़बड़ी हो सकती है।

यह भी कहा गया है कि लड़कियों को इस बात के लिये बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है कि वे माता-पिता के पोषण की व्यवस्था करें। विधि की दृष्टि से कठिनाई यह है कि क्या वह माता-पिता के पोषण के लिये तुरन्त व्यवस्था कर सकेगी। एक सहृदय पुत्री आवश्यकता पड़ने पर अपने माता-पिता के पोषण के लिये सदा ही व्यवस्था करती है। किन्तु वर्तमान उपबन्धों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे अधिक मुकदमेबाजी, कटुता पृथक्करण तथा गड़बड़ी पैदा होगी।

पृथक निवास और पोषण के मामलों में मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम मध्यस्थ निर्णय का कोई उपबन्ध होता। न्यायालयों के लिए इन सब बातों का निर्णय करना अरुचिकर होगा। अतः गुप्त रूप से ही उनका समन्वय कर लिया जाये। मैं तो यह कहूंगा कि जैसे विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधियों में हमने उपबन्ध बनाये हैं, उसी तरह का कोई उपबन्ध हम यहां भी बनायें। सब से पहले न्यायालय किसी व्यक्ति की सहायता से मध्यस्थ निर्णय से मामलों का निबटारा कर सकेंगे। इस व्यवस्था से समाज में सहूलियत होगी।

यद्यपि यह विधि धर्मनिरपेक्ष पहलू से ठीक जंचती है फिर भी उसमें धार्मिक पहलू को ठुकराया गया है। हम यह दावा न करें कि यह विधि सदा ही सफल होगी। मुझे विश्वास है कि एक समय आयेगा जब इस विधि को कार्यान्वित करने के लिये अनेक संशोधन रखने पड़ेंगे, अन्यथा वह कार्यान्वित नहीं हो सकेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरे विचार से इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पोषण का भाग है और पोषण का भाग हिन्दू संहिता विधेयकों के उन अन्य भागों से सम्बद्ध है जो हम एक-एक करके पारित कर चुके हैं। मैं यह दावा नहीं करती कि यह विधेयक पूर्ण है किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि इसमें खंड १८ (२) जोड़ दिया गया है। कारण यह है कि हिन्दू विवाह विधेयक और उससे पहले विशेष विवाह विधेयक पारित करते समय हमने कहा था कि यद्यपि हम विवाह-विच्छेद की आवश्यकता समझते हैं फिर भी अंतिम क्षण तक समझौते का प्रयत्न होना चाहिये। मैं श्री राघवाचारी से सहमत हूं कि समझौते के प्रयत्न होने चाहियें। जहां तक मुझे याद है, इसी आशय का एक खंड भी हिन्दू विवाह विधेयक में रखा गया था। किन्तु मेरी धारणा है कि प्रायः हमारी महिलाएं विवाह-विच्छेद पसन्द नहीं करती अधिक से अधिक वे अलग रहना चाहती हैं क्योंकि विवाह-विच्छेद में बच्चों, सामाजिक स्थान और अपनी भावनाएं आदि के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अतः वह प्रश्न भी फिर इसीसे सम्बद्ध होता है कि वह अपना पोषण किस प्रकार करेगी। इसलिये मैं व्यक्तिगत रूप से इस खण्ड १८ (२) का स्वागत करती हूं।

मैं यह नहीं समझ पायी हूं कि जो मित्र विवाह-विच्छेद के बहुत अधिक विरुद्ध थे, उन्होंने भी पोषण खर्च देने का कड़ा विरोध किया है। 'यदि किसी स्त्री के अपने पति से अलग रहने का कोई अन्य कारण हों' तो उस विषय की काफी आलोचना की गई है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री उसे स्पष्ट करें।

मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि "Unchaste" (असाध्वी) शब्द नहीं होना चाहिये और उसकी जगह कोई और शब्द हो या कोई अन्य खण्ड हो जिसमें उसके ठीक-ठीक अर्थ का उल्लेख हो। हमारे समाज में इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कि कोई स्त्री अपने पति से दूर अकेली रहती हो। मुझे यह शब्द पसन्द नहीं है।

माननीय मंत्री ने कहा था कि वर्तमान हिन्दू विधि के अधीन ससुर पतोहू का पोषण करने के लिये बाध्य नहीं है। वास्तव में मैं जानना चाहती हूं कि खण्ड १९ (२) इस प्रकार क्यों रखा गया है कि यदि ससुर को इतनी पर्याप्त पैतृक संपत्ति न मिले तो वह पतोहू का पोषण कर सके तो वह उसका पोषण करने के लिये बाध्य न होगा। कम से कम किसानों में यह सामान्य प्रथा है कि पतोहू अपने परिवार में ही रहती है। किन्तु अब यदि ससुर को इतनी पर्याप्त पैतृक सम्पत्ति न मिले कि वह पतोहू का पोषण कर सके तो वह उसकी सहायता नहीं करेगा। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती।

वृद्ध माता-पिता के पोषण के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात नहीं समझ पायी। उन्होंने कहा कि पंजाब में यह प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाता है कि कोई लड़की अपने माता-पिता का पोषण करे और न ही उसमें इतनी योग्यता होती है कि वह उनकी देख-भाल कर सके। किन्तु हमारे भागों में अनेक परिवारों का पालन-पोषण लड़कियों की कमाई से होता है। समानता के युग में यह बिल्कुल ठीक है कि हम अपने माता-पिता की देख-भाल करने का दायित्व अपने ऊपर लें। मेरे विचार से यह एक नवीन कल्पना है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उस हालत में बेटी का बेटा भी आश्रित समझा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह बिलकुल ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं इस भाग का स्वागत करती हूं।

दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसका मुझे पता नहीं। कोई समय था कि लोग केवल पुत्र को ही गोद लेते थे, परन्तु अब पुत्रियां भी गोद ली जाती हैं। पुत्रियां गोद लेने वाले प्राय: यह कहते हैं कि "क्या करें हम उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं दे सकते, जब तक कि वसीयत न करें"। और इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विधि नहीं है। इसलिये मैं विधेयक का स्वागत करती हूं। यह पुत्री को गोद लेने का अधिकार तो देता है।

केवल वही लोग गोद नहीं लेते जिनके कि कोई सन्तान नहीं होती, प्रत्युत वे भी गोद ले लेते हैं जिनके काफी बच्चे होते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि जिन लोगों के बच्चे हैं, उन्हें भी गोद लेने का अधिकार हो। परन्तु उन्हें उनका उचित हक़ मिलना चाहिये। श्रीमती जयश्री ने जो प्रश्न उठाया कि १५ वर्ष की लड़की को गोद लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि ३६ वर्षीय व्यक्ति किसी और कारण से ही उसे गोद ले सकता है। परन्तु प्रत्येक मामले में यह सम्भव नहीं। बहुत कम ही लोग गोद लेते हैं, और उन्हें शुद्ध भावना और स्नेह पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इसलिये हमें १५ वर्ष तक पुत्र और पुत्री को गोद में लेने की अनुमति देनी चाहिये।

यह प्रथम बार है कि पुत्रियों को गोद लिये जाने का अधिकार मिला है, इसलिये मैं विधेयक का स्वागत करती हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पांच-छ: माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मांग थी कि समय बढ़ा दिया जाये। एक घंटे का समय बढ़ा दिया जायेगा और इसके पश्चात् माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

---

# कार्य मंत्रणा समिति

## छियालीसवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुडगांव) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रजी में।

# दैनिक संक्षेपिका

## [ गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६ ]


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** ... | १०४७–४८ |


निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत द्वितीय वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति और साथ ही उस पर की गई कार्यवाही का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(२) काफी विक्रय विस्तार अधिनियम, १९४२ के अन्तर्गत जारी की गई एक व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(१) एस० आर० ओ० संख्या १६६८, दिनांक १३ अगस्त, १९५५ ।

(२) एस० आर० ओ० संख्या १६६९, दिनांक १३ अगस्त, १९५५ ।

(३) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत कोयला खान मुहानों के स्नानघरों सम्बन्धी नियम, १९४६ में कतिपय संशोधन करने वाले एस० आर० ओ० संख्या २४६५, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ की एक प्रति ।

(४) कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाले एस० आर० ओ० संख्या २७७८, दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक-एक प्रति :

(१) ताम्रकोटियिक (आइसोनिकोटिनिक) अम्ल उदाजीवेय (हाइड्रज़ाइड) (आइसोनिमाज़िद) (आइ एन० एच०) उद्योग को संरक्षण और/अथवा सहायता देने सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ।

(२) सरकारी संकल्प संख्या २ (२) टी० बी/५५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत विवरण जिसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त (१) और (२) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ उक्त धारा के अन्तर्गत विहित कालावधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव** | १०४९–६३, १०७० |
| श्री स० चं० सामन्त और श्री साधन गुप्त ने जीवन बीमा निगम नियमों में रूप भेद करने के बारे में पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किये। चर्चा के पश्चात् श्री स० चं० सामन्त द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये चार प्रस्तावों में से तीन अस्वीकृत हुए और एक को सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। | |
| **विचाराधीन विधेयक** ... ... ... ... | १०६३–९८ |
| विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर) ने प्रस्ताव किया कि हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई। | |
| **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया** | १०९८ |
| छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। | |
| **शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि—** | |
| हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, आगे और विचार और उसको पारित करना और ग़ैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प। | |


M52LSD—190—9-4-58—GIPF.